राजस्थान विधान सभा

नवम् बैठक, दिनाँक २० फरवरी, १९५३

सदन का कार्य २ बजे कर ६ मिनिट पर प्रारम्भ हुआ

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(श्री अवनिकुमार की अनुपस्थिति में श्री अध्यक्ष की आज्ञा से श्री खेतसिंह ने प्रश्न संख्या १८२ व १८३ पूछे)

प्रश्न संख्या १८२

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—Will the Home Minister be pleased to state :—

(*i*) What are the facts relating to the escape of Govind Singh, Badri and Kalyan, dacoits who escaped from Baran Jail, Kotah ?

(*ii*) Is it a fact that the report was suppressed by the Home Department for about 12 days ?

(*iii*) Whether any enquiry into the matter has been held ?

(*iv*) What steps have been taken by the Police for re-arresting them ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(1) On 5-1-53 at 5-30 P.M. when one of the under-trials was taken out in verandah for collecting the utensils lying there, 3 other under-trials namely Badri, Kalyan and Govind Singh rushed on the gate and attacked the Sentry on duty and snatched his rifle. The other constable, who wanted to resist the out-going under-trials was given a rifle blow. Thus the three under-trials escaped from the lock-up by overpowering the Sentries in the lock-up.

(2) No.

(3) Yes. On receiving information of the escape, the Police atonce rushed in hot pursuit. On 17-1-53 accused Kalyan Singh surrendered to the Police with both the rifles taken away by them. Efforts are afoot for the arrest of the other two accused. The constables due to whose negligence the accused got a chance to run away have been suspended for a departm enquiry.

Page No.2

प्रश्न संख्या १८३

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—Will the Home Minister be pleased to state :—

(*i*) Whether certain files belonging to the former Jaipur State and lodged in the office of the Accountant-General, Rajasthan, Jaipur were sold to a sweet dealer under the impression that the files were waste papers ?

(*ii*) Whether it is a fact that the mistake was detected after some time and the matter was reported to the Police ?

(*iii*) How many files have been lost and how many recovered ?

(*iv*) Who are the persons responsible for such criminal negligence and what action has been taken by the Government against them ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(*i*) The case is still under investigation and it cannot be definitely stated at present that the record lodged in the Accountant General's office, which is said to have been sold to a sweet dealer, was pilfered or auctioned. It has, however come to notice that some waste papers were auctioned by the A.G.'s office, some time back.

(*ii*) It is a fact that this mistake was discovered in September, 1952, by the staff of A.G.'s office and after some enquiry a report was sent by the Accountant General to S.P., Jaipur on 19-1-53 and thereon a case No. 39, u/s 380 IPC, dated 31-1-53 was registered.

(*iii*) Not yet known. The case is under investigation.

(*iv*) Responsibility for negligence is not yet fixed.

श्री खेतसिंह–क्या इससे हम यह समझें कि सरकार का पुराना रेकार्ड नीलाम किया जाता है।

श्री टीकाराम पालीवाल–निश्चित समय के बाद जब वह किसी काम का नहीं रहता तो नीलाम कर दिया जाता है ।

श्री कानसिंह—क्या सरकार को पता लगा कि कितनी फाइलें नीलाम हुई ?

श्री टीकाराम पालीवाल—The Case is under enquiry.

श्री हिम्मतसिंह–कितने समय में रेकार्ड नीलाम किया जाता है; क्या इसके लिये कोई नियम बने हुए हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी हां, इसके लिये नियम बने हुए हैं

Page No.3

प्रश्न संख्या १८४

श्री तेजमल बापना--क्या स्वास्थ्य मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

क्या डाक्टरों की फीस के स्केल को कम कर इनकी सेवा को जनसाधारण के लिये सुलभ बनाने की कोई योजना है ; यदि है तो वह क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास--ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १८५

श्री प्रभुदयाल--क्या व्यापार तथा व्यवसाय मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) क्या बीकानेर डिविजन में बोन्स मोनोपोली दी हुई है ?

(ख) अगर हां, तो किसको ?

(ग) कितने साल के लिये दी गई है और सरकार को सालाना आमदनी क्या होती है ?

(घ) क्या गजट में शाया की जाती है; अगर हां तो कितने दिन पहिले ?

(ङ) सरकार को पलाना बोन्स फैक्ट्री से सालाना क्या आमदनी होती है ?

श्री रामकिशोर व्यास--(क) बीकानेर डिवीजन में बोन्स मोनोपोली श्री पदमचन्द भागचन्द एण्ड कम्पनी, बीकानेर बोन मिल्स, पलाना को दी हुई है ।

(ख) प्रथम यह मोनोपोली भूतपूर्व बीकानेर सरकार द्वारा १-१०-४५ से पांच वर्ष के लिये दी गई थी । पश्चात् राजस्थान सरकार ने १-१०-५० से पांच वर्ष की अवधि बढ़ाई । राज्य को इससे ८००) रू० वार्षिक आय प्राप्त होती है ।

(ग) उपरोक्त अवधि सरकार द्वारा बोन सम्बन्धी नीति को पूर्णतया निर्धारित करने तक बढ़ाई गई है और यह अस्थाई प्रबन्ध है ; अतः गजट में शाया नहीं किया गया । यह अवधि ३०-९-५५ को खतम होगी ।

(घ) और (ङ) का उत्तर ऊपर दे दिया गया है ।

श्री प्रभुदयाल--क्या यह सच है कि मोनोपोली के कारण बीकानेर में सवा दो रुपया मन और पाली में साढ़े चार रूपया फी मन बोन्स का भाव है ?

श्री रामकिशोर व्यास--इस समय भाव के सम्बन्ध में तो मैं नहीं कह सकता ।

श्री हिम्मतसिंह--क्या मोनोपोली सिस्टम कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास--सरकार ने मोनोपोली सिस्टम को तोड़ने का तय कर लिया है

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या और डिविजन्स में भी मोनोपोली सिस्टम है ?

श्री रामकिशोर व्यास--और डिविजन्स में भी है ; पर अब गवर्नमेन्ट ने इस सम्बन्ध म अपनी पोलिसी मोनोपोली तोड़ने की तय की है ।

श्री गुरुदयाल सिंह--क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि मोनोपोली सिस्टम कब तक तोड़ दिया जावेगा ।

श्री रामकिशोर व्यास--तय हो गया है ।

श्री कानसिंह--नये पंचायत कानून के मातहत पंचायतें शुरू होने वाली हैं, वहां क्या मोनोपोली से कोई दिक्कत ग्राम पंचायतों को नहीं होगी ?

श्री रामकरण जोशी--जहां ग्राम पंचायतें बन जायेंगी तो वहां सरकार मोनोपोली नहीं देगी ।

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या यह सही है कि कोटा डिविजन में पंचायतें भी पहले से हैं और मोनोपोली भी हैं ।

श्री कानसिंह--क्या जहां पंचायतें पहले से हैं वहां मोनोपोली से ग्राम पंचायतों को कोई दिक्कत नहीं होती ?

श्री रामकरण जोशी--पुराने वाले एक्ट में यह पॉवर्स नहीं हैं ।

प्रश्न संख्या १८६

श्री छीतरलाल शर्मा--क्या उप-प्रधान मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब देने की कृपा करेंगे:--(क) राजस्थान सरकार ने , पंच वर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से १६,८३,०००,००, रुपयों की आर्थिक सहायता में से बूंदी जिले के लिये भी कोई रचनात्मक कार्य में व्यय करना निश्चित् किया है ?

(ख) यदि किया है तो कितना व्यय का और क्या क्या कार्य ?

(ग) यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल--राजस्थान की पंच वर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये कुल व्यय १६.८१. लाख रुपया होगा । इसमें से १०.६३ लाख रुपये की केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है व बाकी ६.१८ लाख रुपये राजस्थान सरकार के कोष में से खर्च किया जावेगा। पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत बून्दी जिले में जो कार्य सिंचाई, निर्माण, सहकारी, कृषि व पंचायत विभागों द्वारा किये जावेंगे। उनकी सूची हाउस की टेबिल पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No.5

श्री कानसिंह--क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि किस किस डिविजन को इस रकम में से कितना कितना दिया जावेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल--सारे डिविजनों के विषय में तो इस समय नहीं बता सकता, किसी खास बात के लिये पूछें तो मैं बता सकता हूं।

श्री खेतसिंह--क्या हर डिस्ट्रिक्ट को इस तरह की महायता मिलेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल--किसी न किसी हेड के नीचे तो हर डिस्ट्रिक्ट को सहायता मिलेगी; कहीं सिंचाई के जरिये कहीं सडकों के जरिये, जैसी कि स्थानीय जरूरतें होंगी। एक ही हेड के नीचे तो सब जगह सहायता नहीं दी जा सकती।

एक सदस्य--क्या पाली जिले में भी ऐसी सहायता दी जावेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल--जरूर।

प्रश्न संख्या. १८७

श्री शीतरलाल शर्मा--क्या उप-मुख्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे :--

(क) प्रतापगढ़ के विद्यार्थियों की मांग पर लाठी प्रहार आदि कार्यों की जांच क्या करायी जा चुकी है ?

(ख) यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ?

(ग) यदि नहीं तो जांच न कराने का क्या कोई कारण है ?

श्री टीकाराम पालीवाल--(क) प्रतापगढ़ के विद्यार्थियों पर लाठी प्रहार की जांच कलक्टर तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चित्तोड़गढ़ द्वारा हो चुकी है।

(ख) जांच से पाया गया कि भीड़ का कार्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार मनुष्यों को छुड़वाने में, गैर कानूनी जुलूस निकालने में और पुलिस थाने को घेरने में बहुत एतराज काबिल था और जिसको रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा; जो उचित था।

(ग) पुलिस की कार्यवाही कानूनी तथा मौके पर काबू पाने के लिए अनिवार्य थी। केवल दो लड़कों को मामूली चोटें लगीं और उनको अस्पताल में दाखिल किया गया। इससे प्रकट है कि पुलिस ने कम से कम शक्ति इस्तेमाल की।

श्री भैरूंसिंह--विद्यार्थियों की मांग क्या थीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल--मांगें थीं, कुछ टीचर्स को एपॉइंट करने और फर्नीचर आदि की सहूलियतें देने के मताल्लिक।

श्री भैरूंसिंह--क्या मांगें पूरी कर दी गई ?

श्री टीकाराम पालीवाल--जी हां ।

श्री भैरूंसिंह--ऐसी कौनसी मांगें थीं जिनसे कि विद्यार्थी इतने एक्साइटेड (Excited) हुए और जिससे पुलिस को उन पर लाठी चार्ज करने की नौबत आई ?

श्री टीकाराम पालीवाल--वास्तव में विद्यार्थी कुछ एजीटेटर्स के चंगुल में फंस गये थे और उन्होंने कहा कि डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन को ही उनकी मांगें पूरी करने के लिए मौके पर पहुंचना चाहिये, यह अनुचित था । विद्यार्थियों ने स्वयं ही स्ट्राइक की हो, ऐसी बात नहीं । बल्कि उन्होंने बाजार में और जनता से भी जबरदस्ती स्ट्राइक करवाई ।

श्री कंवरलाल जेलिया--जिन्होंने विद्यार्थियों को उकसाया वे पार्टियां क्या राजनैतिक थीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल--कुछ राजनैतिक और कुछ सोशियल, मिली जुली ही थीं ।

श्री कानसिंह--लाठी प्रहार मांगें स्वीकार करने से पहले किया गया या बाद में ?

श्री टीकाराम पालीवाल--वह तो उसी समय मांगें रख रहे थे और उसी समय स्वीकार करवा रहे थे । गवर्नमेंट को उनकी मांगों पर विचार करने का भी मौका नहीं दिया ।

श्री भैरूंसिंह (१६)--क्या यह बात सही है कि विद्यार्थियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था ?

श्री टीकाराम पालीवाल--जिस समय यह घटना हुई उस समय प्रतिबन्ध नहीं था ।

श्री भैरूंसिंह--क्या उस समय विद्यार्थियों की मांगों को लेकर प्रतिबन्ध लगाया गया था ?

श्री टीकाराम पालीवाल--उस समय प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया ।

श्री भैरूंसिंह--क्या प्रतिबन्ध बाद में लगाया गया था ?

श्री टीकाराम पालीवाल--यह बाद का सवाल तो ऐसा है कि जिसकी कोई अवधि नहीं । मैं इतना कह सकता हूं कि प्रतिबन्ध उनकी मांगों के सम्बन्ध में नहीं लगाया गया था ।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी--कर्फ्यू क्यों लगाया गया था ?

श्री टीकाराम पालीवाल--कब की बात कह रहे हैं आप ?

श्री भैरूंसिंह--एजीटेटर्स की गिरफ्तारी घटना के कितने दिन बाद की गई ?

श्री टीकाराम पालीवाल--बात यह है कि कई लोग एवस्कोंड हो गये थे इसलिये उनकी गिरफ्तारी कई महीनों बाद की जा सकी ।

Page No.7

श्री भैरू सिंह—क्या यह बात सही है कि वे लोग वहीं थे और उनकी गिरफ्तारी उस वक्त नहीं की गई, बाद में की गई ।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर, ऑर्डर ! नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १८८

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) जिला गंगानगर में टी. बी. की टिकटें फरोख्त करने से कितनी रकम वसूल हुई और क्या वे जबरदस्ती बेची जा रहीं हैं ? यदि हां तो क्यों ?

(ख) गंगानगर जिला में टी. बी. के किस किस्म के और कितने टीके लगाये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) जिला गंगानगर में टी. बी. की टिकटें फरोख्त करने से पिछली साल कुल १८,७६३ रु० ६ आ० ६ पा० वसूल हुए हैं । वह रकम जनता के सहयोग से प्राप्त की गई है; न कि जनता पर इसकी कोई जबरदस्ती है ।

(ख) इस समय बी. सी. जी. की टीम जोधपुर में काम कर रही है । गंगानगर जिले में टी.बी. के टीकों का काम अभी चालू नहीं किया गया है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—टिकट कौन फरोख्त कर रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऑफिसर्स और नोन ऑफिसर्स ; हर एक बेच सकते हैं । मैंने अर्ज किया कि अभी जोधपुर में कार्यवाही हो रही है । इस साल जो फरोख्त हो रहे हैं, खास भाव पर कोई भी फरोख्त कर सकता है । आपको गलत फहमी हो गई है । टिकट बेचना और चीज है और टीके लगाना और चीज । बी.सी. जी. के जो टिकट बेचे जाते हैं उनसे जो फन्ड कलेक्ट होता है वह उसी काम में जनता के लिये लगा दिया जाता है ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी ऐसे टिकट बेचते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऑफिसर्स भी बेच सकते हैं ।

श्री जसवन्तसिंह—मेरा सवाल है कि बेचते हैं कि नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह इस समय में नहीं बता सकता ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि अफसरों को यह कहा गया कि सब से ज्यादा ये टिकट कौन बेचे और ज्यादा से ज्यादा रकम कौन इकट्ठी करे ?

श्री रामकिशोर व्यास–सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । सरकार की ट्रेजरी में तो यह रुपया जाने वाला नहीं है । जहां पर टी.बी. की सहायता में कमी होती है, वहीं जाता है । मुझे पूरा तो पता नहीं है पर लग भग ७० प्रतिशत रकम उसी डिविजन से इकट्ठा किया जाता है ।

श्री जसवन्तसिंह–यह फरमाना दुरुस्त है । मगर इनफोर्मली डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को हिदायत की गई है कि वे ज्यादा से ज्यादा रुपया इकट्ठा करे ।

श्री रामकिशोर व्यास–हो सकता है कि यह कहा गया हो कि ज्यादा से ज्यादा टिकट बेचने चाहिये लेकिन बेजा तरीके से बेचना चाहिये; ऐसी बात नहीं है ।

श्री मोतीराम–क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि बेचने वाले बीच में ही हजारों रुपयों का गबन कर सकते हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास–ऐसा नहीं हो सकता ।

श्री कानसिंह–क्या यह सही है कि अस्पतालों में ये टिकट जबरदस्ती बेचे जाते हैं ?

श्री संतोषसिंह–क्या सरकार को यह मालूम है कि जोधपुर के अस्पतालों में जब तक ये टिकट नहीं खरीदे जाते तब तक दवाई नहीं मिल सकती ?

श्री रामकिशोर व्यास–जी नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

श्री संतोषसिंह–लाजमी हो या न हो; पर जब तक टिकट नहीं लेते तब तक दवाई नहीं देते हैं ।

श्री मानसिंह–क्या यह सही है कि जयपुर के दफ्तरों में बिना टी. बी. सील के टिकट लगाये दरख्वास्त लेते नहीं है और वापिस फेंक देते हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास–मेरे ध्यान में कोई बात नहीं लाई गई ।

श्री मानसिंह–जयपुर निजामत में ऐसा होता है ?

श्री रामकिशोर व्यास–इसकी इन्क्वायरी की जायगी ।

श्री संतोषसिंह–क्या सरकार जोधपुर के बारे में भी इन्क्वायरी करेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास–मेरी समझ में नहीं आता कि मजबूर कैसे किया जाता है ?

श्री संतोषसिंह–आप की तरफ से चाहे लाजमी नहीं हो पर वहां तो डाक्टर और कम्पाउन्डर वगैर उसके दवाई भी नहीं देते हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास–जोधपुर के बारे में भी मालूम करेंगे ।

Page No.9

श्री रघुराजसिंह–क्या मंत्री जी कोटा के अस्पताल के बारे में जांच करने की कृपा करेंगे कि वहां पर बिना टिकिट लगाये वहां के डाक्टर एक दिन का प्रेस्क्रिप्शन भी नहीं लिख सकते ?

श्री रामकिशोर व्यास–जरूर कर लेंगे ।

प्रश्न संख्या १८६

श्री तनसिंह–क्या वाणिज्य तथा व्यवसाय मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. कवास (तहसील बाडमेर) से कितनी खड्डी (जिप्सम) प्रति दिन निर्यात होती है?

२. उस माल का कितना रुपया दैनिक खर्च है ?

३. कवास की खानों में कितने मजदूर काम करते हैं ?

४. उन मजदूरों को क्या मजदूरी मिलती है ?

५. जो ठेकेदार मजदूरों को नियुक्त करते हैं और उनको दाम चुकाते हैं उनको क्या लाभ दिया जाता है ?

६. मजदूरों को उनकी मजदूरी कितने दिन के बाद चुकाई जाती है ?

७. इन खानों के लिये कितनी जमीन सरकार द्वारा एक्वायर की गई है, और कब की गई है ?

८. जिन मालियों की बावडियें व खेत सरकार ने लिये हैं उनको क्या मावजा दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास–१. कवास तहसील, बाडमेर, से लगभग ५४० टन जिप्सम प्रतिदिन निर्यात होती है ।

२. संबंधित सूचना सिन्द्री फर्टिलाइजर लिमिटेड, कवास, से प्राप्त की गई है ।

३. लगभग ४० मजदूर प्रति दिन काम करते हैं ।

४. प्रति पुरुष १ रु. ६आ. प्रति दिन और औरत १रु. १आ. प्रति दिन ।

५. इस सम्बन्ध में सूचना सिन्द्री फर्टीलाइजर लिमिटेड कवास से प्राप्त की गई है ।

६. इसके बारे में सूचना सिन्द्री फर्टिलाइजर लिमिटेड कवास से प्राप्त की गई है ।

७. कोई जमीन इन खानों के लिये सरकार द्वारा एक्वायर नहीं की गई है । सरकार ने जिप्सम के लिये माइनिंग लीज पर दिया है ।

श्री मावजे का संबंध महकमा माल से है, अतः वहां से सूचना प्राप्त की गई है ।

श्री संतोषसिंह—सरकार ने जमीन एक्वायर नहीं की है तो क्या हम यह समझें कि ठेकेदार ने अपने आप ही जबरदस्ती जिप्सम निकालना शुरू कर दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास—जमीन एक्वायर करने का एक खास प्रोसीजर होता है; लैंड एक्वीजीशन कानून की तहत में और इसके अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री तनसिंह—यह एक्वायर की जा रही है उस पर क्या किसी का कब्जा है ?

श्री रामकिशोर व्यास—एक्वायर कहां की जा रही है ? वह सरकारी जमीन हो सकती है ।

श्री कानसिंह—अभी आपने फरमाया था कि सूचना प्राप्त की जा रही है । यह सूचना छः महीने में, आठ महीने में या कब तक प्राप्त हो जायगी ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने निवेदन किया था कि यह राजस्थान गवर्नमेन्ट ने नहीं दिया, बल्कि गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने दिया था ; इसलिये उनसे सूचना प्राप्त की जा रही है ।

श्री संतोषसिंह—आपने फरमाया कि जमीन सरकारी हो सकती है । क्या वह जमीन बापी की नहीं हो सकती ? मेरा कहना यह है कि बापी की जमीन का लीज दिया गया है । पहले म जमीन को एक्वायर करके फिर लीज देना चाहिये था । क्या आपकी तवज्जह इस ओर है ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसा कोई रिप्रेजेन्टेशन या शिकायत हमारे पास नहीं आई । यह लीज गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने दिया है, न कि राजस्थान गवर्नमेन्ट ने ।

श्री संतोषसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि आपके सेक्रेटेरियेट में किन्हीं कागजों का पता आसानी से लग सकता है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—हां, यदि नेक नियती से चाहें तो पता लग सकता है ।

श्री कानसिंह—नेक नियती की क्या डेफिनिशन है ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर । नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १६०

श्री भैरूंसिंह—क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे:—

(अ) राजस्थान राज्य के निर्माण के बाद कौन कौन पुलिस ऑफिसर सरकारी काम के अन्जाम देने में अपराधियों द्वारा मारे गये हैं ?

(ब) उनमें से हर एक पर सरकार ने क्या क्या परवरिश की है ?

Page No.11

श्री टीकाराम पालीवाल (गृह मंत्री)--उन पुलिस ऑफीसरों की सूची जो सरकारी काम के अंजाम देने में अपराधियों द्वारा मारे गये व जो जो सरकार ने उनकी परवरिश की विधान सभा की टेबिल पर प्रस्तुत हैं ।

(परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरूंसिंह (१६)--क्या यह सही है कि परवरिश करने के नियम एक नहीं थे ; जिसके कारण अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह से परवरिश की गई ?

श्री टीकाराम पालीवाल--कुछ हालत में ऐसा हो सकता है । राजस्थान बनने के समय अलग अलग रियासतों में अलग अलग तरह के नियम लागू थे ; इसलिए उन्हीं के अनुसार अलग अलग तरह से परवरिश मिली हो ।

श्री भैरूंसिंह--मैं राजस्थान निर्माण के बाद की बात पूछ रहा हूं ।

श्री टीकाराम पालीवाल--जी हां । राजस्थान बनने के बाद अलग अलग तरह के नियम कई दिनों तक लागू रहे और उन्हीं के अनुसार भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न तरह से परवरिश मिली ।

श्री भैरूंसिंह--उन नियमों का एकीकरण किस तारीख को हुआ ?

श्री टीकाराम पालीवाल--यह एक अलग सवाल है । अगर आप चाहेंगे तो तारीख बतला दूंगा ।

श्री भैरूंसिंह--एक साल में जो व्यक्ति अपराधियों के हाथ मारे गये हैं उनमें से एक के भी संबंधियों को परवरिश नहीं दी गई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल--नियमों का एकीकरण हो गया है । कार्यवाही की जा रही है, उनको शीघ्र ही परवरिश दी जायगी ।

श्री भैरूंसिंह--जिनको अलग अलग तरीके से परवरिश दी गई है क्या उनको भी एक ही तरीके से दी जा सकती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल--जी नहीं, यह संभव नहीं है ।

प्रश्न संख्या १६१

श्री हरिकृष्ण व्यास--Will the Minister Incharge for Home Affairs be pleased to answer :—

(a) Is it a fact that a peaceful procession of the Kisans of Alwar was lathi charged on the 2nd January, 1953, in the Alwar Town ?

(b) Was any warning given before restoring to the lathi-charge?

Page No.12

(c) Is the Government aware of the statement made by responsible people including leading lawyers of Alwar, who were present on the spot, that no warning was given ?

(d) Has the Government conducted any enquiry in the matter ?

(e) What are the conclusions of the enquiry ?

(f) In view of the statements from responsible people as stated in part (c) of this question ; is the Government prepared to order a judicial enquiry into this matter ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(क) लाठी प्रहार उस समय किया गया जब कि जुलूस हिंसात्मक हो गया और पुलिस के साथ मारपीट की और गिरफ्तार किये हुए आदमियों को छुडाने का प्रयत्न किया। दरअसल में यह प्रोसेशन किसानों का नहीं कुछ कम्युनिस्टों की करतूत थी।

(ख) हां।

(ग) नहीं।

(घ) नहीं।

(ङ) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(च) नहीं, यह जरूरी नहीं समझा गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या अब सरकार उसके बारे में जांच करने को तैयार है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं, उसको जरूरी नहीं माना गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या प्रमुख बार रूम के व्यक्तियों द्वारा शिकायत किये जाने पर भी जांच कराने का प्रयत्न नहीं किया गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल—आपका मतलब शायद बार एसोसियेशन से है ? इस प्रकार का कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं मिला।

श्री छोटूसिंह—क्या यह सही है कि इस किसान प्रोसेशन के नेता कम्युनिस्ट थे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—दरअसल में कम्युनिस्टों ने ही यह सब किया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या कम्युनिस्ट पार्टी गैर कानूनी है; ऐसा समझा जाय ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—अभी तो गैर कानूनी डिक्लेयर नहीं हुई है।

एक सदस्य—क्या कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाने वाला है ?

Page No.13

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--अगर कोई गड़बड़ की कार्यवाही होगी तो हो भी जाय ।

एक सदस्य--तो क्या पुलिस के कर्मचारियों को भी चोटें आई थीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--जी, हां ।

एक सदस्य--कितने कर्मचारियों के चोटें आई थीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--कई एक कान्स्टेबल्स के चोटें आई थीं ।

एक सदस्य--क्या यह सही है कि हुल्लड करने वाले कोर्ट में घुस गये थे ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--कोर्ट में घुस गये थे और पत्थर भी फेंके थे ।

श्री भैरूंसिंह--क्या यह सही है कि पत्थर फेंकने वालों में कांग्रेस के व्यक्ति भी थे ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--ऐसी सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकार के पास एक ही प्रकार की सूचना आती है ? किसानों पर लाठी चार्ज किया गया, कितनों ही के चोटें आई, क्या उनके पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं आई ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--बहुत सी सूचनाएं तो आया ही करती हैं । मैंने एक ही सूचना आप को नहीं दी । जो बात पूछी गई थी उनकी सूचना में आपको दे चुका हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या इस प्रकार की सूचना सरकार के पास पहुंची है कि इस लाठी चार्ज के विषय में अलवर के प्रमुख वकीलों ने आंखों देखा वर्णन किया, स्टेटमेन्ट भी दिये ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है और न ही वकीलों की ओर से स्टेटमेन्ट । सरकारी अफसरों ने उचित समझा होगा, तब ही लाठी चार्ज कराया होगा ।

श्री अवनिकुमार--मैं यह जानना चाहता हूं कि जुलूस को डिस्पर्स करने के लिए लाठी चार्ज करने से पूर्व टीयर गैस यूज़ (use) किया गया था या नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जब लाठी चार्ज नहीं किया गया था तो फिर उनको वहां से कैसे हटाया था ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--जब कुछ लोग पत्थर फेंकने लगे थे तो उस समय लाठी चार्ज किया जाना ही उचित समझा गया होगा।

Page No.14

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या जुलूस पर १४४ धारा लगा कर पाबन्दी लगा दी गई थी ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—जुलूस तो था ही नहीं। अचानक ही लोग घुस आये थे और उन्होंने वायोलेन्ट तरीका अख्तियार कर लिया था ; अतः उनको लाठी चार्ज करना पड़ा होगा।

एक सदस्य—क्या यह सही है कि ४०-५० आदमी वहां पहुंच गये थे और उन्होंने कुर्सियां वगैरह तोड दी थीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—यही कारण था कि उन पर लाठी चार्ज किया गया।

श्री संतोषसिंह—कितने किसान नेताओं के इस लाठी चार्ज से चोटें आई ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—मैं आप को बता चुका हूं कि कुछ लोगों ने हुल्लड किया, पत्थर फेंके और उस पर उनको काबू में लाया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जुलूस को १४४ धारा लगा कर रोका जा सकता था और बगैर उसके डिक्लेयर किये ही लाठी चार्ज करने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—मेरे दोस्त ने अगर कानून देखा होगा तो उन्हें मालूम होगा कि हर बात में १४४ धारा लागू नहीं की जाती है। कोई समूह वायोलेन्ट हो जाय तो उसको गैर कानूनी घोषित किया जाता है और बाकायदा कानून के अनुसार मजिस्ट्रेट कार्यवाही करता है। जब कोई जुलूस नहीं था और केवल कुछ व्यक्तियों ने हमला किया तो उनको काबू में लाया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं यह पूछ रहा हूं कि जब पाबन्दी नहीं लगाई गई थी तो जुलूस को क्यों और कैसे रोका गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई जुलूस नहीं था। कुछ लोग जाकर कोर्ट में हमला करने लगे, पत्थर फेंके और उनको काबू में लाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो फिर उनको १४४ धारा के अन्तर्गत रोका क्यों नहीं गया ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६२

श्री एच. के. व्यास—Will the Minister Incharge for Health be pleased to answer :—

(a) Is it a fact that a young boy named Kishan admitted in the Female Ward of the Mahatma Gandhi Hospital, Jodhpur, suddenly died in the night of the 7th October, 1952.

(b) Is it a fact that the condition of the boy was reported to be satisfactory till the evening of that date ?

(c) Has the Government conducted any enquiry to find out the cause of this sudden death ?

(d) Has the Government taken any action in the matter ?

(e) Will the Government make a full statement about this case before the House ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)—(a) Yes. (b) Yes. (c) Yes.

(d) The enquiry did not reveal any negligence on the part of any person of the hospital staff and therefore a suitable contradiction was published in the newspapers.

(e) A full statement has been placed on the table.

श्री एच. के. व्यास—Was the enquiry departmental or judicial ?

श्री रामकिशोर व्यास—Departmental.

श्री एच. के. व्यास—Were the complainants associated with the enquiry ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ मंत्री)—नहीं कह सकता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या उनसे पूछा गया या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)—यह मैं अभी नहीं बता सकता हूं । सूचना प्राप्त करके कह सकता हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उनको पूछा नहीं गया है ? यदि यह नहीं पूछा गया था तो क्या इन्क्वायरी फिर से कराने को तैयार हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)—बिना पूछे तो इन्क्वायरी हो ही कैसे सकती थी । अगर मान लीजिये कि नहीं पूछा गया है तो फिर से पूछा जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १६३.

श्री बलवीर सिंह—क्या उप-मुख्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ———

(क) दिसम्बर सन् १९५२ के एस. आई. सिलेक्शन में कितने उम्मीदवार थे ?

Page No.16

(ख) उसमें से कितने लिये गये और किसको किस योग्यता के आधार पर लिया गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—दिसम्बर सन् १९५२ के पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के चुनाव म कुल उम्मीदवारों की संख्या ४८० थी। जिनमें २०७ विभागीय उम्मीदवार थ, एवं २७३ अन्य।

उपरोक्त ४८० उम्मीदवारों में से कुल ६० व्यक्ति योजनानुसार चुने गये, जिनमें २० विभागीय उम्मीदवारों में से थे, एवं ४० अन्य के। इन ४० व्यक्तियों में ८ वे भी सम्मिलित हैं जिन्हें पुलिस पैरोकार के पद के हेतु चुना गया है।

पैरोकारी के उम्मीदवारों के अतिरिक्त जिनकी न्यूनतम योग्यता मेट्रिक अथवा इसके समान स्थान रखने वाली अन्य अधिकार-प्राप्त संस्थाओं की परीक्षा तथा विभागीय उम्मीदवारों के हेतु दो वर्ष का विभागीय अनुभव अनिवार्य था।

श्री कानसिंह—क्या यह परीक्षा पुलिस डिपार्टमेन्ट के सुपुर्द है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—जी हां।

श्री भैरूंसिंह—क्या चुने हुए सब-इन्सपेक्टर्स में कई ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस का रेगूलर कोर्स पास नहीं किया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—ये सब नये ट्रेनिंग के लिए ही हैं।

श्री कानसिंह—इनमें से डिपार्टमेन्टल कितने थे और प्राइवेट कितने थे ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—मैं आपको अभी बतला ही चुका हूं कि २० विभागीय थे और ४० अन्य।

श्री सम्पतराम—सब-इन्स्पेक्टर्स के जो चुनाव हुए हैं उनमें से कितने व्यक्ति शिड्यूल्ड कास्ट के हैं ?

श्री अध्यक्ष—Are you prepared to give information now ?

एक सदस्य—किन किन डिविजन से कितने कितने थे ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—यह तो एक अलग प्रश्न है।

श्री बलवीरसिंह—तो क्या यह समझा जाय कि जितने उम्मीदवार लिये गये थे क्या वे मिनिस्टरों और लीडर्स की सिफारिश से लिये गये थे जब कि उनमें किसी डिस्ट्रिक्ट का ध्यान नहीं रखा गया था ?

(विपक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—यह शिकायत में पहली मरतबा सुन रहा हूं and I repudiate this charge; it is baseless.

श्री भीमसिंह—६० में से कितने राजस्थान के हैं और कितने बाहर के हैं; क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—बाहर का कोई नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप इस सम्बन्ध में एक दम नतीजे पर कैसे पहुंचे ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—छोटी छोटी नौकरियों के लिए बाहर से आते नहीं हैं ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या आप जाँच करके बतला सकेंगे कि बाहर के कितने हैं और यहां के कितने हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—जी, हाँ ।

श्री भवानीसिंह तरंगी—कोटा डिविजन से एक ही उम्मीदवार क्यों लिया गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—रिक्वायर्ड स्टेन्डर्ड से ही लिए जाते हैं ।

श्री दिलीपसिंह (राज-पत्र)—जो उम्मीदवार लिए गये हैं उनमें से बेकवर्ड क्लास के कितने हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—बैकवर्ड क्लास को पोस्ट्स रिजर्व नहीं की गई है ।

प्रश्न संख्या १६५

श्री तनसिंह—क्या मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९५२ में बोर्डर के गांवों में कितनी डकैतियां हुई ?

(२) इन डकैतियों में कितने व्यक्ति मारे गये व कितनी सम्पत्ति लूटी गई ?

(३) इनमें कितने डाकू पकड़े गए व कितनी सम्पत्ति बरामद हुई ?

(४) पकड़े हुए डाकुओं में से भी क्या कोई भाग गया है ?

(५) इनमें से कितने डाके ऐसे हुए हैं जिसमें पाकिस्तान की सीमा लांघकर हुए हैं या डाके के बाद लांघ गये हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (गृह मंत्री)—(१) सन् १६५२ में बोर्डर के गांवों में ३३ डकैतियां हुईं।

(२) उपरोक्त डकैतियों में दो व्यक्ति डाकुओं द्वारा मृत्यु के शिकार बने एवं लगभग २,३१,०७५) रुपये की सम्पत्ति लूटी गई।

(४) अब तक इन डकैतियों के ६ अभियुक्त बन्दी हुए हैं तथा लगभग ५१,१२१ रु० ८ आने की सम्पत्ति बरामद हुई है। बन्दी किए गये अपराधियों में से कोई नहीं भागा।

(५) उपर्युक्त समस्त घटनाओं में पाकिस्तान से सीमालंघन कर अपराधी राजस्थान में प्रविष्ट हुए एवं डाके के पश्चात् वापस लौटे।

श्री खेतसिंह—इनमें एक डकैती ऐसी हुई है जो सीमा से मीलों अन्दर तक है।

श्री टीकाराम पालीवाल— कभी कभी सीमा से एक मील, दो मील अन्दर तक के वाकये भी हो जाते हैं।

श्री गुरुदयालसिंह—१५ (पन्द्रह) मील तक भी जाते हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरे पास इसकी सूचना नहीं है। पर हो सकता है ऐसा भी हो।

श्री भैरूंसिंह (१६)—क्या इसके लिये राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के पास कोई विरोध-पत्र पाकिस्तान को भेजने के लिये भेजा है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी हां, भारत सरकार को ऐसा पत्र भेजा गया है।

श्री कानसिंह—जब कि बोर्डर पर ३३ डकैतियां हुई हैं तो क्या राजस्थान सरकार, इसको देखते हुए, वहां स्पेशल प्रबन्ध कर रही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी हां, स्पेशल प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री कानसिंह— ५१ हजार के लगभग का माल बरामद हुआ बताया गया है, क्या वह माल, माल के मालिकों को लौटा दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री जवानसिंह—क्या जालोर जिले में किसी माननीय सदस्य के घर पर डकैती होने के डर से पुलिस फोर्स रक्खी गई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री टीकाराम पालीवाल।

Page No.19

प्रश्न संख्या १६५

श्री रामरतन टिक्कीवाल—क्या स्वास्थ्य मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) टोंक तहसील के कस्बा पिपलू की डिस्पेन्सरी ग्राम निवासियों के द्वारा मकान का प्रबन्ध कर देने पर भी क्यों बन्द कर दी गई ?

(ख) अब पुनः चालू कब तक करदी जावेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास—पिपलू ग्राम के निवासियों द्वारा स्थानीय डिस्पेन्सरी के लिए जो मकान बनाया गया है वह अभी तक डिस्पेन्सरी के लिए उपयुक्त नहीं है। उसकी आधी छत लोहे की चादरों व आधी छत छप्पर से ढकी हुई है। उन्होंने बची हुई आधी छत को, कन्ट्रोल रेट पर लोहे की चादरों के मिलने पर, तुरन्त ढकवा देने का वायदा किया है। अतः जब तक कि वहां की जनता द्वारा डिस्पेन्सरी के भवन की उपरोक्त कथित कमियां पूरी नहीं हो जातीं तब तक वहां पर डिस्पेन्सरी पुनः चालू करना सम्भव नहीं है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—अब कन्ट्रोल रेट पर चद्दर देने में सरकार ढिलाई कर रही है या गांव वाले नहीं ले रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—चद्दर देने का काम और महकमे का है, हमारा नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह—कन्ट्रोल रेट पर मिल ही नहीं रही होंगी ?

श्री रामकिशोर व्यास—जयपुर में तो जरूर मिलती हैं।

श्री संतोषसिंह—सरकार को चाहिये कि वह उन्हें परमिट दिलाने की व्यवस्था करे।

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने अभी कहा कि परमिट देने वाला महकमा दूसरा है। फिर भी अगर हमें लिखा जावेगा तो हम दिलाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री रामदयाल उपाध्याय—आप रिकमेन्ड कर सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—अभी यही तो निवेदन किया कि हमें अगर लिखा जावेगा तो हम प्रयत्न करेंगे। पर अभी तक हमें इसके बारे में कभी नहीं लिखा गया।

श्री सोहनलाल भटनागर—मन्त्री महोदय को इस बात का भी ध्यान रखना है कि वहां एक मकान तैयार हो गया है; ऐसी हालत में डिस्पेन्सरी चालू करने में क्या रुकावट आ सकती है।

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि अभी आधी छत टीन की है और आधी छत फूस की है। यह आधी छत जब तक टीन के चद्दर की नहीं हो जावेगी तब तक डिस्पेन्सरी का काम चालू नहीं हो सकेगा।

प्रश्न संख्या १६६

श्री तनसिंह—क्या गृहमन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) चुनावों के पहले ईसा नामक देरासर गांव (तहसील बाढमेर) के किसी व्यक्ति को निरोधक नजरबन्द कानून के अन्तर्गत रोका गया था।

(२) कितने अरसे के लिये वह जेल में रहा ?

(३) क्या अवधि से पहले उसे छोड़ा गया ? हां, तो क्यों ?

(४) छोड़ने से पहले उससे चुनाव में इमदाद देने या अन्य किसी प्रकार का कोई इकरार कराया गया था ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(१) हां, रोका गया था, किन्तु चुनावों से पहिले नहीं; बल्कि २४-७-५१ को।

(२) ४ मास १७ दिन।

(३) उसकी पैरोल की दरख्वास्त पर ३ मास के लिए १०-१२-५१ को मियाद से पहिले रिहा किया गया। इसके पश्चात् इस व्यक्ति को एडवाइजरी की सिफारिश पर आजाद कर दिया गया।

(४) नहीं।

श्री हनुमन्तसिंह—पैरोल की दरख्वास्त पर रिहा करने की जो बात कही गई, उसमें रीजन क्या था ?

श्री टीकाराम पालीवाल—कुछ बीमारी आदि का कारण था।

श्री भैरूंसिंह (दाता रामगढ)—क्या यह सही है कि वह इलेक्शन के अन्दर मिस्टर नूरी को जिताने का काम कर रहा था और क्या यह सही है कि वह पहले का कन्विक्ट है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह मुझे मालूम नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६७

श्री रामरतन टिक्कीवाल—क्या गृह मन्त्री एवं योजना मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत टोंक जिले के लिए कितनी रकम स्वीकृत की गई है और वह किस किस कार्य में खर्च की जावेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत टोंक जिले के लिये निम्नलिखित विभागों में जो रकम रखी गई है और जो जो कार्य इन विभागों में किये जावेंगे उनका व्योरा अलग सूचियों में अंकित है; जो हाउस की टेबल पर रक्खा है—

१. सिंचाई विभाग	देखिये सूची संख्या अ.
२. कृषि विभाग	देखिये सूची संख्या ब.
३. निर्माण विभाग	देखिये सूची संख्या स.
४. पंचायत विभाग	देखिये सूची संख्या म.
५. सहकारी विभाग	देखिये सूची संख्या द.

(कृपया देखिये परिशिष्ट—३)

प्रश्न संख्या १६८

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या स्वास्थ्य मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

पदमपुर में जो अस्पताल की इमारत बन रही है वह कब से बन रही है और उसके पूरे होने में कितना समय और लगेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—पदमपुरा अस्पताल की इमारत का निर्माण-कार्य तीन वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया था। इमारत आधी के लगभग तैयार हो चुकी है, परन्तु और फन्ड नहीं होने के कारण निर्माण कार्य बीच ही में रोक देना पड़ा है। एग्जीक्युटिव इन्जीनियर ने आइन्दा साल के बजट में इसे शामिल करने के लिये लिखा है। मन्जूरी अभी आनी बाकी है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—यह आधी कब तक तैयार हो जावेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास—पी० डब्लू० डी० से अर्ज करेंगे कि जल्दी तैयार करे।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—यह इमारत इतनी कितनी बड़ी है कि तीन वर्ष पहले शुरू हुई और आज दिन तक भी तैयार नहीं हो सकी ?

श्री रामकिशोर व्यास—वड़ी का सवाल नहीं है, अमाउन्ट जो सेंक्शन हुआ था वह लैप्स हो गया इसलिये तीन साल पहले से ही हम इसके लिये मन्जूरी लेने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री भैरूं सिंह—क्या जब तक यह इमारत सेंक्शन मिलने पर पूरी की जावेगी तब तक जो आधी बन चुकी है वह भी खतम हो जावेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह बात गलत है।

प्रश्न संख्या १६६

श्री गुरुदयालसिंह—क्या उद्योग मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

(क) गंगानगर सुगर मिल इस साल न चलने के कारण जो नुकसान किसानों को हुआ है उसके लिए सरकार क्या विचार कर रही है ?

(ख) अगले साल के लिए गंगानगर जिले के किसानों को सरकार क्या विश्वास दिलाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—इस वर्ष गुड़ की कीमत बढ़ जाने के कारण किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने गुड़ बनाने के लिए बाजार से क्रशर्स खरीद लिये हैं। अगली साल सुगर मिल चलाने के लिये इसके प्रबन्धकों को समय से पूर्व संचेत किया जायगा।

श्री मोतीराम—क्या सरकार के ध्यान में यह भी है कि किसानों को इससे कोई फायदा नहीं हुआ ? उनका हजारों रूपया बरबाद होगया है। सरकार ने इसको चालू करने के लिये क्या प्रयत्न किए ?

श्री रामकिशोर व्यास—इस मिल को चलाने के लिए राजस्थान सरकार ने काफी प्रयत्न किये। भारत सरकार के पास भी लिख कर भेजा, पर हमारे प्रयत्न सफल नहीं हुए।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि हजारों मन गन्ना खेतों में खड़ा-खड़ा सूख जावेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—जो गन्ना खड़ा है उसमें से बहुत से का गुड़ बना लिया जावेगा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—इसके बाद भी गन्ना बेचा जावेगा; वह जो सूखेगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसकी जिम्मेदारी किसान पर है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—किसान की क्यों होनी चाहिये ? किसान ने तो मिल चलने की उम्मीद में ज्यादा बोया था।

Page No.23

श्री रामकिशोर व्यास—वह नहीं चल रही है तो गुड बनाना चाहिये था ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसा क्या कारण है कि भूखों मर कर भी काम कराने की सख्ती की जाने के बाद भी मिलें चालू कराने की जहां बात आती है तो इस राजस्थान सरकार के हाथ अटक जाते हैं । ऐसी क्या मजबूरी है ?

श्री रामकिशोर व्यास—इस बार सुगर केन की रेट एक रुपया पांच आने नियत की थी, राजस्थान सरकार ने । मिल वालों ने कहा कि अब फसल अच्छी नहीं है और गन्ना डेमेज्ड है, यदि इसकी रेट कम कर दी जावे तो हमें पोसा (पूरा पड़) सकेगा ।

इस पर राजस्थान सरकार ने काश्तकारों से और मिल वालों से परामर्श करके एक रुपया एक आना तय किया था और इसे मन्जूरी के लिये भारत सरकार के पास भेजा गया । भारत सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया; इसलिए उस समय मिल चल नहीं सकी ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास—बिलकुल नहीं ।

श्री खेतसिंह—इस मिल के अन्दर सरकार के डाईरेक्टर्स कितने हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—दो हैं ।

श्री कानसिंह—क्या उन्होंने भी बन्द करने की राय दी थी ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या यह समझा जावे कि मनमानी रेट न मिलने से ब्लेक मेलिंग के तरीके से मिल बन्द की गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसी बात नहीं है । क्योंकि गन्ना अच्छी किस्म का नहीं था और नजदीक का समय था इसलिए सरकार ने रेट कम कर दी ।

श्री संतोषसिंह—गन्ने की रेट फिक्स करते समय किसानों से राय भी ली जाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह जो रेट कम की गई उसमें किसानों से भी परामर्श लिया गया था ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या पिछली साल की खांड महंगी बेचने के लिये यह किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास—बिल्कुल नहीं ।

श्री एच. के. व्यास—क्या यह सरकार को पता है कि मिल के बन्द हो जाने से क्या वह खांड ब्लेक से बेची जा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार वहां के पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट मंगाने की कोशिश करेगी ?

(प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री कानसिंह—कितने मन गन्ना बगैर पिला रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास—अब तो मौसम ही खत्म हो गया ।

श्री संतोषसिंह—जब किसानों से पूछकर भाव तय किया गया तो किसानों से माल क्यों नहीं लिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—जैसा कि मैंने पहले कहा हमने १ रु० १ आ० प्रति मन के हिसाब से गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया को सिफारिश की थी । उसके लिए भारत सरकार ने मन्जूरी नहीं दी, बहुत अरसे के बाद मन्जूरी आई ।

श्री खेतसिंह—अधिकांश राजस्थान की मिलें बन्द हो रही हैं । क्या हर मिल में कम्युनिस्ट प्रोपेगन्डा शुरू हो गया ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री एच. के. व्यास—जब भारत सरकार ने रेट कम करने के लिए मन्जूरी नहीं दी और इसके बाद मिल बन्द हो गई तो क्या यह समझा जाय कि रेट मन्जूर न होने के कारण मिल ब्लेक मेल (black mail) की तौर पर बन्द की गई है ।

श्री रामकिशोर व्यास—ब्लेक मेल का सवाल ही नहीं ।

श्री एच. के. व्यास—भारत सरकार के मन्जूरी देने के बाद क्या राजस्थान सरकार मिल बन्द करने में शह दे रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—शह बिल्कुल नहीं दे रही है ।

श्री एच. के. व्यास—आपने क्या भारत सरकार को इस बारे में रिकमन्डेशन नहीं की ?

श्री रामकिशोर व्यास—रिकमन्डेशन तो क्या, इसके लिये हम लोग खुद भी गये थे ।

श्री एच. के. व्यास—क्या राजस्थान सरकार ने मिल मालिकों को कहा कि रेट कम होने की गुन्जाइश नहीं, मिल चालू होना चाहिये ; इसकी सूचना नहीं दी ।

श्री रामकिशोर व्यास—इसका जवाब उसी वक्त दिया था ।

Page No.25

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—क्या यह सरकार को पता है कि प्रश्नकर्ता को मिल बन्द हो जाने से ५० हजार का नुकसान हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—आर्डर- आर्डर ।

श्री अध्यक्ष—लेजिस्लेटिव बिजिनेस ।

श्री जयेन्द्रसिंह—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले आश्वासन दिया गया था कि मेरे सवालों का जवाब तीन दिन बाद दिया जायगा लेकिन आज ६ रोज होगये उनका जवाब अबतक प्राप्त नहीं हुआ क्या मैं श्रीमान अध्यक्ष आपकी तरफ से अपने प्रश्नों के जवाब पाने की नाउम्मेदगी समझूं ।

श्री अध्यक्ष—कदापि नहीं ।

श्री जयेन्द्रसिंह-(अपना भाषण जारी रखते हुए) जब कि प्रश्नों का जवाब झालावाड़ से आगया है तो जवाब क्यों नहीं दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्या आपको जवाब का पता लग गया ?

श्री एच. के. व्यास—माननीय अध्यक्ष, इसी किस्म का मेरा भी प्रश्न है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—What Department these questions were related to ?

श्री अध्यक्ष—Government. They have been admitted.

श्री टीकाराम पालीवाल—Replies have been placed on the Table of the House.

श्री एच. के. व्यास—This is exactly what I say. One unstarred question No. 4(21/C. M.) was placed for answer on 18-2-53. I made enquiries from the Secretariat whether the answer has been placed on the table of the House and I was told that the answer has not been so placed. These are the facts. Now I submit my view for consideration and for explanation as to why answer was not made.

श्री अध्यक्ष—What is the number of the question?

श्री एच. के. व्यास—Q. No. 4, dated 18-2-53, *i.e.*, this was for answer on 18-2-53.

श्री अध्यक्ष—This has been received now.

Page No.26

श्री अध्यक्ष—Yes, Legislative Business, Shri Tika Ram Paliwal.

श्री एच. के. व्यास—Sir, I wanted to raise a point.

श्री अध्यक्ष—A question which has not been answered.

श्री एच. के. व्यास—Yes.

श्री टीकाराम पालीवाल—The question hour is over.

श्री एच. के. व्यास—That is why I sought your permission, Sir.

श्री टीकाराम पालीवाल—I am called upon.

श्री अध्यक्ष—You will enquire in the office.

श्री एच. के. व्यास—I have made enquiries from the office. That is why I want to bring this to the notice of the House.

श्री टीकाराम पालीवाल—I made all the answers.

श्री अध्यक्ष—Questions about which replies were to be placed on the Table of the House?

श्री एच. के. व्यास—Exactly, Sir.

विधान कार्य

राजस्थान अभ्यस्त अपराधी विधेयक, १९५३

श्री टीकाराम पालीवाल—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Bill to provide for the surveillance and control of habitual offenders in the State of Rajasthan be passed as amended.

श्री अध्यक्ष—Motion moved that the Bill to provide for the surveillance and control of habitual offenders in the State of Rajasthan be passed as amended.

Now I draw the attention of the Hon'ble Members to the provisions of Article 147. There is one more chance to discuss upon the Bill and the limitations have been prescribed in the relevant rule, and if the Members want to partake in the discussions, I can give time to them.

Page No.27

श्री हरिदत्त–माननीय अध्यक्ष, इस बिल पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ श्री महार का एक नोट ऑफ डिसेन्ट लगा हुआ है। उसके बाबत अभी तक मालूम नहीं हुआ कि क्या उसको कन्सीडर कर लिया गया है और सदन के सामने लाया गया? अगर वह लिया जा चुका है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है; मैं इस मोशन पर शुरु कर दूं और अगर वह नहीं लिया है तो क्या अभी उस पर कोई विचार किया जाय?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)–Sir, the Report of the Select Committee with the Note of Dissent by Mr. Man Singh of Mahar has been before the House and it has been considered as the Report of the Select Committee. The whole report as such has been Considered.

श्री जसवन्तसिंह–Sir, you will remember that yesterday also Shri Man Singhji made a request to the Chair that he should be allowed to speak on this motion since he has appended a Note of Dissent. The Chair was thereupon pleased to order or direct that he would be given time. What is the position for him now, Sir?

श्री अध्यक्ष—He has every right to speak. This is provided in the beginning of Rule 147.

श्री मानसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस बिल के बारे में मैं जिस समय अपना नोट ऑफ डिसेन्ट लिख कर दे रहा था उस समय सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग में इतनी जल्दी इसमें की गई और कहा गया कि इसी वक्त नोट ऑफ डिसेन्ट देना हो तो दीजिये, नहीं तो फिर नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं लिया जायगा। तो मैंने बहुत जल्दी में लिखा है और एक शब्द कुछ उलट पलट हो गया। "Convicted" के बदले "acquitted" हो गया। मैं नहीं कह सकता कि मैंने जो कागज में लिखा था उसमें भी यही था या यह प्रिन्टिंग मिस्टेक है। यह गल्ती दूर करने के बाद में अपने नोट ऑफ डिसेन्ट के विषय में २ शब्द सदन के सामने अर्पित करूंगा। ......

श्री मथुरादास—On a point of order, Sir, before Mr. Man Singh concludes his speech is the Chair in a position to give a ruling in interpretation of Clause 2 of Article 146 as declared yesterday?

श्री अध्यक्ष—I wanted to call the Advaocate-General to give his view over the interpretation. But I found that he is not in Jaipur. Anyhow, I paid my best consideration to the point which was in question and we cannot forget Rule 141 when we consider Rule 146. Rule 146 is in the same continuation in which the stage has been left after Rule 141. Rule 141 is the submission of the Bill clause by clause and after that, and after the motion for consideration has been carried, section 146 comes in. Now as regards the motion or taking the Bill to be passed on the same day, if it is objected

[श्री अध्यक्ष]

to by any member, provided the Bill is amended, if there are material amendments in the Bill, which causes confusion in the minds of the Hon'ble Members or in the House and it is necessitated that all the amendments should be brought in, rather the Bill should be re-drafted in the form, and Members may require reconsideration of the Bill as a whole, then, in that case, the motion for passing the Bill will not be taken on the same day. But in the case of the present Bill, there were amendments, no doubt. Various amendments were moved, but none of the amendments were accepted. So the question of the same day does not arise. Any way.........

श्री जसवन्तसिंह—Some amendments were passed.

श्री अध्यक्ष—But these amendments were not made the same day. So the interpretation given to my mind is that after the amendments are passed, the motion for passing the Bill will not be taken on the same day.

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—माननीय अध्यक्षजी, इस बिल के बारे में सदन में काफी बहस मुबाहसा हो चुका है। सिलेक्ट कमेटी में भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी और इसने इस सदन के वातावरण में काफी गर्मी बना दी थी। इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहकर अपने एमेंडमेंट के बारे में यही अर्ज करूंगा कि मैंने शुरू से ही यह कहा है कि यह काला कानून है, यह बड़ी घातक चीज है यह हमारे कॉन्स्टीट्यूशन के विपरीत है, हमारे फन्डामेन्टल राईट्स के खिलाफ है; इसलिये बिल को पास नहीं करना चाहिये। अगर यह सदन इस बिल को पास करेगा तो इस सदन के लिए यह एक कलंक की बात होगी। इसलिए मैं इस बिल के प्रोस एन्ड कोन्स में न जाकर, और ज्यादा बातें न कहकर, सदन से अपील करूंगा, मेरे दोस्तों से अपील करूंगा कि आज से पहले जो कुछ हुआ उसको भूल जाइये और अब इस समय मेरा जो अमेन्डमेन्ट रखा जाय तो उसका स्वागत करें और मेरे एमेंडमेंट को पास कर इस बिल को खत्म कर दें। बस मैं यही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री हरिदत्त—माननीय अध्यक्ष, आज इस बिल पर यह अन्तिम बहस है कि आया यह स्टेच्यूट बुक में लिया जाय या इसको रिजेक्ट कर दिया जाय। मैं अपनी जानकारी के अनुसार यह प्रार्थना करूंगा कि इसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए।

सबसे पहली बात यह है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जिसको कि कान्स्टीट्यूशन ने वायड करार दिया उसको एक अजीब ढंग से, कांस्टीट्यूशन की मन्शा को खत्म करते हुए, हेबिचुअल ऑफेन्डर्स के नाम पर यह बिल लाया गया है। मैंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को पढ़ा और यह पाया कि उसमें और इसकी दफाओं में कोई फर्क नहीं है।

बल्कि मैं यह कह दूं तो ठीक होगा कि इस बिल को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से कई गुना ज्यादा खतरनाक बना दिया गया है।

Page No.29

[श्री हरिदत्त]

पुराने समय में हमारे यहां भारतवर्ष में जरूर ऐसी जातियां थीं और अभी भी हैं जिनके लिए इस प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता थी और ऐसा कानून बनाया गया था । उन जातियों के सदस्य किसी कारण से, चाहे वह कारण भुखमरी हो या कोई दूसरा या अपनी सामाजिक त्रुटियों के कारण से ऐसा वे कार्य करते थे जिससे कि समाज ने उन्हें आक्रमणकारियों की श्रेणी में रखा और उनकी आदतों को सुधारने के लिये और दूसरी सभ्य जातियों के लोगों को, उनके आक्रमणों से रक्षा करने के लिये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया । मगर मैं यह कह देना चाहता हूं कि वह एक्ट कुछ चन्द जातियों के लिये ही था जो इस प्रकार का कार्य करती थीं । लेकिन आज हम देखते हैं कि इस बिल को पास करके क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की तरह की दूसरी जाति पैदा की जाती है और उसकी मंशा को पूरा करने के लिये तमाम मनुष्य जाति को हेबिच्युअल ऑफेन्डर्स के नाम पर परिणित किया जा रहा है । हमारे विधान के लागू होने से क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो विधान के विपरीत होने से रीपील हो जाता है, जैसा कि विधान के आर्टिकल १३, १४ और १५ में साफ दर्ज है कि कोई भी कानून जो हमारे फन्डामेन्टल राइट्स को क्रश (Crush) करते हों वे रद्द कर दिये जावें और आयन्दा कोई इस प्रकार का कानून नहीं बनाया जावे जो हमारे राइट्स पर इफेक्ट करता हो । मगर हम यहां पर देखते हैं कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जो भारतीय संविधान के लागू होने के बाद रीपील हो जाता है, के बजाय हेबिच्युअल ऑफेन्डर्स बिल, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, हमारे लिये बनाया जा रहा है । हमारे संविधान का आर्टिकल १३ बिल्कुल साफ है, जो इस प्रकार है :—

"13. (2) The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void."

इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करूंगा कि शायद इस बिल के बनाने वालों ने बहुत होशियारी से काम लिया है और एक तरकीब निकाली और वह यह कि उन्होंने इस बिल को बनाते वक्त क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के नाम को हटा कर उसकी एवज में हेबिच्युअल ऑफेन्डर्स वर्ड रख दिया । इस बिल में क्लास आफ ऑफेन्डर्स की कोई परिभाषा नहीं रखी गई है और न इसमें कोई ऐसी बात ही बताई गई है कि जिससे ऑफेन्डर्स की कोई क्लास बनती हो । मगर इस हेबिच्युअल ऑफेन्डर्स बिल को हम पर लागू करके विधान द्वारा दिये गये हमारे फन्डामेन्टल राइट्स को क्रश करने की कोशिश की जा रही है और जिस विधान द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को रद्द किया गया है उसी को दूसरे नाम से उसी शक्ल में कुछ रद्दोबदल के साथ हम पर थोपा जा रहा है ; यह अनुचित है । मैं पंजाब हाई कोर्ट के हाल ही के जजमेंट को पढ़ कर आपको सुनाता हूं जिसमें यह होल्ड किया गया है—

"His Lordship observed that the Criminal Tribes Act had been repealed by the President. This Act has............become ultravires because it contravenes Article 13, 14 and 15 of the Constitution."

एक सांसी जाति के व्यक्ति क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के आधीन के ऑफेन्स के खिलाफ अपील की और हाई कोर्ट ने यह तय किया कि उसको सजा बेजा दी गई । उन्होंने यह माना है कि वह ओफेन्डर नहीं क्योंकि यह एक्ट हमारे विधान के प्रोविजन्स की धाराएं १३, १४ और १५ को वॉइलेट करता है ।

[श्री हरिदत्त]

में यह कहूंगा कि जिस उद्देश्य को लेकर यह बिल बनाया गया है वह हमारे फन्डामेन्टल राइट्स को क्रश (Crush) करता है और हमारे विधान की धाराएं १३, १४ और १५ को वॉइलेट करता है। इसलिए ऐसे एक्ट जो हमारे विधान की धाराओं को वॉइलेट करें हमारे सदन के लिये बनाना मुनासिब नहीं है।

इसके अलावा हेबिच्युअल ओफेन्डर्स की डेफिनिशन भी ठीक नहीं है। जिस तरह से इसको डिफाइन्ड किया गया है वह डेफिनेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में दी हुई थी। हां, यह जरूर है कि उसकी फार्म को कुछ बदला गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की डेफिनिशन को डिस्टोर्ट करके ही इस बिल की डेफिनेशन बनाई गई है। इसमें क्लास ऑफ हेबिच्युअल ओफेन्डर्स जो बताई गई है that never gives the sense which this word carries. "Habitual" indicates something given to habit. वह बात इसमें नहीं आती है। मान लें कि एक व्यक्ति आज ही तीन वेरियस ओफेन्सेज पर सजा पाता है। वह इस बिल के अनुसार हेबिच्युअल ओफेन्डर माना जायगा। ऐसा हेबिच्युअल ओफेन्डर एक ही जुर्म को बार बार तीन दफे करे तब वह हेबिच्यअल ओफेन्डर कहलावेगा; यह बात भी साफ नहीं है। "Three times" means repetition of the same offfence, but a man who is convicted, without repetition of the same offence, stands on a different footing. If a man is convicted once, if a man is convicted twice or if a man is convicted thrice on different occasions he shall not be treated as a habitual offender. इसमें कहीं इस बात का पता नहीं लगता कि "thrice" से क्या मतलब है। हेबिच्युअल ओफेन्डर्स से यह मतलब हो सकता है जैसा कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में दर्ज है: "Addicted to the systematic Commission of a non-bailable offence" यह सेन्स जब तक नहीं आवेगी तब तक कोई habitual हेबिच्युअल ओफेन्डर नहीं कहा जा सकता। हमारा यह बिल फ्राम दी वेरी स्टार्ट वेग है और मैं यह कहूंगा कि हमारा यह बिल इतना वेग हो जावेगा कि लॉ कोर्टस् भी इस एक्ट से दिक्कतें महसूस करेंगी। इस बिल द्वारा तमाम मनुष्य जाति को पाबन्द किया गया है। प्रेजेन्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट मनुष्य जाति के हित के लिये है, न कि मनुष्य जाति को तबाह करने के लिये। कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाना चाहिये जिससे मनुष्य जाति म तबाही पैदा करे। यदि इस प्रकार का बिल पास होगा तो कोई भी व्यक्ति इसकी तारीफ नहीं करेगा और हम लोग उन व्यक्तियों और जातियों के प्रति, जिन्होंने कि हमें अपने वोट देकर यहां भेजा है और कानून बनाने के अधिकार दिये हैं उनके प्रति विश्वासघात करेंगे। इसके अलावा हमें जो विश्वास कांस्टिट्यूशन ऑफ इन्डिया द्वारा दिया गया था उसका भी विश्वासघात होगा। इसके अलावा "ड्यूरेशन ऑफ टेन ईयर्स" के शब्द भी अपने अजीब मायने रखते हैं। जब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बना था तब उसके अनुसार कुछ जातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स में लाना था, उनकी हिस्ट्री शीट तैयार की और उसके बाद उन लोगों के नाम रजिस्टर में दर्ज किये गये। मगर नये विधान के बाद वह क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट रीपील कर दिया गया है और उन लोगों को आजादी दे दी गई है। इस बिल के बनाने का मतलब यह है कि उनको फिर से संभाल लिया जावे। इसलिए यह "within 10 years" शब्द रखे गये हैं। इसके साथ

[श्रीं हरिदत्त]

साथ इसमें "कन्विक्शन" शब्द काम में लाया गया है । अगर एक चाइल्ड गलती करता है तो he is under Section 562 of the Criminal Procedure Code convicted and admonished only. अगर उसके एक दो दिन बाद फिर वह गलती करे तो फिर उसको सजा दी जायगी और उसको इस बिल के अनुसार रजिस्टर्ड किया जा सकता है । नतीजा यह होगा कि his life is ruined and he is not supposed to be a member of his honourable house or his honourable family. अतः यह एक बहुत जबरदस्त नुकसान होगा ।

बहतर यह है कि अगर कोई जाति वाकई में इस काबिल है कि जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो तो सरकार को चाहिये कि वह ऐसे कार्य करे जिससे विधान में कोई चेन्जेज करादे और उसके बाद इस प्रकार का कोई एक्ट बनाया जावे जिससे किसी क्लास ओफ ओफेन्डर्स का नाम होता ।

सेक्शन ३ में मैंने एक बात यह देखी है कि जब तक उसका नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता तब तक कोई कानून उस व्यक्ति को इस बात के लिये बाध्य नहीं कर सकता कि वह किसी जगह जाए और शो काज ((show Cause)) करे कि उसका नाम रजिस्टर में क्यों नहीं दर्ज किया जाय । उस आदमी की जैसी मर्जी है जहां वह जाए और उसकी मर्जी नहीं है तो वह न जाए । हां, अगर उसका नाम दर्ज हो तब तो आप कह सकते हो कि उसको हाजिर होना चाहिये, वरना नहीं कह सकते । नाम दर्ज हो जाने पर अगर वह हाजिर नहीं होता है तो आप उसको पनिशमेन्ट दे सकते हैं । If I am asked to appear and I do not appear I am certainly liable to be convicted. अगर देखा जाय तो यह सेक्शन ३, जो हेबिच्युअल ओफेन्डर्स बिल में है, वह क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से विथ सरटन एमेन्डमेंटस् कोपी किया हुआ है । ओफेन्स तो तब होता है जब कि मेरा नाम दर्ज रजिस्टर हो और मुझे बुलाया जाए और मैं नहीं जांऊं । हमने इस तरफ तवज्जो दिलाई, मगर हमारे माननीय मंत्री महोदय या उनके दल के सदस्य इस बात पर जाते हैं कि वे मेजोरिटी में हैं ; अतः जिस तरह से हो इसको पास कर दिया जाए ।

मैं इस पर अधिक समय न लेकर यही अर्ज करूंगा कि इसमें वैसी ही सस्पीशिअस सरकम्-स्टेन्सेज लगा दी गई हैं जैसी कि क्रिमिनल ट्राइब्ज एक्ट में थीं । वह आदमी हर वक्त सस्पिशिअन की हालत में पुलिस के पंजे में रहेगा या जेल में रहेगा । उसकी जिन्दगी या तो जेल में गुजरेगी या उसको पुलिस वालों के पंजे में हर समय रहना पड़ेगा । हेबिच्युअल ओफेन्डर्स बिल के रूल्स करीब करीब वे ही हैं जो क्रिमिनल ट्राइब्ज एक्ट के थे । विद सरटन एमेन्डमेंट्स उस कानून की कापी करके इस बिल में रख दी गई हैं । इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ने, जिसके खिलाफ फैसला दे दिया, उसको स्टेट गवर्नमेण्ट ही सुन सकेगी, दूसरी कोई अदालत नहीं सुन सकेगी । यह एक ऐसी बात है कि इससे एग्जि-क्युटिव को वास्ट पॉवर्स मिल जाते हैं । इसलिए मैं यह कहूंगा कि अपील सुनने के पॉवर्स अदालतों को जरूर होने चाहिये । इसमें यह होना चाहिये था कि गवर्नमेंट के बाद क्रिमिनल कोर्टस, सेशंन जज आदि को इसके खिलाफ अपीलें सुनने का अधिकार होगा ।

जब मैं शिडयूल की तरफ देखता हूं तो मुझे यह मालूम नहीं होता कि किस कोड के चेप्टर्स इसमें दर्ज किये गये हैं ।

श्री खेतसिंह—इण्डियन पीनल कोड के चेप्टर्स हैं ?

श्री हरिदत्त—इसके साथ साथ इस चेप्टर में वह सेक्शनस भी दर्ज कर दिये गये हैं जो पीनल कोड के चेप्टर वारण्ट में भी नहीं हैं। Take by way of instance section 216. That clause falls within the Chapter 11 and not 12.

ऐसी सूरत में मैं यही कहूंगा कि यह बिल ठीक नहीं है। इसके अलावा इसमें उन जुर्मों का भी एडिशन कर दिया गया है जिनमें आपसी झगड़ों की मारपीट के लिए सजा है; जैसे सेक्शन ३२४ तथा ३२६, आई. पी. सी, जिनको कि क्रिमिनल ट्राइब्स के लिये प्रोवाइड किया गया था। इन सेक्शन्स को ३०४ आई. पी. सी. के साथ में रक्खा है। मैं तो यह कहता हूं कि भारतवर्ष में हम लोग पहले ही बहुत बनिये बने हुए हैं। मैं फैरोसिटी ऑफ मैन को एन्करेज तो नहीं करता पर साथ ही यह भी कहूंगा कि फैरोसिटी आफ मैन को डिस्करेज करना भी एक खतरनाक चीज है। ऐसा करना हमारे लिए बहुत बुरा हो जावेगा।

श्री टीकाराम पालीवाल—फैरोसिटी ऑफ मैन को आप और एन्करेज कीजिये! इसको रोकने के लिये यह बिल बनाया गया है।

श्री हरिदत्त—(जारी) मनुष्यता का हनन जो इस ३०४ आई. पी. सी. के जुर्म से किया जाता है उससे कहीं ज्यादा हनन इस एक्ट से हो रहा है।

We have come here to frame laws, with calm and cool mind. We would not allow people outside to say that they could not expect better laws from those who were once lawbreakers and now they had come to frame laws.

(करतल ध्वनि)

Excuse me, Sir for this. I heard this outside from one gentleman.

इसलिये इस एक्ट पर फिर से विचार किया जाय, फिर से इस पर मनन किया जाय या साल भर के लिये इसे पोस्टपोन किया जाय; जब कि इस सम्बन्ध में पंजाब हाई कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, इस बिल पर बोलने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग कोई बात ऐसी नहीं करना या कहना चाहते हैं कि जो गवर्नमेन्ट के शासन चलाने में रुकावट डालने वाली या गवर्नमेन्ट को बदनाम करने वाली हो। हम ईमानदारी से हाउस के सामने अपने विचार रखना चाहते हैं, जो हम या हमारी कॉन्स्टीट्युएंसी के लोग महसूस करते हैं। इसलिये जो बात हम कहते हैं उसे मेरे मित्र जो उधर बैठे हैं और खास तौर से मन्त्री महोदय, जो इस बिल को लाने के लिये जिम्मेदार हैं, हमारे इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये इस बिल पर इसी तरह से विचार करें।

मैं इस बिल को बड़ा खतरनाक समझता हूं। such a dangerous Act was never seen by me before. मैंने आज तक ऐसी खतरनाक चीज अपने जीवन में कभी नहीं देखी।

श्री टीकाराम पालीवाल—Not even the Rawlatt. Act ?

श्री गोपीलाल यादव—मैं बता देना चाहता हूं कि यह बिल आज इस हाउस की तरफ से ऐलान करता है कि इस देश में (इस प्रान्त में) प्रजातन्त्र का खात्मा कर दिया गया है और कर दिया जायगा। अगर ऐसे कानून को देखकर लोग आज भी यह समझते हैं कि हमारे यहां प्रजातन्त्र है तो वे बेवकूफ हैं।

इस बिल की मंशा क्या है, इसको जब मैं सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी समझ में तो इसकी मंशाएं दो हैं। पहली मंशा तो इस बिल की यह है कि हमारे ओपोजिशन के डिप्टी लीडर, उपनेता जो यहां बैठे हैं उनको जेल में बैठा दिया जाय और यहां से छुपा दिया जाय।

श्री टीकाराम पालीवाल—I dare pay that Mr. Haridutta will never get convictions.

श्री गोपीलाल यादव—थ्री कन्विक्शन्स की जांच का मौका ही नहीं आयगा। जब आपके इशारे से पुलिस वालों ने नाम दर्ज कर लिया तो यह आखिर आप ही के पास दर्ख्वास्त करेंगें और आप उस दर्ख्वास्त को जांच के लिये अफसर को देगें। वह अफसर अगर ईमानदार हुवा तो लिख देगा कि यह तीन बार का कन्विक्ट नहीं है। आखिर वह रिपोर्ट आपके पास ही आवेगी। आप जब इस बात पर तुले हुए हैं तो उस अफसर की रिपोर्ट, रिकमेंडेशन को नहीं मानेगें और फैसला दे देंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो हुक्म दिया है वह सही है।

इससे बचने का कोई उपाय बता दें तो मैं समझूंगा कि ईमानदारी से यह बिल बनाया गया है। माननीय मन्त्री महोदयों से और मेरे मित्रों से जो उस तरफ बैठे हुए हैं मैं अर्ज करूंगा कि इसको समझने की कोशिश कीजिये। (हंसी) हंसने का वक्त नहीं है। यह इस बिल की आखरी रीडिंग है; कोई उपाय इससे बचने का नहीं हो सकता क्योंकि पहले तो सैशन कोर्टस् को ही नहीं माना और फिर तीन दफा की सजायाबी है कि नहीं; इसका फैसला भी आपके ही पास आयगा।

इस बिल की जो दूसरी मंशा है वह है इन्नोसेंट को फंसाने की। एक १० साल का हेबिच्युअल ओफेंडर है और उसका नाम चाहे दर्ज किया हुआ है तो भी उस हेबिच्युअल ओफेन्डर को, माननीय मंत्रीजी अगर देखेंगें कि उसका उनकी कान्स्टीट्युएंसी में अच्छा असर है तो उसको इशारा कर दिया जायगा कि अपील कर दो। अपील के कागज़ात दूसरे अफसर के पास जाते ही वह अफसर रिपोर्ट करेगा कि यह हेबिच्युअल ओफेन्डर है। पर आखिर वे कागजात आखरी फैसले के लिये आप ही के पास आवेगें। आप उसका नाम हेबिच्युअल ओफेन्डर की लिस्ट से रद्द कर देगें। सिवा इसके इस बिल की और कोई मंशा नहीं हो सकती। इसकी जांच के लिये सरकार जो अफसर मुकर्रर करेगी, उसकी रिपोर्ट का स्टेट गवर्नमेन्ट के पास आने का जो प्रोवीजन आपने रखा है इसका सिवा उपरोक्त दो मंशाओं के और कोई मतलब नहीं हो सकता। अगर कोई इसका इन दो के सिवा और कोई मतलब बता देगा तो मैं हाउस के सामने अपना विरोध समाप्त करने को तैयार हूं।

फंडामेंटल राईट्स का यह खात्मा करता है पर इसके अलावा सबसे बड़ी चीज एक और है; जो फंडामेंटल राईट्स के अलावा विचार के लिये बहुत अहम है। इस बिल में एक धारा रखी गई है

Page No.34

[गोपीलाल यादव]

जिसमें इसके सबसीक्वेंट ओफेंस के लिये दस साल की एडीशनल सजा रखी गई है । हेबिच्युअल ओफेन्डर मान लिया जाय और ३ बार का सजायाफ्ता है और उससे २ ओफेन्सेज और हो जाते हैं तो कायदे से उसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिये । किन्तु दोनों में मिल कर दस साल हो जाती है और हर एक ओफेन्स के लिये दस दस साल और कर दीजिये; यानि पहले में १० साल, दूसरे में २० साल और तीसरे में ३० साल तो यह कोई जुरिसप्रुडेन्स का सिद्धान्त नही हो सकता । आपके लॉ ओफ क्राइम्स में दिया है कि यदि कोई आदमी हेबिच्युअल ओफेन्डर है तो उसके लिये नये आदमी से ज्यादा सजा हो सकती है । एक आदमी जो बार बार क्राइम करने वाला है उसको किसी जुर्म में मेग्जीमम सजा दी जायगी और यदि कोई जुर्म करने वाला नया ही आदमी है और उसके सुधरने की गुंजायश है तो उसको मेग्जीमम सजा न देकर छः माह की, एक साल की या दो साल की सजा दे देंगे। इसके अलावा कहीं कानून का सिद्धान्त ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से आप हरएक एडीशनल जुर्म के लिये दस दस साल और बढाते जावें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून में जितनी चीजें देखने को मिलेंगी वे सब इसी प्रकार की मिलेंगी ।

एक इसके अन्दर सस्पीशियन का सवाल भी है; रीजनेबल सस्पेक्टेड । एक तो यह है कि चाहे कोई ओफेन्स करे या न करे उसको सस्पेक्ट किया जाय तो वगैर वारण्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है । अभी मैंने देखा कि कौनसा ओफेन्स है जिसमें सस्पेक्टेड दर्ज किया जा सकता है, सस्पेन्शन आ सकता है । कोई आदमी कहीं घूमता फिरता पकडा जाय तो कहा जा सकता है कि इस पर शक है इसलिये पकडा गया । चोरी का अन्देशा हो उसके लिये तो अलग धारा रखी गई है। सेक्शन १० में दिया हुआ है कि पेरा ८ के अन्तर्गत जो रूल्स बनेंगे उनका ब्रीच करने पर भी वह ओफेन्स होगा । उसमें बिना वारन्ट कोई आदमी पकडा जा सकता है, यह सेक्शन १०(२) में दिया गया है । कोई कैसे पहचान सकता है कि गवर्नमेन्ट ने रूल्स कैसे बनाये हैं ? इन रूल्स को किसी ने तोड़ा है ऐसा सस्पीशियन हो जाय तो भी पकड़ा जा सकता हैं । इसी तरह की कई चीजें इसमें शुरू से आखिर तक भरी पड़ी है । एक बात में और बता देना चाहता हूं जो यह है कि ब्रिटिश राज्य के जमाने में जब किसी को डिटेन करना चाहते थे तब उस आदमी के और उसकी फेमेली के मेन्टेनेन्स की जिम्मेदारी गवर्नमेन्ट पर होती थी । आप एक आदमी को काम करने से रोकें क्योंकि आपको अधिकार है । आपने कहा, फलां जगह रहना है और घरवालों से दूर रहना है तो वह घरवालों से अलग रहेगा । घर में वही कमाने वाला है तो किस प्रकार घरवालों की परवरिश होगी , उनकी कमाई के लिये मेनेज कौन करेगा ? आपने किसी को उसके घर से ५० मील दूर भेज दिया पर उसके ओरिजिनल होम में बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी किसने ली है ? उसकी जमीन जायदाद का इन्तजाम कौन करेगा , उनको खाना कौन खिलायेगा ? इन बातों का यहां कहीं जिक्र नहीं है । यह चीज फंडामेन्टल राइट्स के खिलाफ है । यदि कोई जुर्म करता है तो कोर्टस् में जाइये । सब लोग प्रोटेक्शन ओफ राइट्स की डिमान्ड करते हैं ।

दूसरी बात यह भी है कि क्रिमिनल ट्राइब्स में बहुत से आदमी ऐसे हैं जो वास्तव में अपराध नहीं करते ; परन्तु उस जाति के होने के कारण व्यर्थ में पकड़े जाकर सजा भोगते हैं । पिछले दस साल में ऐसे कई वाके हुए हैं ; मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करता हूं । एक बार भरतपुर से कुम्हेर

[श्री गोपीलाल यादव]

की ओर कुछ गाडियां चली जा रही थी। उनके पीछे डाकू लग गये। उन्होंने यह समझ कर उनका पीछा किया कि कुछ दूरी पर बावरियों का गांव है इसलिये उस गांव के पास पहुंचने पर इन गाडियों को लूट लेंगे और भाग जावेंगे, पुलिस को बावरियों पर शक होगा और दर असलमें हुआ भी यही। बावरियों के गांव के पास वे गाडियां लूट ली गई और डाकू भाग गये। पुलिस में रिपोर्ट की गई। पुलिसवालों ने बावरियों के गांव में जाकर कुछ बावरियों को पकड लिया, हालां कि उनको गिरफ्तार करने का कोई रीजन नहीं था पर क्योंकि वे क्रिमिनल ट्राइब्स के थे इसलिये पकड़ लिये गये और झूठी गवाहियें दिलवा कर पुलिस ने उनको सजा दिलवा दी। पास में ही एक ब्राह्मणों का गांव था पर उस गांव में से एक को भी नहीं पकडा गया। इस प्रकार के उदाहरण इतने मिल जायेंगे कि हेबिच्युअल ओफेन्डर्स से आपका रजिस्टर भर जायगा। सारी कौम की कौम आपको इस तरह की मिलेगी।

सेकन्ड ऐतराज मेरा यह है कि यदि इस एक्ट को आप चुनाव से पहले बनाते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप यहां बैठे हुए नहीं मिलते। लेकिन उस वक्त क्रिमिनल ट्राइब्स को रद्द कर दिया गया। उन लोगों के वोट्स लेकर आप यहां आ बैठे। अब आप उन्हीं लोगों को, जिनके वोटों से आप यहां आ बैठे हैं वापिस दूसरे नाम से फिर फांसना चाहते हैं। अभी आप इस बिल पर हाउस को डिजाल्व करिये और रीइलेक्शन मोक करिये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग दुबारा यहां नहीं होंगे। आप अपने इलेक्शन मेनिफेस्टों में, अपने भाषणों में, अपनी कॉनस्टीटयुएन्सी में, यह कहा था कि हम किसी तरह का भेद, भाव नहीं रखेंगे, क्रिमिनल ट्राइब्स आदि नहीं रखेंगे। अब आप उन्हीं के खिलाफ वोट देकर, वगैर उनकी राय के, अपने वायदे को तोड़ रहे हैं, यह डेमोक्रेसी के मूल सिद्धान्तों के खिलाफ है। चुनाव के पहले भी यह चीज मौजूद थी। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट मौजूद था। आपने उस वक्त यह प्रचार किया था कि हमनें मीणों, बावरियों को दूसरी जाति के बराबर कर दिया है। आज आप उसी चीज को दूसरे नाम से वापिस ला रहें हैं। आप इस चीज को गौर से देखिये; इस पर ध्यान दीजिये। जितनी आपकी मशीनरी है, पुलिस वगैरह है उन पर आप ज्यादा विश्वास न करें, जनता को आप बुरा न समझें। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि यदि हम एसे लोगों को चोर, डाकू, बेईमान, देशद्रोही समझने लगेंगे तो मुमकिन है वे वैसे ही बन जायें। यदि आप उनमें विश्वास करतें हैं तो उनको पंचों के जरिये इकट्ठा कीजिये और उनकी पंचायत के साथ उनका यह समझाइये कि देखो यह एक्ट हमने उठा लिया है, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि चोरी वगैरह बन्द करो और हमारी मदद करो और यदि चोरी वगैरह बन्द नहीं करोगे तो लोग हमें कहेंगे कि यह एक्ट रद्द कर दिया गया, इसलिये चोरियों की संख्या और बढ गई; तुम सब मिल कर हमसे कोओपरेट करो इत्यादि तो मैं कहता हूं कि आप को कोओपरेशन मिलेगा।

मैं एक दो बातों पर और प्रकाश डालना चाहता हूं। एक तो यह है कि कोर्ट का प्रोटेक्शन देना जरूरी है। आपने सेक्शन १४ में कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की बार लगा दी है। वह यह है कि :—

"No court shall question the validity of any direction made under section 5 or any notification issued under section 6 on the ground that the provisions herein-before contained, or any of them have not been complied with, or shall entertain

[श्री गोपीलाल यादव]

in any form whatever the question whether they have been complied with ; but every such notification shall be conclusive proof that it has been issued in accordance with law ".

आप अपने अफसरों को कह रहे हैं कि तुम चाहे जितनी धांधलेबाजी करो, बेईमानी करो, हमने कानून बना दिया है; कोई तुम्हारे एक्शन्स को चेलेन्ज नहीं करेगा ।

जब आप इसके अन्दर यह रख देतें हैं तो आपके कायदे क्या माने रखते हैं ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप रूल्स बनायें ; किन्तु उनकी पाबन्दी जरूर करावें । किन्तु आपको डर पैदा हो रहा है कि आपके द्वारा जो ऑर्ड्स पास किये गयें हैं उनकी पाबन्दी आपके अफसर नहीं करते हैं, आप के अफसर इतने अयोग्य हैं कि आपके द्वारा बनाये हुए कानूनों को समझ नहीं सकते, वे गलतियां करते हैं। उन्हीं बेसीस पर आप चाहते हैं कि एक कानून बना दिया जाय जिससे आपके ऑर्ड्स को चेलेन्ज किया जा सके , आपकी हर रेग्यूरीटीज को चेलेन्ज न किया जा सके और इसलिये यह ऐलान कर दिया जाय कि उन इर्रेग्युलेरिटीज को सही माना जाय। मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि कहीं दुनियां के अन्दर इस तरह के कानून बनाये जाते हैं ? उन कानूनों को देख कर मैं बतला देना चाहता हूं कि मुझे दुख होता है। इसके साथ ही साथ खुशी इस बात की है कि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड और दूसरे कानून तब बने थे जब ये हुकूमतें नहीं थीं। उस वक्त वे हुकूमतें थी जो न्याय करना पसन्द करती थी। (ट्रेजरी बेन्च की ओर से हंसी) अगर उनको अन्याय करना होता तो उनके तरीके दूसरे थे; किन्तु कम से कम कानूनी किताबों के अन्दर तो कोई चीज अन्याय की देखने को नहीं मिलती। अगर वे कानून नये सिरे से बनें तो देश का सत्यानाश हो जाय। आप धारणा पैदा कीजिये, विश्वास पैदा किजिये । डेमोक्रेसी में एक पार्टी की आज गवर्नमेन्ट है ; तो कल दूसरी पार्टी की। न्याय हो। कानून कोई गलत न बने। कानून कानून की नीति से बने, धांधली बाजी से नहीं।

अन्तिम जो बात कहनी है इस कानून के बारे में.........

एक सदस्य--क्या यादव जी के साथ ही यह तय कर लिया गया कि वे ही वे बोलेंगे ? क्या दूसरे सदस्यों को कोई समय नहीं दिया जावेगा ?

श्री **अध्यक्ष**--ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री गोपीलाल यादव--तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि इस कानून के जो क्लॉजेज कल पास किये गये थे वे विधान और कानून के खिलाफ पास किये गये थे। इस वजह से वे रद्द कर दिये जाने चाहिये। इसका कारण यह है कि हम लोगों को अधिकार था, हर एक सदस्य को अधिकार था, जिसने अमेन्डमेन्ट रखे थे और नहीं भी रखे थे तो वे उनके बारे में अपनी सम्मति दें। किसी वजह से माननीय अध्यक्ष उस समय भूल कर गये थे। वह भूल यह थी कि शायद उस समय वह कानून उनके सामने नहीं आया हो या उनके देखने में नहीं आया हो। हर एक अमेन्डमेन्ट पर हर एक आदमी बोल सकता है।

श्री मानाराम--क्या माननीय सदस्य स्पीकर के रूलिंग को चेलेन्ज कर रहे हैं ?

श्री गोपीलाल यादव—इलिंग का सवाल नहीं है। गैर तरीके पर जो चीजें पेश हुई थीं, उन पर एतराज है। जो तय किया गया था कि हरएक आदमी को बोलने का अधिकार नहीं है, वह गलत है। हमारे द्वारा जो अमेन्डमेन्ट्स रखे गये थे उन पर भी बोलने का समय नहीं दिया गया। ऐसा सिस्टम तो कहीं नहीं हो सकता है कि अमेन्डमेन्ट्स को एकदम रिजेक्ट कर दिया जाय। इसके लिये यह जरूरी है कि नये सिरे से इसे समझदार आदमियों की एक कमेटी के सुपर्द किया जाय; ताकि वह कानून बना कर फिर पेश करे। इन शब्दों के साथ "इसे वापिस ले लिया जाय" हाउस से अपील करूंगा।

श्री खेतसिंह—श्री गोपीलाल यादव ने काफी समय ले लिया है। मैं आपका अधिक समय लेना उचित नहीं समझता, न मैं इस बिल की क्या मंशा है अथवा किसके लिए पास किया जा रहा है, इससे क्या मकसद हल होगा, कुछ नहीं कहना चाहता! मैं कुछ न कह कर केवल यही कहूंगा कि अब गवर्नमेन्ट इस बिल के पास करने के लिये उत्सुक है और इसलिये इस बिल को पास करने के पहले शिड्यूल देखना आवश्यक है। शिड्यूल में कुछ सेक्शन्स ऐसे हैं जिनको निकाल देना जरूरी है और उनमें से माननीय मन्त्रीजी ने २३१ और २३२ को मंजूर कर लिया था। इसके अलावा सेक्शन ३२४ और ३२५ भी मेरे खयाल से हटा दिये जाने चाहियें। ("३२५ तो हटा ही दिया गया है" आवाज) मेरा मतलब है ३२६ सेक्शन को भी हटा दिया जाय; क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर डाक्टर लोग सर्टिफिकेट दे दिया करते हैं। ऐसा हुआ ही करता है और इस वजह से आगे उनका कन्विक्शन हो जायगा। इस प्रकार जो सेक्शन ४११ है वह भी अवश्य हटा दिया जाना चाहिये, क्योंकि ४११ स्टोलन प्रोपर्टी के बारे में है और आये दिन छोटे छोटे मामले जैसे पशु आदि; जिनमें बकरी, भेड और दूसरे छोटे जानवर भी आ जाते हैं और इधर से उधर अक्सर चले ही जाया करते हैं। इस प्रकार के तीन कन्विक्शन हो जाने पर बड़ी मुश्किल हो जायगी। अतः सेक्शन ४११ को निकाल ही दिया जाना चाहिए। ४१२ सेक्शन तो अवश्य ही रहना चाहिये क्योंकि इसमें तो डकैती के माल से सम्बन्ध है। ४१७ भी हटा लिया जाना चाहिये। २१६ (ए) हारबरिंग दी रोबर्स एण्ड डेकोइट्स है। अक्सर ऐसा हुआ करता है कि कोई भी आदमी अपने किसी मित्र या कुटुम्बी के यहां जाकर रह जाय और बाद में मालूम पड़े कि वह हेबिच्युअल ओफेन्डर है तो शरण देने वाले को भी हेबिच्युअल ओफेन्डर करार दिया जावेगा, अतः इसे भी हटा दिया जाना चाहिये।

भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा में जब यह बिल प्रस्तुत हुआ और उस पर विचार होना आरम्भ हुवा उस वक्त से ही इस बिल पर बहस शुरू हुई। यह बिल इस प्रकार का बदकिस्मत रहा कि सदस्यों को सदन से बाहर जाना पड़ा और वह भी एक दफा नहीं बल्कि दो दफा। दो दिन में इस सदन से सभी सदस्य बाहर चले गये और ऐसा भी हुआ कि इस सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रति भी अविश्वास का प्रस्ताव आ गया। यह बिल कुछ खुश किस्मत भी है कि जब इस पर विरोध हुआ तो इस प्रकार हुआ कि इस सदन में कभी ऐसा विरोध नहीं हुआ और पास हुआ तो इस हालत में हुआ कि इस तरह का बिल कोई इस सदन में कभी पास नहीं हुआ। विरोधी दल की ओर से अमेन्डमेन्ट पेश हुए जिस पर सरकार का विरोध था। परन्तु विरोध समाप्त भी नहीं हुआ, "हां—नां" कहने वाले भी नहीं थे परन्तु फिर भी यह बिल पास हो गया।

इस बिल में सबसे खराब जो चीज है वह यह है कि इस बिल द्वारा जिन व्यक्तियों पर असर पड़ेगा उन व्यक्तियों के लिए कोई इस तरह का प्रोविजन नहीं है कि वे चाल-चलन को किस प्रकार से शुद्ध बना सकते हैं और समाज में उस स्तर पर आ सकते हैं जिस स्तर पर न रहने देने के लिए उन्हें बाध्य किया गया है। इस विषय में मैं आपके समक्ष जापान का एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करूंगा। जापान में जिन अपराधियों को पहली मर्तबा सजा मिलती है तो उन अपराधियों के चाल-चलन को दृष्टिकोण में रखते हुए उस सजा का भुगतान नहीं कराते हैं बल्कि उसे रिजर्व कर देते हैं और वह इसलिये कि आयन्दा यदि वह ऐसा क्राइम करेगा तो उसको क्राइम करते हुए पहली सजा जो रिजर्व में रखी गई है और भुगतनी है उसका अवश्य खयाल आवेगा। नतीजा यह होता है कि जिस क्राइम की सजा उसके लिये नियुक्त रखी जाती है उससे उसके दिमाग में यह डर रहता है कि अगर वह दूसरा क्राइम करेगा तो जो सजा उसके लिए रिजर्व रखी गई है वह उसको भुगतनी पड़ेगी और दूसरे क्राइम की सजा उसको और मिल जायगी। हमें जापान की तो नकल करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बातों की नकल करने के तो माननीय सदस्य अभ्यस्त नहीं हैं। मैंने इसी ख्याल से सदन के सामने एक अमेन्डमेन्ट रखा है। मैं चाहता था कि सदन इसको पास करता। मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार था....................

"Delete Clause 14 and substitute the following :—

"A person shall be entitled to erasure of his name from the register of habitual offenders irrespective of the rules made under this Act if—

(*a*) It is proved to the satisfaction of the village Panchayat that he has been leading a life indicating good behaviour for continuous five years from the date of the registration, and

(*b*) he passes an examination on any of our religious works from the reformatory established under this Act."

अध्यक्ष महोदय, ऐसे व्यक्ति के लिए यह एक प्रकार का लालच है। मैं समझता हूं कि यदि ऐसे व्यक्ति के लिये यह रखा जावे कि ५ साल की अवधि तक यदि वह शख्स नेक चाल-चलन का रहता है और इस बीच में कोई क्राइम नहीं करता है तो इस संशोधन के अनुसार वह आटोमेटिकली इस बिल के प्रभाव से दूर होजाता है। तो वह कोशिश करेगा कि वह किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं करे और नेक चाल-चलन रहे। परन्तु यह स्वीकार नही हुआ।

दूसरा जो मेरा संशोधन था वह यह था कि रिफॉर्मेटरी स्कूलों में जैसा यू. पी सरीखे प्रान्तों में खूबी के साथ प्रयोग में आना प्रारम्भ हुआ है वैसे ही इन रिफॉर्मेटरी स्कूलों में भी धार्मिक शिक्षा का भी प्रबन्ध होना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय, महर्षि बाल्मीकि, गुजरात के कृष्णा बोडाना सम्राट चन्द्रगुप्त के समय की वैश्या चित्रलेखा के उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं।

महर्षि बाल्मीकि और कृष्णा बोडाना एक प्रकार के अपने समय के जबरदस्त क्रिमिनल्स थे। लेकिन जब उन्हें धार्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको यह मालूम हुआ कि मानव की यह देह किसलिये ईश्वर ने दी है और मानव का क्या उत्तरदायित्व है तो उन्होंने क्राइम करने से ही विश्राम नहीं ले लिया वरन् अपने समय के महान ऋषि-मुनि हो गये।

इसी तरह चित्रलेखा ने भी जब यह जाना कि उसने यह मनुष्य जन्म क्यों पाया, इसका क्या उद्देश्य है तो उसने अपना व्यवसाय छोड दिया; भगवत्भक्त बन गई। यह सब आज बच्चा बच्चा जानता है।

इसी प्रकार से इस शिक्षा के साथ एक ऐसा कोर्स भी रख दिया जाय कि जिसके पास करने के बाद उसका नाम इस लिस्ट से हट जाए और इस बिल के प्रभाव से भी वह दूर हो जाय। इससे धार्मिक प्रचार भी होगा और वास्तविक ज्ञान भी होगा और इसके साथ साथ समाज का भी उत्थान होगा। पर जल्दी के कारण इस पर कोई विचार नहीं किया गया; ऐसा लगता है।

दूसरी चीज जो कहनी है वह यह है कि कोई ऐसी चीज इस बिल में नहीं दिखाई देती कि इन क्राइम्स का बेसिस क्या है? ये क्राइम्स क्यों होते हैं? इसके लिए मैं अर्ज करता हूं कि इसका मुख्य कारण है शराब का पीना, जितने भी क्राइम्स होंगे शराब के कारण होंगे। आधे तो शराब के नशे के कारण किये जाते हैं और बाकी आधे ऐसे होते हैं कि शराब के लिए पैसे की प्राप्ति करना।

इसके लिए शराब पीने वालों के गिरोह बनते हैं। अकेला आदमी शराब नहीं पी सकता। पांच-सात मिलकर पीवेंगे और ये पांच आदमी नशे में क्राइम्स करने को चल पडते हैं। कुछ आदमी जिसको पीने की चाट पड़ गई अब पीने के लिए पैसे की फिराक में चोरी करता है और चोरी के १००) रुपये के माल को बीस रुपयों में बेचकर शराब खरीदता है और अपने व्यसन को पूरा करता है। इस तरह से यह रकम खतम करने पर दूसरे रोज पीने के लिए उसे और वारदात करनी पड़ेगी और वह करता है। इसलिए मेरा कहना है कि इस चीज को रोकने के लिए कोई गुंजाइश इसमें नहीं रक्खी गई।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह सारा का सारा बिल पब्लिक के फन्डामेन्टल राइट्स का एन्क्रोचमेन्ट है। यह होते हुए भी यह सरकार कटिबद्ध है कि इसे पास किया जावे। इसलिए साथ ही यह भी निवेदन करना आवश्यक समझता हूं कि अगर सारे फन्डामेन्टल राइट्स पर एन्क्रोचमेन्ट हो रहा है तो एक यह encroachment शराब बिलकुल बन्द करने का और कर दिया जाता तो ज्यादा ठीक रहता।

तीसरी चीज जो मुझे कहनी है वह है शिड्यूल के मुतल्लिक। इसमें इस प्रकार के Crimes नहीं रखे गये हैं जिनके कारण समाज का नैतिक पतन होता है। आज इस प्रदेश में आवाज उठाई जा रही है कि ब्लेक मार्किटिंग और रिश्तेदारी के कारण समाज का पतन हो रहा है और इनसे आज ऐसे क्राइम्स बढ़ रहे हैं जिनके कारण हमें संसार के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है।

पर खेद है कि इन्हें हैबिच्युअल ऑफेन्डर्स नहीं समझा जाकर उनको हैबिच्युअल ऑफेन्डर्स समझा गया है जो किसी भी मामले में, किसी तरह के आपसी विरोध में मारपीट कर लें; हालां कि इसमें मोरेलिटी का कोई प्रश्न नहीं है, परन्तु महज इस वजह से कि आज के हमारे इस प्रदेश के शासक यह चाहते हैं कि भारत की एक मार्शियल रेस को खतम किया जावे ।

ऐसेंशियल टेम्पोरेरी पोवर्स एक्ट, एन्टी करप्शन एक्ट तथा एक्साइज एक्ट के अभियोग भी शामिल कर लिए होते तो मैं समझता हूं कि इन क्राइम्स के साथ साथ ये क्राइम्स भी कन्ट्रोल में आ सकते हैं । पर ऐसा नहीं किया गया है । इस कारण से इस तरह के क्राइम्स इसमें शुमार कर लिये गये तो बड़े बड़े सेठ साहूकार इनसे नाराज हो जायगे ; क्योंकि इन क्राइम्स में वही मुजरिम होंगे ।

आजकल जगह जगह शादी विवाहों में लोग जिमाये जाते हैं ; जयपुर शहर में तो अगर कोई मिनिस्टर साहब या हमारे आई. जी. पी साहब भी निकल जावें तो किसी भी रास्ते से सरे बाजार बीसों दूल्हे इस तरह के मिलेंगे कि जिनकी उम्र कम है तथा कहीं जीमने वालों की तादाद ज्यादा है, और कहीं कुछ और हैं । पर इनको कोई रोकता नहीं क्योंकि लोग नाराज होंगे, इसलिये असल बात यह है कि इन सारे साहूकारों को यह सरकार नाराज करना नहीं चाहती । क्योंकि इनके बल पर आज यह सरकार चल रही है । इन्हीं सेठ-साहूकारों के आदमी आज सरकार का रूप धारण करके बैठे हैं । अगर समाज को सुधारने की भावना से प्रेरित होकर कोई कानून बनाया जाता तो हम अवश्य उसका स्वागत करते ; पर इस कानून में तो इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष :—मैं एक बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करदं । बिल को किस बात के लिए रिजेक्ट किया जावे ; उस पर वे प्रकाश डालें । बिल में क्या कमियां हैं ; इस पर प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है । यह धारा १४७ की मंशा है । मैं इस धारा १४७ को पढ़ कर सुना देता हूं:—

"Scope of debate.—The discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the bill or for the rejection of the bill. In making his speech a member shall not refer to the details of the bills further than is necessary for the purpose of his arguments which shall be of a general character.

श्री भैरोंसिंह (जारी)—एक अभी मेरे माननीय मित्र ने कहा था कि हैबिच्युअल ओफेन्डर्स का शायद इलेक्शन पर्पज़ेज के लिए उपयोग किया जा सकता है । पर उन्होंने यह सोचने में गलती की कि हैबिच्युअल अफेन्डर्स अगर किसी के चुनाव में मदद करेगा तो खुद मदद लेने वाला भी हैबिच्युअल अफेन्डर होगा । इसलिए हैबिच्युअल अफेन्डर्स की मदद पर अगर वे चुनाव लड़ेंगे तो समाज में वे ऊंचे और बढ़े हुए नहीं होंगे । इसलिए मैं समझता हूं कि इलेक्शन पर्पजेज के लिए यदि इसे पास करने का कोई भी प्रयोजन सरकार का है तो इस सदन के समक्ष इस बिल को प्रस्तुत करके पास कराने का साहस सरकार को नहीं करना चाहिये । पर ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है ; ऐसा मैं समझता हूं ।

श्री किशनलाल शाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभ्यस्त अपराधी विधेयक जैसा कि सदन के सामने है उसके लिये एक राय यह जाहिर की गई है कि यह एक रोड़ा है जो व्यक्ति के विकास में बाधक है। दूसरी राय यह है कि यह विधेयक समाज में घुसे हुए किन्हीं कीटाणुओं को खत्म करने वाला है। जब हम इन दोनों मतों की समालोचना करते हैं और इस पर विचार करने के लिए बैठते हैं तो पहला प्रश्न यह खड़ा होता है कि इन दो प्रकार की रायों में कौन सी राय सही है ? जब हम व्यक्तियों की बात करते हैं और उन व्यक्तियों के विषय में कुछ नियम बनाने जाते हैं तो हमें देखना होगा कि क्या यह हमारा दृष्टिकोण सही है। राजस्थान के आज तक के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक इतिहास को अगर हम देखते हैं और अगर यह विचार सही है कि चोर का बेटा चोर होगा डाकू का बेटा डाकू होता है, और शराबी का बेटा शराबी होता है तो इस प्रकार के जो इनहेरीटन्ट (Inheritent) एलीमेन्टस हैं आज उन तत्वों का समाज में ऐसा सम्मिश्रण होगया है उसे देख कर हम एक बड़ी भारी उलझन में फंस जाते हैं। राजस्थान के सामाजिक इतिहास को अगर हम देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि हमारे समाज में वे कीटाणु मौजूद हैं जो हमारे समाज में छूत की बीमारी की तरह घर करते जा रहे हैं। उनकी मनः स्थिति में by a simple dawn of new era के जरिये रातों रात परिवर्तन आजायेगा, यह बात मानन लायक नहीं है ऐसी हालत में सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि एसे एलीमेन्ट्स को रोकने के लिये सरकार कुछ नियम ऐसे बनाये; जिससे उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ कार्यवाही की जा सके। अगर उन नियमों के अनुकूल उस व्यक्ति के प्रति जो समाज में एक तरह से छूत की बीमारी की तरह घर किये हुए हैं कोई कदम सरकार उठाती है तो दूसरे फिरके का फर्ज हो जाता है कि समाज में ऐसा वातावरण पैदा करे जिससे उन व्यक्तियों को, जिनके खिलाफ सरकार द्वारा कदम उठाया गया है शर्मिन्दगी मालूम हो और दूसरा कर्तव्य उन लोगों का है जो सुधार के तरीकों को अपनाने के बजाय यह करते हैं कि चोर को शरण देते हैं, चोरी के लिये उकसाते हैं, डाकू को पनाह देते हैं; तो वे भी एक तरह से अभ्यस्त अपराधी की गिनती में हैं। जब कि सरकार समाज की इस बीमारी को मिटाने के लिये कोई कदम उठाती है तो वे तत्व जो सरकार का सहयोग देने के बजाय उन कीटाणुओं को पनपने के लिए शह देते हैं, ऐसी हालत में सरकार के लिए एक ही कदम रह जाता है, जो यह कि सरकार उसके लिए कोई नियम बनाये, कोई कानन बनाये। साधारण नियम के अनुसार पहले उस व्यक्ति को कन्विक्शन करार दिया जाता है; आगे यदि वह इसी प्रकार के अपराध करता हुआ पाया जाता है तो सरकार यह सोचती है कि उस व्यक्ति को आदतन जुर्मी करार दिया जाय या नहीं। अगर इस प्रकार का कोई कानून या कोई चीज नहीं होती तो इसका स्पष्ट नतीजा यह निकलता है कि उन कीटाणुओं को समाज में पनपनें दिया जाय। क्या यह विधेयक उन तत्वों पर लागू होता है जो यह कहते हैं कि हमारे अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है या जो आदतन है हिब्च्युअल ओफेन्डर हैं उन पर बात को कहते हुए जो हमारा शब्द काम में लेते हैं उन लोगों को यह शंका क्यों पैदा होती है कि उनको अभ्यस्त अपराधी घोषित कर दिया जा सकता है। इस विधेयक के अनुसार मेरा यह निवेदन है कि यदि हमारा मन चंगा है तो कठौती में गंगा है यदि हमारे मन म कुछ शंका है तो हमको डरना चाहिए और अगर हमारा मन साफ है तो हमको डरने की क्या आवश्यकता ? हम अगर इस विधेयक का विरोध कर यह चाहते हैं कि हमारे समाज में इस तरह के जो कीटाणु मौजूद हैं वे इसी तरह

[श्री किशनलाल शाह]

रहें, और उनको शह मिलती रहे जो छूत की बीमारी की तरह अपने समाज में घर करते जा रहे हैं तो दूसरी बात है । एक तरफ यह भी कहा जाता है कि इसमें जो सेक्शन्स दिये गये हैं वे नहीं आने चाहिए । मैं समझता हूं कि समाज के जो ऐसे प्राणी हैं ; जिनकी मन: स्थिति खराब हो गई है, जुर्म करना एक मानसिक बीमारी है, जब वह बीमारी तीन दफा साबित हो जाती है, कनविक्ट हो जाता है ; तो उसकी मनोदशा ठीक नहीं है या मनोदशा नियमबद्ध नहीं है तो वह समाज के दूसरे तत्वों पर भी अपना असर डाल सकते हैं । उसके लिये यह नियम बना दिया गया है कि वह तीन दफा कन्विक्शन हो जाने पर उसे अभ्यस्त अपराधी करार कर दिया जाय । कई लोगों का यह कहना है कि यह क्रिमिनोलोजी और सोशियोलोजी के सिद्धान्तों के खिलाफ और जनता के फंडामेन्टल राइट्स के खिलाफ है । मेरा यह कहना है कि यह किसी भी लोजी के खिलाफ नहीं हो सकता । हमारे सामाजिक नियम हैं उनके अनुसार जो अपना जीवन यापन करते हैं तो उनके फन्डामेन्टल राइट्स खत्म कौन कर सकता है ? इसको मैं नहीं समझ पाया । वे लोग "फंडामेंटल" शब्द की परिभाषा क्या करते हैं ? इसमें जो सेक्शन्स दिये गये हैं उनके अनुसार वह व्यक्ति तीन दफा कनविक्ट हो जाने पर अभ्यस्त अपराधी करार दिया जाता है । जब हम इस चीज को मद्देनजर रखते हैं तो हमें उस व्यक्ति को जिससे समाज की रक्षा करना है हमें समाज के नक्शे के साथ देखना है । दोनों यदि साथ साथ चलेंगे तो समाज की रक्षा हो सकती है ; नहीं तो समाज का वातावरण विक्षुब्ध हो जाता है । इसलिए जो अभ्यस्त अपराधी हैं उनके लिए जो कानून रखा गया है उसकी वे लोग अवश्य तारीफ करेंगे । समाज का कर्तव्य ऐसी हालत में यह हो जाता है कि वह पुलिस द्वारा या समाज द्वारा ऐसे व्यक्ति के दिमाग के ढांचे को पलटें और उसे ऐसा करदे जिससे उसको अपने कार्य पर शर्मिन्दगी अनुभव हो । यह क्रिमिनोलोजी के सिद्धान्त के बिल्कुल विरुद्ध नहीं ; जबकि गवर्नमेन्ट के पास अपील के अधिकार हैं समाज में एक सेक्शन ऐसा है जो ऐसी चीज की आवश्यकता का अनुभव करता है ; एक सेक्शन जो विरोध करता है "उसका मन चंगा है तो कठौती में गंगा है"। तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है । उनके विरोध में कोई शक्ति नहीं रह जाती । एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए मेरी यह मांग है कि इस विधेयक को पास किया जाय ।

श्री भैरूंसिंह केलवा—माननीय अध्यक्ष, मैंने निवेदन किया था कि यह बिल प्रजातन्त्र के विरुद्ध है ; वह हमारे फंडामेन्टल राइट्स के विरुद्ध है । इस बिल द्वारा लोगों को हेबिच्युअल आफेन्डर बना दिया गया है और उनके जुडिशियल राइट्स यानी जडिशियरी में जाने के उनके अख्तयार भी रोक दिये गये हैं, उनको कन्विक्ट बना दिया गया है । इस कुठारघात पर काफी रोशनी डाली गई है । एक महाशय ने यह भी कहा कि जो हेबिच्युअल आफेन्डर्स होते हैं वे इनहेरिटेन्स से होते हैं । डेमोक्रेसी इनहेरीटेन्स में बिलीव नहीं करती है । डेमोक्रेसी सुपीरियर रेस या इनफीरियर रेस के दायरे में विश्वास नहीं करती है । अगर इस पर विश्वास करते तो राजा ही राजा रहते, और इस प्रकार प्रत्येक आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं होता । हमने अपना नया विधान बनाया है, सब लोगों ने सम्मिलित होकर । उसको देखते हुए हम तमाम नागरिकों के समान अधिकार हैं । हम डेमोक्रेसी में इस चीज में विश्वास करते हैं कि हरेक आदमी सच्चा है, इमानदार है और अपना राज्य चलाने के योग्य है और

[श्री भैरोंसिंह केलवा]

वह राज्य में वोट देने का हक रखता है । इसके बजाय यदि हम इनहेरिटेन्स के लॉज़ को, कि चोर का लडका चोर होगा, ऑफेन्डर का लड़का ऑफेन्डर होगा, मानते हैं तो गलत है । यह लॉज केपिटेलिस्ट सोसाइटी के हो सकते हैं । किसी को आफेन्डर कायम करके उसको हेबिच्युअल आफेन्डर बना दें यह कोई सुधारने की बात नहीं है । यह एक्ट बिल्कुल डेमोक्रेसी के विरुद्ध होते हुए, जुडीशियरी को नहीं मानते हुए है । फिर भी हमको देखना चाहिये कि यह एक्ट क्या सिद्धान्त रखता है । दरअसल में क्या सुधार यह करना चाहता है ?

मैंने पहले भी अर्ज किया था कि यह कानून पुलिस की सेवा करने के लिए बनाया गया है । यानी वे चोरी करके लायें और उनको उनका शेयर दें और वे आराम से बैठे रहें । जिस आदमी का नाम हेबिच्युअल ऑफेन्डर के रजिस्टर में दर्ज हो जायगा तो उसके बाल बच्चों और स्त्री के लिए क्या प्रबन्ध है ? इसका इसमें कोई प्रोवीजन नहीं रखा गया है । रिफार्मेटरी जो बनाये गये हैं तो इससे कोई साइकोलोजिकल इफेक्ट नहीं पड़ता । उनके लडके यदि पब्लिक स्कूल में पढेंगे तो उनको मालूम होगा दूसरे लडके कैसे होते हैं नागरिकों के दूसरे लड़के उनके साथ रहेंगे तो उन्हें वास्तविकता मालूम होगी । रिफॉर्मेटरी बनाकर वाहियात स्कूल बना रहे हैं । उनमें वही वातावरण रहेगा । वे अच्छे भी नहीं होंगे और जेनेरेशन खराब हो जायेगी । रिफॉर्मेटरी स्कूल अगर हों तो ऐसी हों कि जहां दूसरे लडके भी पढते हों या उनको दूसरे लडकों के साथ पब्लिक स्कूल में रखा जाय । स्त्रियों का भी प्रबन्ध किया जाय ।

इसके सिवाय इस पर भी काफी लाइट डाली गई है कि कोलोनीज बसाई जायेंगी । उनमें कुछ काम नहीं होता है और वहां वही चोरियों की बातें होती हैं । हम जब जेल का दृष्टान्त देखते हैं कि वहां जेल में जाने के बाद एक दूसरे से मिलते हैं और अपने अपने किस्से कहते हैं कि किस तरह वह कोर्ट में छिपा आदि । वह नहीं सुधरने का । इस तरह वे कोलोनीज कायम हो जायेंगी और उनमें वहीं बातें होंगी । इसलिए इस तरह की कोलोनीज बसाई जायं ; यह गलत तरीका है । अलग लडके पढाये जायंगे, यह भी गलत तरीका है । उन लडकों को ऑर्डिनरी पब्लिक स्कूल में पढाया जाय । उनकी स्त्रियों को कोई इन्तजाम नहीं है, वह भी किया जाय ।

श्री कानसिंह—माननीय अध्यक्ष, हेबिच्युअल ऑफेन्डर्स बिल जो अब अन्तिम स्टेज पर है उसके पास करने के सम्बन्ध में मेरा थोडा सा एतराज है । जो बिल पास करने के लिए हमारे सामने है वह क्यों नहीं पास किया जाना चाहिए, उसके लिए मुझे यह कहना है कि The Bill is not in complete form और जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा है कि ब्लेक मार्केट, ब्राइबरी और भोजन प्रतिबन्ध आदि, जो कानून हैं, और उनके अतिरिक्त और जिनको हम बाजार में हमेशा देखते हैं, उनके साथ साथ चाइल्ड मेरिज एक्ट और भी है । उसको रोजाना हम इस कदर भंग होता देखते हैं कि वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है । मेरे माननीय दोस्त जो मुख्य मंत्रीजी हैं, उनको तो कमसे कम चाइल्ड मेरेज के जितने violation होते हैं, जितना उनको मालूम है शायद इस हाउस के अन्दर किसी और को मालूम नहीं है । चाइल्ड मेरिज एक्ट को हमारे बीकानेर में पुष्करणा लोग कितना वायलेट कर रहे

[श्री कानसिंह]

हैं । ५०–५०और २००–२०० बच्चोंकी एक साथ शादी कर दी जाती है । और सरे आम और सरे बाजार में वे जाते हैं । बड़े २ अफसर भी उसमें शामिल होते हैं, और शायद हमारे मुख्य मंत्री जी, जो यहां मोजद हैं उनके भाई–बन्धु, स्त्री–बच्चे भी जरूर उनमें शामिल होते होंगे। उनके इल्म में है कि उस एक्ट को किस कदर वायोलेट किया जा रहा है । उस और कोई तवज्जह नहीं दी जाती है । दूसरी और महज दुश्मनी की वजह से बदमाश किसी को मामूली मारपीट करके उस पर ३२६ का मुकद्दमा बना दे तो वह हेबिच्युअल ऑफेन्डर बनाया जावे और सरे आम चाइल्ड मेरिज एक्ट की जो अवहेलना करे उसकी और कोई गौर नहीं ! इसलिए मैं कहूंगा कि यह बिल जो पास हो रहा है और अगर गवर्नमेन्ट की पास कराने की मन्शा है तो इसे पूरा करके पास किया जाय । इस तरह से पास करने से कोई फायदा नहीं। इस तरह की खिलाफ जो बातें होती हैं ब्लेक मार्केट, चाइल्ड मेरिज यह तो देशद्रोह है वह तो बहुत के साथ दुश्मनी है, लेकिन यह तो सारे भारतवर्ष के साथ दुश्मनी है। जो यह जुर्म करते हैं उनको तो इसमें नहीं लिया गया और छोटी २ बातों को इसमें लिया गया है । इसलिए मैं कहता हूं कि यह बिल premature है । इस ो इस हालत में पास नहीं किया जाना चाहिए । दुबारा ड्राफ्ट करके इस हाउस के सामने यह रखा जाना चाहिए । ताकि इसको पास किया जा सके ।

श्री मोतीराम––माननीय अध्यक्ष, हेबिच्युअल आफेन्डर्स बिल हमारे सामने पास करने लिए है । इसके विपक्ष में बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ गरमा–गरम बातें कहीं और हमनें सुनीं । उन गरम २ बातों से प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य हाउस में बदमाशों की राय लेते हैं ।

कई चीजें जो उनके दिमाग में थीं, हाउस में जो कुछ अपने दिमाग का उन्होंने इजहार किया है उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वे हेबिच्युअल ऑफेन्डर्स, जिनके लिये यह कानून बन रहा है उन सदस्यों के रिश्तेदार भी होंगे और उनके लिए कि वे बहुत दर्द महसूस करते हैं । इस कानून के अन्दर साफ है कि कुछ हैबिच्युअल ऑफेन्डर्स वे हैं जो कि १० साल में ३ दफा कन्विक्ट हुए हों। वह कन्विक्शन भी अगर एक से मिलते हों तो वही हैबिच्युअल ऑफेन्डर्स है । तो ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है कि विधान के खिलाफ कोई बात हो । लेकिन वातावरण को दूषित करने के लिए या किसी के दिमाग में दूसरी भावना पैदा करने के लिए इस तरह वह किया गया है । एक माननीय सदस्य नें कहा कि क्रिमिनल ट्राइब्ज एक्ट को पुनः लाया जा रहा है; किसी जाति पर उसको लाया जा रहा है । मीणा व बावरियों के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्ज एक्ट था उसको हटाने के बाद भी यह कहना कि यह काला कानून है, सो ऐसी तो कोई चीज नहीं है । इसमें साफ जाहिर है कि कोई भी हो; ब्राहम्ण, बनियां, राजपूत या जाट हो या क्रिमिनल ट्राइब्ज का हो, जिसको भी ३ दफा सजा मिली हुई है, वह कोर्ट की तरह से बिल्कुल कन्विक्शन होने पर भी हेबिच्युअल आफेन्डर्स होगा, न कि किसी कौम के आदमी होने के नाते वह हेबिच्युअल ऑफेन्डर्स है । जैसा कि बहुत से सदस्यों ने कहाकि जो कानून पहले था उस कानून की यह पुनरावृत्ति है, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । उस कानून में यह था कि क्रिमिनल ट्राइब्स में चोरी करने वाले भी थे और कन्विक्शन पाये हुए हों या नहीं; बावरियों व मीणों इत्यादि सब को ही तकलीफ भुगतनी पड़ती थी, लेकिन इसके अन्दर ३ दफा जो कन्विक्शन पाये हुए हैं, वे ही हैबिच्युअल आफेन्डर्स माने जायेंगे, कौम के सभी लोग

[श्री मोतीराम]

हेबिच्युअल ऑफेन्डर्स नहीं माने जाएंग। इसलिए माननीय सदस्यों का कहना है कि क्रिमिनल ट्राइब्ज एक्ट की जो पुनरावृत्ति है वह गलत है।

दूसरी बात एक सदस्य ने स्कूल के संबंध में कही। इसको देखा जाय तो यह स्वयं रिफार्मेटरी है। इसके अन्दर यह जो दिया गया है कि जो तीन दफा कन्विक्ट हो जायगा वह हेबिच्युअल आफेन्डर होगा। जिसको एक दफा कन्विक्शन हुआ वह कोशिश करेगा कि उसको दूसरी या तीसरी दफा कन्विक्शन नहीं मिले और इस प्रकार वह बदमाशी करने से दूर रहेगा। इस एक्ट का उद्देश्य यही है। इसका दृष्टिकोण यही है कि एक दफा बदमाशी करने के बाद दुबारा या तिबारा करने के पहले वह सोच ले कि कनून बना हुआ है कि अगर उसको तीन दफा सजा मिल गई तो वह हेबिच्युअल आफेन्डर बन जायेगा और इस एक्ट की दफाओं के पालन करने के बन्धन में रहना पड़ेगा, इसलिए उसे अपने आप को सुधार लेना चाहिये और सुधारने के लिए ही यह कानून बना है। वह अपने आप सुधारेगा कि एक दफा कन्विक्ट होने के बाद दूसरी या तीसरी दफा चोरी नहीं करे, डाके नहीं डाले।.......

अभी एक सदस्य ने कहा कि इस कानून को इसलिए नहीं पास कराना चाहते कि चाइल्ड मेरेज एक्ट तो पास हो चुका है; मगर फिर भी उसकी अवहेलना करते हुए शादियां होती हैं और उन शादियों में बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी व दूसरे सरकारी आफिसर भाग लेते हैं; कितने भोजन होते हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि वे केवल कहते ही हैं। यदि एक कानून की अवहेलना करते हुए कोई बेजाब्तगी करता है तो माननीय सदस्य का हक है कि वे इसकी रिपोर्ट करें। आप कहते हैं कि जयपुर में ऐसा होता है। आप जो सजेशन देते हैं ठीक है; मगर आप का भी हक है कि आप उनके खिलाफ रिपोर्ट करके बेजा बात को रुकावें। मगर आप ऐसा नही करते, सिर्फ कहते ही हैं।

तीसरी बात उन्होंने शिड्यूल म कुछ चेन्ज करने के विषय में कही। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब यह एक्ट हाउस के सामने आया उस समय कोई बात क्यों नहीं कही। इसके बाद जब यह बिल सिलेक्ट कमेटी में आया उस समय उस कमेटी में भी आपके पक्ष के ५ सदस्य थे। उनको सजेशन्स क्यों नहीं दिये? अब कुछ सदस्य अपने सजेशन्स दे रहे हैं; वे पहले भी दे सकते थे; भेज सकते थे। यदि इस पक्ष के सदस्य नहीं देते तो उस पक्ष के सदस्य तो अपने सुझाव दे सकते थे। मगर मैं यह कहूंगा कि यदि ये पहले ही भेज देते तो फिर उनकी इस हाउस में बहादुरी कैसे दिखाई देती? यही सोच कर नहीं भेजे। एक सदस्य ने कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में जो कार्य हुआ उसके आप जिम्मेवार हैं और जो हुआ वह बिल्कुल खिलाफ हुआ था। मगर मैं यह कहूंगा कि सदस्य ने खुदने कितनी गैर जिम्मेदारी से काम किया कि जिस जनता ने उनको वोट देकर यहां भेजा उनका प्रतिनिधित्व उन्होंने नहीं किया; जब कि चेयर से यह तय हो चुका था कि अगर वे हाउस में नहीं रहेंगे तो भी काम होगा।

(श्री अध्यक्ष ने समय समाप्ति की सूचना दी)

मैं अब और ज्यादा न कह कर यही कहूंगा कि इस बिल को अवश्य पास किया जाय।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Mr. speaker, Sir, I move that the debate be closed.

श्री अध्यक्ष—After he (Shri Himmat Singh) has finished.

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—माननीय अध्यक्ष, मैं अपको धन्यवाद देता हूं कि क्लोजर मूव होने के बाद भी आपने मुझे बोलने की इजाजत दी ।

दो शब्द मुझे इस पर कहने हैं । कुछ उधर की तरफ से हमारे रुख पर गलत फहमी हो गई है और ऐसा मान लिया गया है कि जान बूझ कर इस बिल को पास न होने देने की चेष्टा की जा रही है । लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं जैसा कि हमारे लीडर साहब ने भी विश्वास दिलाया और मैं भी यह अर्ज करूंगा कि ऐसी हमारी कतई मंशा नहीं है ।

हाउस के सामने यह बिल कितना डिफेक्टिव आया है, गलत आया है, यह स्वयं इस पर आये हुए इतने एमेन्डमेन्ट्स बतलाते हैं । इतने अमेन्डमेन्ट इस बिल पर होते हुए भी अफसोस इस बात का है कि मंत्री महोदय जिन्होंने इस बिल को पेश किया है स्वयं सोच लेते और इसके लिए और तरीका काम में लेते और इसको पास कराने के लिए इतनी हठ नही करते तो अच्छा था । वे स्वयं अपनी गलती सुधार लेते तो सबसे श्रेष्ठ था और उत्तम पुरुषों का यह कर्तव्य है कि वे अपनी गलती स्वयं सुधार लें ।

हेबिच्युअल आफेन्डर जो इसके अन्दर डिफाइन किया गया है वह डेफिनिशन सबसे ज्यादा डिफेक्टिव है और बिल का सब दारोमदार उसकी डेफिनिशन पर ही है । जब डेफिनिशन ही गलत है तो सब बिल ही गलत है । जब डेफिनिशन का मतलब ही नहीं निकले तो ऐसे बिल को पास करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन अफसोस की बात है कि उधर की हेबिट ही ऐसी है कि वे किसी तरह से बिल पास करा लेते हैं। उधर सब लोग पंडित तो नहीं हैं। फिर भी अगर वे यह समझें कि उधर की तरफ ज्यादा पंडित हैं तो फिर मूर्खों की बात भी कभी कभी अच्छी होती है और उसे सुनना चाहिये। उस पर भी आप विचार करलें तो उत्तम है.........

श्री अध्यक्ष—आप पंडित नहीं तो क्या अपंडित........

श्री हिम्मतसिंह—अपने लिये कहना कोई गलत नहीं है ।

मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर कोई गलत बात कहे तो उसको मंजूर कर लेना वाजिब नहीं । कोशिश इस बात की की गई थी कि बिल बिल्कुल परफेक्ट होकर हमारे सदन से निकले ताकि संसार में सभी लोग यह कहें कि यह ठीक है तथा इसकी आलोचना न हो । क्या पता इसकी आलोचना होगी या नहीं ? यह ठीक हुआ या नहीं ; इस सब का श्रेय हमारे मिनिस्टर साहब पर ही होगा । इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--(श्री जसवन्तसिंह को संबोधित करते हुए) क्या कोई और बोलना चाहते हैं ?

श्री जसवन्तसिंह--No Sir.

श्री अध्यक्ष--Is the closure moved by Shri Gulab Chand Kasliwa be allowed.

(सर्व सम्मति से स्वीकृत)

श्री टीकाराम पालीवाल--अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर बहुत लम्बी-चौड़ी बहस हुई और बहस के दौरान में कुछ गर्मी ज्यादा आ गई। खैर, आज वातावरण उतना गरम नहीं रहा, काम शान्ति से हो रहा है; इसके लिये मैं अपने उस पक्ष के लोगों को धन्यवाद देता हूं।

इतनी बहस के बाद भी इस अन्तिम वाचन पर भी आपत्ति की गई है और भारत के संविधान तथा हमारे मूल अधिकारों की दुहाई दिला कर कहा गया है कि इसको पास नहीं किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल भारत के संविधान के प्रोवीजन्स के कहीं भी इधर उधर नहीं जाता है और अगर बार बार प्रजातन्त्र और डेमोक्रेसी का नाम लेकर यह सिद्ध करने की कोशिश की जावे कि अन्याय हो रहा है तो यह ठीक नहीं। स्वतन्त्रता का नाम स्वच्छंदता है, तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं।

विधान में व्यक्तियों की स्वतन्त्रता पर नियंत्रण करने का उतना अधिकार राज्य को दिया गया है जितना समाज की सुरक्षा के लिये आवश्यक है, इस बात को शायद हमारे कई माननीय मित्र भूल गये और जो कुछ उन्हें कहना था लेक्चर दे कर चले गये।

श्री जसवन्तसिंह--उनका रिप्रेजेन्टेटिव मैं यहां बैठा हुआ हूं।

श्री टीकाराम पालीवाल--उनमें से कई एक वकील थे जो दावा करते थे कानून जानने का और मझे भी कानून सिखाने का। मैंने भी कुछ कानून का अभ्यास किया है और मैं पढ़ कर सुनाता उन्हें उन धाराओं को। जिनको मैं पढ कर वे धाराएं सुनाता उन्होंने जान बूझ कर सुनना नहीं चाहा और चले गये। उनके लाभ के लिये नहीं तो दूसरे सदस्यों के लाभ के लिये, जो इस सदन में बैठे हुए हैं, फंडामेन्टल राईट्स के सम्बन्ध के आर्टीकल को पढ़ कर सुनाता हूं; जिसमें दिया गया है कि उन राईट्स की गारण्टी के बाद भी राज्य को और राज्य की धारा सभाओं को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जो समाज की सुरक्षा के लिये आवश्यक हो। विधान के आर्टिकल १९ में फन्डामेन्टल राईट्स के बारे में लिखा गया है :—

"19. (I) All citizens shall have the right—

(a) to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations or unions;
(d) to move freely throughout the territory of India;
(e) to reside and settle in any part of the territory of India;

Page No.48

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(*f*) to acquire, hold and dispose of property ; and

(*g*) to practice any profession, or to carry on any occupation, trade or business."

मैं नहीं मानता कि मेरे लायक दोस्त, जो अन्तिम क्लॉज, मैंने पढा है—

"to practice any profession, or to carry on any occupation, trade or business."

इससे किसी माननीय मित्र का यह अर्थ नहीं होगा कि क्राइम करना भी किसी का कोई बिजनेस है।

मेरे मित्रों ने इस क्लॉज की सब क्लॉज "डी" और "ई" का हवाला देते हुए कहा कि इस एक्ट से संविधान द्वारा दिये गये फन्डामेन्टल राईट्स का हनन होगा। परन्तु वह इस आर्टीकल के आगे के भावों को नहीं पढ़ते। Sub-clause (5) of this Articleed says :—

"(5) Nothing in sub-clause (*d*), (*e*) and (*f*) of the said clause shall effect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevents the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Schedul Tribe."

इस बिल का विरोध करने वाले मित्रों में कई एक मित्र वकील हैं जिन्होंने फंडामेन्टल राईट्स के आधार पर इस बिल का विरोध किया है। उन्होंने सम्भवत: यह नहीं देखा कि हमारे देश का विधान बनाने वालों ने पहले ही से इस बात को सोचा था, समझा था कि भले व्यक्तियों के लिये जहां फंडामेन्टल राइट्स की गारण्टी करने का सवाल है वहीं यह भी रखा है कि दूसरे लोग जो असामाजिक है; वे इतने स्वच्छंद नहीं बन जावें कि दूसरों के अधिकार पर कुठाराघात कर सकें और राज्य को अस्त-व्यस्त कर सकें। उस हद तक राज्य की धारा-सभाओं को वह कानून बनाने का अधिकार है ; जहां तक कि, उन लोगों की, हलचलों पर, रहन सहन पर, समाज को खतरा हो, ऐसे कानून से, रेस्ट्रिक्शन्स इंपोज कर सके। तो इस तरह इस आर्टीकल से साफ है कि इस बिल में ऐसी कोई बात नहीं है जो संविधान के खिलाफ हो।

मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि सारा पान्डित्य इस ओर ही जा रहा हो उधर (विरोधी पक्ष में) भी बहुत से पन्डित हैं और पन्डितों के शिष्य भी हैं ; पर जान बूझ कर न देखें तो वह पण्डिताई भी अपण्डिताई में आ जाती है।

मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि कानन की मंशा के बारे में कुछ निराधार भ्रम हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में ऐसा भय मालूम देता है कि कहीं जो प्रतिबन्ध उन शेड्यूल्ड

[श्री टीकाराम पालीवाल]

ट्राइब्स पर था वही दूसरे और लोगों पर भी नहीं लग जावे और इसी आशंका से ऐसा विरोध किया गया है। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कह डाला कि साहब, पहले जो कानून थे वही यह कानून है, उन कानूनों को एक ओर तो रद्द किया गया लेकिन वैसा ही कानून अब इस कानून के रूप में सारी मानव जाति पर लागू किया जा रहा है। मेरा खयाल है, बहुत विशाल है मानव जाति। क्या उनका यह मतलब है कि सारी मानव जाति इस कानून के द्वारा हेबिच्यूअल ओफेन्डर होने वाली है? जिनके तीन तीन कन्विक्शन हों उनको हेबिच्यूअल ओफेन्डर्स करार दिया जायगा; तो ऐसी सूरत में मानव जाति का कोई प्रश्न नहीं। मुझे मानव जाति में विश्वास है कि वह तीन तीन दफा कन्विक्ट नहीं होगी। मानव जाति का एक बहुत छोटा, बहुत कम पोर्सन इस कानून के मातहत आयगा। संभवतः स्वयं उनके हित के लिये, उनको सुधारने के लिये यह कानून लगाना होगा।

मेरे एक माननीय मित्र ने कह डाला, और ऐसे कह डाला जैसे उन्होने गहरा अध्ययन किया हो पिछले कानूनों का, पिछले इतिहास का। आप कह रहें हैं गौरव के साथ कि मुझे खुशी है कि जिस समय पिछले कानून बने थे, इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बने थे उस समय यह हुकूमत नहीं थी। उनको यह खुशी हुई कि उस समय कानून बनाने वाले विदेशी शासक थे, हमारी हुकूमत नहीं थी, हम गुलाम थे। बड़े गौरव से इस खुशी का इजहार कर रहे थे वह! धन्य है उनकी खुशी, पर फिर वे भूल जाते हैं कि आज जिन कानूनों को इस हुकूमत ने रद्द कर दिया है वे कानून भी उन्हीं शासकों ने बनाये थे जिनके चले जाने से उनके दिलों में बहुत पीड़ा है, जिनके स्वप्न वे देख रहे हैं और जिनके विछोह से उनको दर्द है।

मैं नहीं कह सकता कि आदमी जब व्याख्यान देने खड़ा होता है तो वह तथ्यों को किस तरह भूल जाता है? इस तरह के भाषण, जहां मौज को एक्साइट करना हो, वहां मौज हो सकते हैं पर जहां हम राज्य का शासन चलाने के विधान बनाने के लिए खड़े हुए हों वहां ऐसे भाषणों से काम नहीं चलता।

निर्मूल भ्रान्तियों और आशंकाओं के आधार पर तथा केवल विरोध के लिये विरोध नहीं करना चाहिये।

मेरे एक मित्र ने यह भी कहा कि गवर्नमेन्ट के पास अपील का अधिकार रहा है तो कुछ हालतों में ऐसा हो जायगा कि विरोधी दल के नेता जो बैठे हैं उनका नाम रजिस्टर कर लिया जायगा, उनके अपील की सुनवाई नहीं होगी और उनको जेल में भेज दिया जायगा। अब तक तो ऐसा अनुभव हुआ है कि विरोधी दल के नेताओं को और कहीं भेजा हो; लेकिन जेल में तो नहीं भेजा है (एक आवाज–"यहां तो ऐसी ही उम्मीद है") बाकी और तो कहीं भेजा होगा अच्छी जगह भेजा होगा; किन्तु जेल में कहीं भी नहीं भेजा होगा। दूसरी ओर उनका कहना है कि चुनाव में फायदा उठाने के लिये, वास्तव में जो अभ्यस्त अपराधी होंगे उनको सरकार छोड़ देगी। मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अभ्यस्त अपराधियों की सहायता से चुनाव जीतने की आशा और कोई लोग रख सकते हैं; हम नहीं..

श्री जसवन्त सिंह— हर्ज क्या है, यह तो पोलिटिक्स है।

श्री टीकाराम पालीवाल—(अपना भाषण जारी रखते हुए) इससे साफ जाहिर होता है कि अभ्यस्त अपराधियों की सहायता कौन चाहते हैं ? अभ्यस्त अपराधियों की सहानुभूति और प्रसन्नता के कौन इच्छुक हैं, और कौन याचक हैं, यह स्पष्ट है; यह सब लोग अपने मन में जानते हैं और दूसरे लोग भी समझ चुके होंगे। यह कहा गया है कि चुनाव के पहिले कानून को रद्द करके उनके वोट ले लिये और सत्ता हाथ में आ गई है। तब उनके लिये खिलाफ कानून बनाये जा रहे हैं। वे यह भूल जाते हैं कि क्रिमिनल ट्राईब्स एक सेन्ट्रल एक्ट है और वह अब खतम हुआ है ; पिछले अगस्त मास में; चुनाव के बहुत दिन बाद, करीब आठ महीने बाद। इसलिये यह नहीं कि चुनाव में वोट लेने के लिये इसको रद्द कर दिया गया, उनको राजी करके वोट ले लिये; ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो लोगों को भ्रम में डालने का प्रयत्न है, जो आपको शोभा नहीं देता।

एक एतराज उठाया गया एक माननीय मित्र द्वारा, जो अच्छे वकील हैं, जिनकी अच्छी प्रेक्टिस भी है। उनका कहना है कि डिफ़्रेन्ट ग्राउण्डस पर एक साथ तीन दफा कन्विक्शन हो सकता है और एक ही दिन में उसको हेबिच्युअल ओफेन्डर बनाया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि, एक वकील होने के नाते, जिनका कुछ स्टेन्डर्ड है, समझने में गल्ती नहीं करते तो अच्छा था। उससे साफ जाहिर है कि तीन दफा अलग अलग कन्विक्शन हो। अगर ठीक है, तीन दफा कन्विन्शन तीन महीने, तीन साल में; पांच साल में हो तो वही हेबिच्युअल ओफेन्डर माना जायगा। उसकी प्रवृत्तियां तीन ओफेन्सेज कमिट कर लेती है तो मानना होगा कि उसकी अपराधी प्रवृत्तियां बहुत जल्दी जल्दी जागृत हो रही हैं। तो उस पर जल्दी से जल्दी चेक लगाना होगा क्योंकि इससे साबित होता है कि उसकी अपराधी प्रवृत्तियां जागृत हो रही हैं। ऐसी दशा में चेक लगाना बहुत लाजमी है, चाहे वह किन्हीं कारणों से चेक लगाना जरूरी हो। उसका होलसम इफेक्ट यह होगा कि एक दफा कन्विक्शन हो गया, दूसरी दफा कन्विक्शन होगया तीसरी दफा भी होगया तो साफ जाहिर है कि वह अपराध करता ही जायगा अगर गल्ती से किसी से एक दफा अपराध होगया और एक बार कन्विक्शन होगया तो उसको भय रहेगा और नियन्त्रण रहेगा कि एक दफा कन्विक्शन में तो मामूली सजा पाकर आ गये किन्तु दूसरी दफा कन्विक्शन हो जायगा और तीसरी दफा अगर गल्ती से भी कन्विक्शन हो गया तो मेरा नाम हेबिच्युअल ओफेन्डर में आ जायगा। यह डर उसे सदा बना रहेगा। अगर साधारण नागरिक है तो वह दूसरी और तीसरी दफा ओफेन्स नहीं करेगा। यदि गल्ती से दूसरी दफा कर भी लिया तो तीसरी दफा तो वह तोबा.तोबा करेगा। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता जो तीन तीन बार कन्विक्टेड होजाय। यह तो उस व्यक्ति का काम होगा जिसकी अपराधी प्रवृत्तियां बहुत प्रबल हैं या कुछ दूसरे लोग उसको अपराध करने को उकसा रहे हैं। तब फिर इस कानून के जरिये उस पर नियन्त्रण रखना जरूरी होगा।

मेरे एक मित्र का कहना है कि पहले वाला क्रिमिनल ट्राईब्स एक्ट एक दूसरे रूप में आ रहा है। ऐसी बात कहने का कोई आधार नहीं दिखाई देता। इसमें और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में बहुत बड़ा भेद है। न मालूम वे कैसे इस भेद को भूल गये। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जातीय आधार पर था; मनुष्य के चरित्र के आधार पर नहीं, मानव के आचरण के आधार पर नहीं; किन्तु किसी जाति विशेष में जन्म लेने के आधार पर था। मनुष्य का आचरण कितना ही अच्छा हो, कितनी ही उसकी शुद्ध

[श्री टीकाराम पालीवाल]

प्रवृत्तियाँ हों उस पर प्रतिवन्ध इसलिये लगता था कि जाति विशेष में उसने जन्म लिया है। यह सचमुच मानव धर्म के खिलाफ बात थी। इस दल के लोगों ने इस चीज का विरोध किया, इस चीज को खत्म करवाया; लेकिन समाज में जो असामाजिक तत्व हैं, जो चोरी करते हैं, डाके डालते हैं या चोरी करवाते हैं या डाके डलवाते हैं; उन लोगों की प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिये इसका होना आवश्यक है; बिना जाति भेद भाव के। अभी हमारे मित्रों ने कल परसों यह कहा था कि जब आप क्लासलेस सोसाईटी बनाने जा रहे हैं तो यह नई क्लास क्यों बनाई जा रही है ? मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो क्लासेज हैं; उनमें यदि इस क्लास के लोग हैं, तो राजनैतिक, आर्थिक या सामाजिक क्षेत्रों में उनको खतम किया जा रहा है, हम कोई नई क्लास बनाने नहीं जा रहे हैं। जो स्वयं इस क्लास में जाकर पड़ना चाहते हैं जो अपराधियों के क्लास में पड़ना चाहते हैं तो इसमें हमारा क्या कुसूर है; इस क्लास के लोगों के साथ, बिना किसी कास्ट–क्रीड के, किसी वर्ग–भेद के, एक सा व्यवहार होगा।

श्री रघुराज सिंह—What is the meaning of "class of offenders."

श्री टीकाराम पालीवाल—"क्लास ऑफ ओफेन्डर्स" में कई प्रकार की क्लासेज हो सकती हैं। There may be offenders who may commit offences of one type.

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि किसी भी दृष्टि से न यह बिल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है और न ही यह हमारे फन्डामेन्टल राइट्स के खिलाफ जाता है। स्वतन्त्रता का हनन करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। मुझे यह आश्चर्य हुआ, जब यह कहा गया कि ऐसे प्रतिबंधों से तो मानवता का हनन होता है, फेरोसिटी पैदा होती है। अगर किसी क्रिमिनल ओफेन्डर को उसकी एक्टिविटीज को रेज़िस्ट करने के लिए अगर फेरोसिटी कहा जाय तो वह गलत है। I cannot call it a forecity, I may call it a bravery". लेकिन फेरोसिटी ऐसा भी है जो किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित करती है, प्रेरणा देती है। तो उस फेरोसिटी से मानवता का हनन होता हो तो वह मेरे समझ में नहीं आता है। मुझे उसे नये ढंग से समझना होगा। कुछ तर्क–वितर्क किये गये हैं कुछ में त्रुटियां बतलाई गई थीं। कुछ ऐसे संशोधनों को जो वाजिब थे माना भी गया है, जिनमें तथ्य था।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून को पास किया जाय। जो कुछ इसमें कमियां रह गई हैं, जैसे कई मित्रों ने बतलाया कि उनका सेटलमेण्ट, उनके लिए एजुकेशन आदि की कमियां रह गई हैं; तो इस सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि यह तो बाद में भी किया जा सकता है। We may pass the Act as it is and may consider the concrete suggestions afterwards, लेकिन पहले administration carry on करने के लिये यह जारी है। हाउस को इसे आज ही और अभी पास करना चाहिये।

श्री खेतसिंह—शिड्यूल में जो दफाएं मंजूर की गई थीं उनको रखा गया है या नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—मैंने कहा था कि मैं दुर्भाग्य से अस्वस्थ था और कल सदन में न आ सका था। वातावरण यहां काफी गरम हो गया था। लोगों को होश नहीं रहा। इस स्टेज पर शायद यह संभव नहीं है। But I shall be prepared to amend the schedule.

[श्री टीकाराम पालीवाल]

अतः मैं हाऊस से निवेदन करूंगा कि इस बिल को पास किया जाय। This bill may be passed in a friendly way.

श्री हिम्मतसिंह—In passing the Bills there is no friendly way.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि "राजस्थान हेबिच्युअल ओफेण्डर्स बिल" पास किया जाय।

(स्वीकृत)

बिल पास किया जाता है।

श्री हिम्मतसिंह—हम जोर से बोल रहे थे फिर भी आप (श्री टीकाराम पालीवाल की ओर इशारा करते हुए) ही जीते। कदम जर्मन का बढ़ता है पर हाथ ब्रिटिश के पड़ते हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—यह तो आपने टीस भरी बात कह दी।

श्री अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—सदस्यों से एक बात मैं कहना चाहता हूं। कल जब मैं अपने कमरे में ही था तो पीछे से सदन में कुछ ऐसी दुखद बातें हुई जो कि अपने सदन के लिये शोभा देने वाली बातें नहीं हैं। ये बातें बाहर जाने पर मुझे मालूम पड़ीं। ऐसा होता है कि बोलने में कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है; लेकिन जो कोई भी कार्य किया जाय वह विचार कर ही होना चाहिये, ताकि जो कन्वेंन्शन, जो परम्पराएं हम यहां पर स्थापित करते हैं वे आदर्शमयी हों और उनका भविष्य में अनुकरण हो। यहां लोगों ने कई दफा ऐसी बातें की थी जो नहीं की जानी चाहिये थीं। जिस सद्भावना से हमारा कार्य आरम्भ हुआ था और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को दो दलों ने मिल कर चुना था, तो मैं मानता हूं कि वे ही सद्भावनाएं इस वक्त तक रहनी चाहिये थीं और अब भी रहनी चाहिए। किसी कारण से गलती हो ही जाती है "To err is human." डिप्टी स्पीकर या स्पीकर की वजह से सदस्यों को कोई बात अप्रिय लगे; लेकिन उनसे व्यवहार में, जो बात हमेशा रहने वाली गलत चीज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह मेरी सम्मति है जो मैंने आपके सामने रखी है। मैं अपने लिए यह बात कह देना चाहता हूं कि यहां जो डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ था वह दोनों पक्षों की सम्मिलित राय से हुआ था और इसी प्रकार का चुनाव स्पीकर का भी हुआ था और वास्तव में, मैं यह जान लूंगा कि सदस्यों का यह मत है; बहुत से सदस्यों का यह मत हो कि जो चुनाव हुआ था वह अनुचित था और यदि उनका विश्वास नहीं है तो बजाय इसके कि अविश्वास की बात पर बहस की जाय उस पर कोई आलोचना हो, मैं पसन्द करूंगा कि मैं अपने पद का त्याग करदूं।

श्री जसवन्तसिंह—If any has no confidence in you we will ask you to vacate the chair. If even one of us has no confidence in you as a Hon'ble man I will ask you to get out.

श्री उपाध्यक्ष (लालसिंह शक्तावत)—यही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह तो अपने आपस के विश्वास की ही बात होती है और जिस सद्भावना पर काम होता है, और जिस

[श्री उपाध्यक्ष]

सद्‌भावना से काम हुआ है उस पर दूरदर्शिता पूर्ण विचार करने की ही मेरी सम्मति है। मैंने यह सदन के हित में ही कहा है। मैं कभी पसन्द नहीं करूंगा कि मैं इस पद पर बैठा रहूं और इस पर लगा रहूं। ये मेरे अपने विचार हैं जो मैंने आपके सामने रख दिये हैं। अब मैं आगे का कार्य आरम्भ करता हूं।

(विराम)

राजस्थान पंचायत विधेयक, १९५२

श्री उपाध्यक्ष— पंचायत बिल का क्लॉज ३ कल से आगे लिया जायगा। क्लॉज इस प्रकार है:—

"*Establishment of Panchayats.*"

The State Government may, by notification in the Rajasthan Gazette, establish a Panchayat for a village or a group of villages not included within the limits of a Municipality."

इस बिल पर जो संशोधन आये हैं वे क्लॉज बाई क्लॉज लिये जावेंगे और जो संशोधन तीसरे क्लॉज पर आया है वह पहले लिया जावेगा। मैं जिन सदस्यों का नाम पुकारूंगा वे अपना संशोधन प्रस्तावित करेंगे और सदन में उस पर सूक्ष्म रीति से विचार होगा और फिर उस संशोधन पर सम्मति ली जावेगी। तो सबसे प्रथम इस पर संशोधन श्री जवानसिंह का है।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस पंचायत बिल के क्लॉज ३ पर मेरा संशोधन निम्न प्रकार से है:— 'State Government may' के बजाय 'State Government Shall' कर दिया जावे।

इस तरह से इस क्लॉज में मेरा संशोधन होगा।

अगर पूरा क्लॉज मैं पढलूं तो शायद मेरे अमेण्डमेण्ट का अर्थ सदन के समझ में भली प्रकार आ जावेगा। मेरे अमेण्डमेण्ट के साथ पूरा क्लॉज इस प्रकार होगा—

"The State Government shall by Notification in the Rajasthan Gazette, establish a Panchayat for a village or a group of villages not included within the limits of a Municipality.

माननीय अध्यक्षजी, कल के वातावरण में कुछ माननीय सदस्यों ने और यहां तक कि इस बिल के मेम्बर इन्चार्ज माननीय मन्त्री जी महोदय ने भी शायद भावावेश में या यों कहिये कि भावुकता में जनहित की दुहाई देनी आरम्भ की थी और वे जनता के अधिकारों के लिये बराबर दुहाई दे रहे थे। शायद जनहित जितना उनको प्यारा नहीं होगा या है उतना ही इधर को बैठने वाले पक्ष के सदस्यों

[श्री जवानसिंह]

को भी प्यारा है और जो दुहाई कल शायद उन्होंने दी थी आज उसी तरह की दुहाई हम भी दे सकते हैं ।

कल जनता के अधिकारों के लिए यदि वह पक्ष मांग कर रहा था तो इधर का पक्ष भी उसका कोई विरोध नहीं करके केवल हिन्दी के अनुवाद में कुछ शब्दों का हेरफेर चाहते थे और हम यह चाहते थे कि कुछ शब्दों में हेरफेर करके उसका सरल हिन्दी म अनुवाद कर दिया जावे। पर वह भी हमारी मांग स्वीकार नहीं करके माननीय मन्त्री जी ने जनता के हित की दुहाई दे डाली ।

श्री अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं कि इसमें आलोचना की दृष्टि न रखकर जो संशोधन रखा गया है उससे इस बिल की कितनी उपयोगता बढ़ेगी, उसम क्या बहतरी हो जावेगी, क्या सुधार हो जावेगा, यह देखें। और इस दृष्टि से देखेंगे तो जिस भावना की आशा की जाती है वह पैदा हो जावेगी। हम ज्यादातर जो आर्ग्युमेण्ट्स और जो विषय सदन के सामने रखना चाहते हों उन्हें दलील के साथ लॉजिकल तरीके पर स्पष्ट करके सामने रक्खें ताकि वह सदन को अपील कर सकें, बजाय इसके कि इससे हटकर और कोई दूसरी बातें कही जावें। (हियर-हियर)

श्री उपाध्यक्ष— आप संक्षेप में कहें।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष का आदेश शिरोधार्य है ।

मैं यह अर्ज करने जा रहा था, केवल भूमिका के तौर पर पहले कह गया हूं, कि जो जनहित की दुहाई दी जा रही है मैं इसी पर अर्ज कर रहा था कि क्या वजह है कि इस क्लॉज के जरिये सरकार यह चाहती है कि कुछ हिस्सों में, जहां वे चाहें, वहां पर तो पंचायतें कायम कर दी जावें और कुछ हिस्से उनकी मरजी के माफिक ऐसे भी रक्खे जा सकते हैं जहां पंचायतें नहीं रक्खी जावें। क्या उन हिस्सों में जनता के अधिकारों का खयाल यह सरकार नहीं रखेगी और इसलिए इस पर जोर लगा रहे थे कि जहां चाहें वहीं पंचायतें कायम की जा सकें और यह बिल इसी रूप से पास हो जाय । मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस तरह जनता के हित की दुहाई देना सरकार का ढोंग है । हर हिस्से की जनता का यह हक है कि वहां पंचायत कायम हो ।

अगर यह सवाल सब के सामने है जनहित का, तो फिर क्या वजह है कि सरकार कुछ हिस्सों में पंचायतें कायम करना पसन्द करे और कुछ हिस्सों के लिए अपनी मर्जी से कायम न करे ।

इसीलिए इस संशोधन में मैंने "मे" शब्द के स्थान पर "शैल" शब्द रखने का प्रस्ताव किया है ।

अगर हमारे साथी चाहते, हैं जनहित की दुहाई देते हैं तो पंचायतों का हक सारे राजस्थान की जनता को है और तब क्यों नहीं "शैल" शब्द रख कर सबको एक सा हक दिया जाता है ? इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर विचार किया जावे । इससे यह साफ तौर पर विदित हो जायगा कि हमारी सरकार अगर इसमें मेरे अमेण्डमेंण्ट को स्वीकार करती है तो म समझूंगा और राजस्थान की जनता यह समझेगी कि हमारी

[श्री जवानसिंह]

सरकार हरेक को उसका हक देना चाहती है, और हरेक गांव को जो पंचायत की शर्तें पूरा करता है, सैल्फ गवर्निंग यूनिट बनाना चाहती है। जैसा कि हमारा हिन्दुस्तान का विधान है उसी तरह हरेक को उसका हक देना चाहती है। तो यह सरकार यहां पर "शैल" शब्द रख कर इस हक को सबको दे। यह मेरी सदन से नम्र प्रार्थना है।

श्री हिम्मतसिंह—जो यह संशोधन मेरे मित्र ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करते हुए अर्ज करूंगा कि मंत्री महोदय इसे सहर्ष मन्जूर करने में आपत्ति न समझें और जनता का जो अधिकार है उस पर कुठारघात न करें।

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Dy. Speaker, Sir. So far as this amendment is concerned, the words 'State Government may' by notification in the Rajasthan Gazette, establish a Panchayat for a village or a group of villages not included within the limits of a Municipality, has the force of 'shall'. I think it is no use replacing it by "shall". I think that my friend is a lawyer and if he realises here that "may" shall mean "shall". At so many places "may" has been interpreted as "shall" and it should be taken as "shall". Judicially it has the force of "shall". Whatever the intention the word "shall" be, it is already represented as "may". The word will have all the force of shall, and it is incumbent upon the State Government to publish notification in the Rajasthan Government Gazette and the word "may" has all the force of "shall". This interpretation will, I hope, satisfy my friend.

श्री जवानसिंह—माननीय मेरे मित्र ने जो बात कही है वह ठीक है। पर यह जो हिन्दी का अनुवाद है उसमें इसका अनुवाद किया गया है—"एक पंचायत स्थापित कर सकती है"। अब अंग्रेजी में तो यह ठीक है कि "मे" का मतलब "शैल" का ही है और "मे" शब्द भी "शैल" का ही काम कर सकता है पर हिन्दी में "कर सकती है" से आशय पूरा नहीं होता। इससे यही अर्थ निकलता है कि सरकार अपनी मर्जी होगी तो पंचायत स्थापित कर सकती है और मर्जी नहीं हुई तो नहीं कर सकती। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि शैल का मतलब लेकर हिन्दी अनुवाद में भी "सरकार एक पंचायत स्थापित करेगी", हो जाना चाहिये; यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—मेरा निवेदन है कि आप इस कॉन्ट्रोवर्सी में न पड़ें। अंग्रेजी का ही मसविदा काम में ले रहे हैं। इसका सरकारी अनुवाद अभी नहीं छपा है। आपके पास जो हिन्दी की प्रति है वह तो सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद जो सिलेक्ट कमेटी की ओर से पेश की गई है वह है। इसलिए यही अंग्रेजी वाला बिल ठीक है। इसमें "मे" शब्द म आपके "शैल" का फोर्स है। इसका अनुवाद करते समय "मे" को हटा कर "शैल" का ध्यान रखेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री)—इसका हल यह हो सकता है कि ओरीजिनल एक्ट जो है वह अंग्रेजी में है। अगर हिन्दी के एक्ट में और अंग्रेजी के एक्ट में फरक है तो ऐसी सूरत में

[श्री रामकिशोर व्यास]

ओरिजिनल में जो होगा वही सही माना जावेगा । इस लिहाज से इस संशोधन द्वारा परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

श्री कानसिंह—जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा अंग्रेजी में छपे हुए को ऑथेरिटी माना जायगा तो गांवों में यह पंचायत कानून के रूप में लोगों के सामने आयगा; पर गांव वाले अंग्रेजी जानते नहीं हैं; इसलिए वे तो सब हिन्दी में जो एक्ट होगा उसी पर ही अमल करेंगे ।

श्री रामकरण जोशी—अभी जिस बिल पर सदन में विचार हो रहा है, उसके पास होने पर उसका जो हिन्दी में अनुवाद होगा वह मान्य होगा । मैं संशोधन पेश करने वाले साथी से निवेदन करूंगा कि वे अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेलें ।

श्री जवानसिंह—मैं इस आश्वासन पर कि हिन्दी अनुवाद में "शैल" शब्द रहेगा सदन से प्रार्थना करता हूं कि मुझे अमेन्डमेन्ट (संशोधन) वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या संशोधन वापिस लेने की स्वीकृति दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा दी गई ।

श्री खेतसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री हरिकृष्ण व्यास किसी आवश्यक कार्य से जोधपुर गये हुए हैं और मुझे अपना अमेन्डमेन्ट मूव करने की ऑथेरिटी दे गये हैं । आप यदि आज्ञा दें तो मैं उसे मूव करूं ।

श्री मथुरादास माथुर—Have you turned yourself communist ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं संशोधन पेश करने की............

श्री मथुरादास माथुर—Has he also given authority to withdraw it.

श्री खेतसिंह—yes.

माननीय उपाध्यक्ष, मैं कॉम्युनिस्ट खयालातों से इत्तफाक नहीं रखता हूं इसलिए इस अमेन्डमेन्ट को वापस लेना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—क्योंकि आप इसे मूव ही नहीं करना चाहते तो यह विदड्रॉन समझा जायगा ।

श्री तेजसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की धारा ३ में मेरा संशोधन निम्न है :

"In the third line after the words "a village" the following words be inserted :—

"having a population not less than one thousand persons" and in the same line after the words "a group of villages" the following words be inserted:—

[श्री तेजसिंह]

"having a total population of not less more than five thousand persons".

इससे पूर्व कि पंचायतों का निर्माण करें हमारे सामने रूपरेखा होनी चाहिए कि किस तरह से निर्माण करना है । कई गांव छोटे हैं और कई बड़े हैं । किसी एक गांव में पंचायत की स्थापना की जा सकती है और ग्राम समूहों की भी एक पंचायत बना सकते हैं । इसलिए यह तय करना आवश्यक है कि आबादी कम से कम किसी गांव की कितनी होनी चाहिए जिसमें पंचायत स्थापित करना है। और साथ ही कुछ गांवों को मिलाकर उनकी जब एक पंचायत स्थापित करना है तो उन सब गांवों की सम्मिलित आबादी ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिये; यह निर्धारित करना आवश्यक है । भूतपूर्व राजस्थान के पंचायत कानून में इस प्रकार की बातें स्पष्ट रूप से बतलाई गई थीं, लेकिन इस बिल में साफ नहीं बतलाया गया है । इसलिये यह बतलाना आवश्यक है कि कम से कम किसी गांव की आबादी, जिसमें पंचायत स्थापित होने वाली है, १००० मनुष्यों की होनी चाहिए और हजार से ज्यादा हों तो कोई बात नहीं है । साथ ही कई गांवों को मिलाकर एक पंचायत की स्थापना की जा रही है तब उन गांवों की सम्मिलित आबादी ज्यादा से ज्यादा ५००० की होनी चाहियें, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिये। कई बार देखा गया है कि १०, १५ या २० गांवों को मिलाकर एक पंचायत स्थापित कर देने से उनकी सम्मिलित आबादी ज्यादा हो जाती है और एरिया भी बहुत बढ़ जाता है जिससे व्यवस्थित रूप से काम नहीं होगा । हम चाहते हैं कि व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं हो और स्वस्थ रूप से काम हो । बहुत ज्यादा आबादी या एरिया होने से काम अच्छी तरह से चलना नामुमकिन हो जायगा और जिस चीज को सामने रखकर एक्ट बना रहे हैं वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा । इसलिये जहां एक गांव की पंचायत हो उसकी कम से कम आबादी क्या होनी चाहिये और जिन ग्राम समूहों को लेकर पंचायत स्थापित कर रहे हैं उन समूहों की आबादी ज्यादा से ज्यादा क्या हो; इसकी लिमिट बांध देंगे तो यह धारा साफ हो जायगी और ग्रामीण लोग पंचायतों का काम अच्छी तरह से कर सकेंगे । इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा है । आशा है सदन इसे स्वीकार करेगा ।

श्री **हरिदत्त**—मुझे इतना ही कहना है कि यह बात पोइन्ट आउट कर दी जाय तो अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें इसका जिक्र नहीं आया है। ऐसा कर देनें से पंचायतों के निर्माण में दिक्कत नहीं रहेगी और काम ठीक ढंग से चल सकेगा ।

श्री **रामकरण जोशी**—मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि फॉर्मर राजस्थान और अब ग्रेटर राजस्थान में फर्क है । फॉर्मर राजस्थान की बनिस्बत ग्रेटर राजस्थान के कई हिस्से ऐसे हैं कि जिनमें अकेले गांवों की आबादी ज्यादा नहीं है और एक गांव से दूर दूर तक दूसरा गांव नहीं है । एक गांव की आबादी ८०० की है या ९९९ है और किसी किसी जगह पांच हजार, चार हजार या दो हजार की है; इसलिए इस तरह की बंदिश जो फॉर्मर राजस्थान में थी यदि ग्रेटर राजस्थान में भी लगा देंगे तो आबादी के लिहाज से तो कई हिस्सों में पंचायतें नहीं बन सकेंगी। इसी बात को सोचते हुए सिलेक्ट कमेटी इस निर्णय पर पहुंची है कि इस तरह की बंदिश नहीं लगनी चाहिये । जो यूनिट आने जाने के लिहाज से, इकोनोमी के लिहाज से ठीक बैठते हैं उनमें इस तरह की पंचायतें बनानी चाहिये । हम अभी

[श्री रामकरण जोशी]

प्रयोगात्मक क्षेत्र में उतर रहे हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस तरह की पाबंदी लगा देंगे तो आगे चलकर वह नुकसान देह साबित हो सकती है । इसी सद्भावना से राजस्थान की आबादी को देखते हुए इस पर दबाव नहीं डाला जाय तो अच्छा हो ।

श्री हरिदत्त—जब आप इस प्रकार के क्षेत्र बनायेंगे तब आपके सामने असुविधा आयेगी । यदि आप संख्या निर्धारित नहीं करेंगे तो अफसरों की मर्जी पर छोड़ना पड़ेगा । नतीजा यह होगा कि एक गांव में ५०० आदमी रहते हैं और दूसरे में १०० आदमी उनकी जाति के रहते हैं तो वे अपनी जाति वाले १०० आदमियों के गांव को किसी एक पंचायत में मिला देंगे और दूसरे को उसमें नहीं मिलायेंगे, इसलिये मुसीबत खड़ी हो जायेगी । कुछ निर्णय तो करना ही पड़ेगा । आपको चाहिये कि आप यूनिफॉर्मिटी कायम करें ।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—यह ठीक है, पर राजस्थान में इसकी बड़ी आबादी को देखते हुए युनिफार्मिटी तो कायम नहीं हो सकती । जैसलमेर में ऐसे गांव हैं जहां सिर्फ २०० की आबादी मिलती है और कोई दूसरी आबादी उसमें नहीं आती है तो फिर ऐसी स्थिति में जब एक जगह कोई एक बात कर चुकते हैं तो दूसरी जगह भी वही करना चाहिए । उस स्थिति में अगर लिमिट यही रहती है तो २०० की भी लिमिट ठीक हो जाती है और अगर २०० की आबादी की पंचायत भी बन जायेगी और यह हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है । मैंने पहले आपको बताया कि हम लोग गांव की यूनिट इस प्रकार की बनायें कि जो अत्यन्त उपयोगी और आवश्यक साबित हो । अगर इसकी कोई लिमिट बांधेंगे, अगर ५०० की ही हो, तो जैसलमेर में २००—२५० की आबादी के गांव हैं, वे बहुत दूर दूर हैं और वह उस सीमा में नहीं पडते हैं तो उनमें कन्टीन्युइटी वहां बिलकुल नहीं रहेगी । मुझे खुशी होती इसे स्वीकार करने में, मगर राजस्थान की आबादी इस ढंग से बसी हुई है; जैसलमेर कोटा, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर आदि विभिन्न जगहों की हालत जो है, उससे आप लोग वाकिफ हैं; इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस संस्था की बेसिस बांधने से पूरा काम नहीं चल सकता है ।

एक मानमीय सदस्य—इसमें शब्द "नॉर्मल्ली" कुछ अर्थ रखता है । इस पर और विचार कर लें । "नॉर्मल्ली" जो इसमें है उसका मतलब है वैसे आम तौर पर ऐसा किया जाय, अगर कहीं मतभेद हो और सुविधाजनक नहीं हो तो वहां पर वैसा कर लें ।

श्री मथुरादास माथुर—The words 'normally' would then leave the discretion in the hands of officers.

श्री हरिकृष्ण व्यास—To some extent for particular areas.

श्री मथुरादास माथुर—Why not leave the discretion to the full extent? I don't think it is very particular.

श्री हिम्मतसिंह—But what about the maximum number?

[श्री हिम्मतसिंह]

जब ५ हजार से ज्यादा की आबादी के कस्बों में म्युनिसिपेलिटीज् कायम कर रहे तो उससे नीचे तो होना लाजमी है, इसलिए मेग्जिमम तो ५ हजार हो जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य--वह तो आपही आप हो जायगा।

श्री रामकरण जोशी--मैं माननीय सदस्यों का ध्यान म्युनिसिपल एक्ट की तरफ आकर्षित करता हूं जिसमें यह दिया गया है कि ५ हजार की आबादी से ऊपर की आबादी के जो कस्बे हैं उन सब को राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट के तहत टाउन्स घोषित कर दिया जाता है, और जो म्युनिसिपेलिटिज् में आते हैं उनको छोड दिया गया है। म्युनिसिपल टाउन्स ५ हजार की आबादी से ऊपर की आबादी के होते हैं। जिन कस्बों की आबादी ५ हजार से ज्यादा नहीं है वह म्युनिसिपल टाउन्स नहीं हैं। "म्युनिसिपल टाउन" जो लिखा गया है उसका मतलब ही यह होता है।

श्री कानसिंह--इस विषय के ऊपर जो मंत्री महोदय ने कहा कि गांव की संख्या मुकर्रर करने से आपत्ति पैदा हो जायगी। तो इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि श्रीमान् मंत्री महोदय हमारे इलाकों, बीकानेर, जैसलमेर, से वाकिफ नहीं हैं। वहां पर हमारे गांव ऐसे भी होते हैं कि एक गांव के आसपास ५-५,६-६ मील पर ढाणियां होती हैं और उस गांव के कई लोग उन ढाणियों में रहते हैं। संख्या नियत होने पर भी उसी में शामिल करना होगा। ऐसी ढाणियों में २०-२० आदमी उसी गांव के रहने वाले रहते हैं। इसलिए तादाद मुकर्रर कर दी जाय कि इतने घर की आबादी एक ही जगह आकर पंचायत करेगी तो मेरा ख़याल है कि उन को वहीं आना पड़ेगा। आप अगर यह नियम कायम नहीं करेंगे तो एक ही गांव के रहने वाले, ढाणीवाले कहेंगे कि ढाणी की पंचायत अलग कर दी जावे। यह बड़ी भारी आपत्ति हो जायेगी। इसलिए इसमें कोई यनिफार्मिटी आफ नम्बर्स कायम कर दी जाय इतनी तादात के आदमी जहां रहेंगे, इतनी संख्या उन लोगों की होगी, उनकी एक पंचायत होगी। अगर आप यह नहीं करेंगे तो लोग बड़ा दुरुपयोग करेंगे। आप यह अधिकार हटालें अफसरों के हाथ से, ऐसे अख्त्यार को लोग नाजायज इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि यह अमेन्डमेन्ट कि; "Having a total population of not more than 5,000 persons". ठीक है।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)--माननीय अध्यक्षजी, इस एमेन्डमेन्ट के बारे में श्री तेजसिंहजी ने मूव किया है, इसके पहले हिस्से के बारे में, क्लेरिफिकेशन किया है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा है "Having a total population of not more than five thousand persons." यह जो रख दिया जाय तो मैं उचित ही समझूंगा। कई कई जगह पर ऐसा देख रहे हैं कि सरकार की ओर से, काफी बड़े कस्बे होते हुए भी, उसके अन्दर कुछ पोलिटिकल कारणों से बहुत से आस पास के ढाणी ढाणियों को मिलाया जाता है और उनकी एक अनवील्डिग पंचायत बनादी जाती है। इसलिए यह मांग है उसको रोकने की कोशिश करना मैं बिल्कुल उचित समझता हूं और माननीय मंत्री से कहूंगा कि जिस प्रकार कि आपने पहले फरमाया है कि मिनिमम लिमिट नहीं कर सकेंगे तो कम से कम मेग्ज़िमम वाली क्लॉज को एक्सेप्ट करलें।

श्री रामकरण जोशी—मेग्जिमम वाली क्लॉज तो म्युनिसिपैलिटी से गवर्न हो जाती है और मैं एक निवेदन और करूं कि कहीं बड़ा कस्बा ऐसा है जिसकी आबादी ५ हजार से ज्यादा हो गई है तो वह जिस वक्त पंचायत बनी थी उस वक्त नहीं हुए थे।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—जब ग्रुप ऑफ विलेजेज आ जाते हैं तो वह म्यूनिसिपल एक्ट से गवर्न नहीं होते हैं। इसलिए इसकी वजह से इसकी लिमिट करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। ग्रुप ऑफ विलेजेज जहां आ गये तब ये म्युनिसिपल एक्ट से गवर्न नहीं होते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इस छोटे से एमेन्डमेन्ट को मन्जूर कर लें तो बड़ा भला होगा।

श्री रामकरण जोशी—ग्रुप ऑफ विलेजेज से कोई बन्दिश नहीं लगती है; संख्या की कोई बन्दिश नहीं रखना चाहता हूं। कानून के अन्दर दूसरी तरह के लिए कोई गुन्जाइश छोड़ दें तो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होगा। यह बात सही है इस आधार पर कि एक पंचायत कितना गवर्न कर सकती है, इस आधार पर कि वह कितने गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकती है, यह यूनिट कायम करेंगे। म्युनिसिपैलिटीज का काम भी पंचायतों के आधीन है। उनकी कुछ ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हैं और कुछ डिस्क्रीशनरी ड्यूटीज हैं। इन सब को देखने के लिये जो यूनिट बनाये जायेगें वह यूनिट ऐसे बनेंगे कि पंचायतें उनको अपनी देखरेख में रख सकें। उसमें यह हार्ड एन्ड फास्ट रूल बना दें कि उनकी नियत संख्या ५ हजार, ६ हजार या ४ हजार बांध दें; यह नहीं हो सकता है। हमारे गांव इस तरीके से तो बसे हुए नहीं हैं। अगर हमने संख्या ४००४ बांध दी तो पूरे गांव में ४००३ ही निकलें या हमने संख्या ५००० बांध दी तो गांव में ५००२ भी हो सकते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि युनिट्स बनें हैं उन यूनिटों में कोई सजेशन आप ऐसा दे सकें कि वह यूनिट इस तरह का होता तो ठीक होता तो ज्यादा अच्छा होगा। बन्दिश बांध देने से काम में, उसके अमल में दिक्कत आयेगी।

मैं इसके अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी यह इच्छा है कि विधेयक के आपके यहां स्वीकार करने के बाद ६ महीने में आपके सामने राजस्थान में ३२०० पंचायतें काम करने लगेंगी। ४०,००० पंच चुने जायगे जिनके हाथ में १२६,००,००० जनता का एडमिनिस्ट्रेशन होगा गांवों का। ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसी भी जगह संख्या बांध देने के बाद १,२ या ४ कम हो गई तो दिक्कत पैदा हो जायगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको स्वीकार करलें और इस पर आग्रह नहीं करें तो ज्यादा उचित है।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं एक सजेशन आपको देना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—ठहरिये। (श्री रामकरण जोशी की ओर संकेत करते हुए) माननीय मंत्री महोदय, जो जो इस संशोधन के विषय में बोलना चाहें उन सब की बातें सुनकर नोट्स करलें और एक साथ रिप्लाई दे दें, ताकि यह सिलेक्ट कमेटी के तौर पर डिबेट की शक्ल में नहीं हो जाय। वर्ना इसमें बड़ी लंबी बहस हो जायगी।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूं कि मैं रुक कर जवाब देता किन्तु जब कोई दूसरे सदस्य नहीं बोलते हैं तो मैं बोलता हूं।

Page No.61

श्री गोपीलाल यादव–मंत्री महोदय ने यह कहा कि लिमिट के संबंध में कई सजेशन दिये जाय। तो मैं यह सजेस्ट करना चाहता हूं कि नॉरमली एक पटवार यूनिट को इसमें शामिल कर लिया जाय। आमतौर से ऐसा होता है कि दो या तीन या चार गांवों पर एक पटवारी मुकर्रर होता है। उस पटवार यूनिट के अन्दर गांव दो या तीन मील की दूरी में होते हैं। इसलिए इसमें शायद यह आसानी हो जाय। मैं यह चीज एक सजेशन के तौर पर दे रहा हूं, एनफोर्स करने के लिए नहीं।

श्री खेतसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा खयाल है कि यह जिस तरह से क्लॉज है उसी तरह से रहना चाहिए क्योंकि जो कोई भी सदस्य बोले हैं वे या तो जयपुर के या भरतपुर के हैं, जहां ज्यादा पॉपुलेशन है। उनको वाकई हमारे जैसलमेर और शेरगढ़ के इलाकों का तजुर्बा नहीं है। हमारे उधर वाकई ऐसी स्थिति है कि १५–१५, १६–१६ मील तक दूसरा गांव नहीं आता है। उन गांवों की पॉपुलेशन भी कहीं २५० या ३०० से ज्यादा नहीं होती है। किसी किसी की १ हजार से ऊपर ही है, लेकिन उन सबकी हालत देखते हुए यह क्लॉज ठीक रहेगा।

श्री भैरूंसिंह केलवा–श्रीमान्, विकेन्द्रीयकरण की नीति यही है कि छोटी से छोटी यूनिट रखी जाय; उन्हें स्वायत्त शासन का अधिकार दिया जाय। मगर ५ हजार संख्या ऐसी रखी गयी है कि उसके वाद गांव एक टाउन हो जाता है और वहां म्युनिसिपैलिटी कायम हो जाती है। इसलिए उनकी ५ हजार व्यक्तियों की लिमिट हो जाती है। छोटे छोटे गांव भी होंगे तो उनकी भी एक यूनिट कायम कर देना चाहिये; उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। १०–१२ हजार की आवादी के भी गांव हैं जहां पंचायतों के कुछ ऐसे सेक्शन हैं कि एक हजार या दो हजार आदमी अपनी अलग ग्राम पंचायत कायम करने की आवश्यकता समझें तो उनको सेपरेट ग्राम पंचायत बनाने का हक होना चाहिए। व्यक्तियों की ज्यादा लिमिट ५ हजार से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। ५ हजार की लिमिट कायम कर दी जाय या २ हजार की आवादी को अधिकार दिये जाय कि वे separate ग्राम पंचायत कायम कर सकें।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)–माननीय उपाध्यक्ष, मुझे कुछ अधिक निवेदन नहीं करना है। यूनिट २ हजार की इकोनोमिक भी हो सकती है और वह इकोनोमिक भी नहीं हो सकती है। मैं उस प्रयोग में जिनमें यू. पी. और दूसरी जगह की पंचायतें पड़ी हुई हैं, यहां की पंचायतों को नहीं डालना चाहता हूं, मैं दुख के साथ यह एमेंडमेंट अस्वीकार करता हूं।

श्री तेजसिंह—Mr. Dy. Speaker, Sir, may I be allowed to reply.

एक आवाज—No necessity of reply.

श्री गोपीलाल यादव–He has got a right to reply. According to Rule No. 105 the mover of the amendment has a right to reply.

श्री उपाध्यक्ष—You need not worry. He will speak.

श्री तेजसिंह--माननीय अध्यक्ष, मेरे संशोधन के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि कम से कम कितनी संख्या हो ? मंत्री महोदय द्वारा जो खुलासा किया गया वह मुझे भी जॅचता है और मुझे भी स्वीकार है। राजस्थान में ऐसे गांव जहां कहीं आये हैं वहां पंचायतें कायम करना आवश्यक है। जोधपुर के आये हुए सदस्य ने जो कहा वह भी वाजिब है। पहला संशोधन तो इसलिये विदड्रा कर ही लेता हूं।

दूसरी जो बात है वह यह कि जहां ग्रुप ऑफ विलेजेज यानी कई ग्रामों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत क़ायम करने का है तो उनकी ५ हजार से ज्यादा आबादी नहीं होनी चाहिए। यह जोधपुर और जैसलमेर के विषय में है जहां दूर दूर गांव हैं। उनको किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाता है। यह तो इतना ही है कि जहां की ज्यादा आबादी हो ज्यादा ग्रामों की पंचायतें बनाई जाती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उनकी संख्या ५ हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि फॉर्मर राजस्थान में था कि २ हजार के करीब करीब होने से पंचायत का युनिट ठीक बैठ जाता है। अतः यदि इस हाउस के सदस्य चाहें तो २ हजार के बजाय ५ हजार कर दें। जिन ग्रामों को मिलाया जाय उनकी आबादी ५ हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पर फिर गौर फरमायेंगे और पटवारी का हल्का मान लिया जावे और वह पांच हजार की आबादी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर अवश्य गौर फरमाया जावे। मैं अपने संशोधन के पहले भाग को वापस लेने के लिए तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न सदन के सामने यह है कि श्री तेजसिंह अपने संशोधन के पहले भाग को वापस लेना चाहते हैं।

(स्वीकृत)

पहिले भाग को वापस लेने की स्वीकृति दी जाती है।

(विराम)

वे दूसरे भाग के लिए यह चाहते हैं कि यह संशोधन मंजूर किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन का दूसरा भाग अस्वीकृत किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--अब श्री भैरोंसिंह अपना संशोधन पेश करें।

श्री जवानसिंह--इस विषय पर मेरा भी संशोधन था परन्तु मेरा नाम नहीं पुकारा गया; इसलिए मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर सकता। क्या आप मुझे अपने संशोधन पर बोलने की आज्ञा देंगे। मेरा संशोधन नम्बर २२ है।

श्री **उपाध्यक्ष**--You may move. यह संशोधन आर्डर में नीचे था रखा था। श्री भैरूसिंह के संशोधन से पहले इसको ले लेते हैं।

श्री जवानसिंह—मेरा संशोधन इस क्लॉज के बी भाग पर इस प्रकार है :—The words " normally having a population of one thousand persons and not exceeding four thousand persons" be inserted between the words " villages " and "not included". यह संशोधन आ जाने के पश्चात् क्लॉज इस प्रकार होगा : "The State Government may, by notification in the Rajasthan Gazette establish a Panchayat for a village or group of villages normally having a population of one thousand persons and not exceeding four thousand persons not included within the limits of a municipality.

इससे पहले मूल क्लॉज पर थोडा बहुत वाद-विवाद हो चुका है । मेरी सिर्फ अब यही अर्ज है कि अगर चार-पांच गांव एक दूसरे के नजदीक इस तरह के हों कि हरएक गांव की आबादी पांच हजार से कम हो लेकिन एक गांव की आबादी ४ हजार हो ; इसी तरह तीन चार गांव की आवादी चार साढे चार हजार हो तो इस कानून के जरिये यह मुमकिन है कि ४-५ गांव जिसकी हर एक की आबादी पांच हजार से कम है उसको एक ग्रुप ऑफ विलेजेज के आधार पर पंचायत बनाई जा सकती है । इस संबन्ध में सरकार की ओर से साफ तौर से आश्वासन चाहता हूं कि यदि ऐसे ग्रुप ऑफ विलेजेज में पंचायत सरकल बनावें तो ५ हजार से ज्यादा की आबादी की नहीं बनावेगी । अगर विश्वास सदन को दे दिया जाता है तो मैं सरकार के आश्वासन पर अपने इस संशोधन को विद्ड्रा करने के लिये तैयार हूं ।

श्री रामकरण जोशी—यह बात ठीक है कि नोरमली ५००० की आबादी का आश्वासन दिया जा सकता है, पर कहीं एब्नोर्मली यदि हो जाय तो वह बात अलग है ।

श्री हिम्मतसिंह—तो क्या एब्नोर्मली के सिवाय इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—नहीं, नहीं अमेन्डमेन्ट मुझे स्वीकार नहीं । मैं सरकार की ओर से आश्वासन देता हूं कि एब्नोरमली को छोड कर ५०००) से ज्यादा आबादी एक पंचायत में नहीं रखी जायगी ।

श्री जवानसिंह— माननीय अध्यक्ष, माननीय मन्त्री जी का उत्तर सुन कर मुझे महसूस होने लगा है कि सरकारी पक्ष में बहुमत की शक्ति का ख्याल बढ़ता जा रहा है और जो भी संशोधन इस ओर से पेश किया जाता है, चाहे वह कितना ही सहूलियत और सरलता के लिये क्यों न हो उसका उस तरह ख्याल नहीं किया जाता ; जिस तरह सहयोग की दुहाई देते हुए किया जाना चाहिये । सरकारी पक्ष देखता है कि बहुमत की शक्ति से जैसा भी वे चाहेंगे पास करवा देंगे ।

अगर सरकार चाहती है कि ५००० से ज्यादा आबादी वाला सरकल नहीं बने तो यह आश्वासन देने में क्या आपत्ति है ? अगर सरकार आपत्ति समझती है तो मैं समझूंगा कि आप दूसरा विचार रखते हैं । इसलिये मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि नोरमली आप १००० से लेकर ५००० के बीच की कितनी ही आबादी हो, चाहे उस में २–३, चार या अधिक गांव हों उनका एक सरकल बना दीजिये, परन्तु यह ध्यान रखिये कि ५००० से ज्यादा आबादी वाला सरकल नहीं बनाया जायगा ।

श्री रामकरण जोशी--मुझे दुख है कि जिस तरह से मुझे समझा गया है, वह गलत है । आगे चलेंगे तो आपको मालूम होगा कि अमेन्डमेन्ट्स भी बहुत से स्वीकार किये गये हैं परन्तु जो ठीक नहीं हैं उन अमेन्डमेन्ट्स को स्वीकार नहीं किया जा सकता । कल की बात को मेरे साथियों को भूल जाना चाहिये । माननीय उपाध्यक्ष ने भी चेयर से फरमा दिया कि कल की बात को भूल जाना चाहिये ।

मैं आपसे निवेदन करूं कि ५-७ ऐसे कस्बे हैं जहां पंचायतें चल रही हैं । वहां पहले आबादी कहीं ४५०० थी, कहीं ४८०० थी ; पर सन् १९५३ में उनकी आबादी ५६०० हो गई है । कहीं कहीं चुनाव हुए हैं और जहां नहीं हुए हैं वहां जब तक म्युनिसिपलिटी के चुनाव नहीं हो जायेंगे तब तक वहां चाहे आबादी ५६०० की भी हो तो भी वहां पंचायतें ही रहेंगी । इसलिये मैंने अर्ज किया है कि नोरमली इस तरह का ख्याल रखा गया है कि ५००० आबादी से ज्यादा सरकल नहीं हो । अगर इस तरह के अमेन्डमेन्ट को स्वीकार कर लिया जाता है तो आजकल रिट चलता है । जहां कहीं ५००३ की आबादी हुई तो बड़ी मुश्किल होगी । मैं इसकी व्यवहारिकता को देखते हुए यह बात कह रहा हूं ; वोटिंग और बहुमत की कोई बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--यह तो आश्वासन माननीय मन्त्री जी ने दे दिया है कि ५००० से ज्यादा की आबादी का सरकल नहीं होगा । आप अपना यह संशोधन वापिस लेना चाहते हैं या वोट लेना चाहते हैं ?

श्री जवानसिंह--मैं सदन से निवेदन करता हूं कि मुझे मेरा संशोधन वापिस लेने की स्वीकृति दी जावे ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि श्री जवानसिंह को अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान हुई ।

श्री जवानसिंह--मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री भैरुंसिंह--माननीय उपाध्यक्ष जी, क्लॉज ३ पर मेरा एमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:--

"Insert the words"having a population of not less than one thousand persons' after the word 'village' in the 3rd line.

Insert the words"having a total population of not more than ten thousand persons and 'after the word villages' in 3rd line."

उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज पर काफी वाद-विवाद हो चुका है और इस प्रकार का एक अमेन्डमेन्ट मेरे दोस्त श्री तेजसिंह जी ने भी पेश किया था और वह अस्वीकार कर लिया गया है। उनके एमेन्डमेन्ट में और मेरे अमेन्डमेन्ट में महज एक अन्तर है जो यह कि उन्होंने ग्रुप ऑफ विलेजेज की ज्यादा से ज्यादा आबादी की मिकदार कायम की है और वह ५००० है और मेरे संशोधन में यह तादाद १०००० है ।

[श्री भैंरूसिंह]

इस सम्बंध में काफी वाद विवाद हो चुका है। पहले एमेन्डमेन्ट में कम से कम एक गांव की आवादी की मिकदार १००० करने के बारे में यह कहा गया था कि जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट्स थिकली पोपुलेटेड(Thickly populated)नहीं हैं और गावों के फासले दूर दूर हैं और उन गावों में एक एक में पंचायत कायम करना जरूरी है। लेकिन पंचों की डैफिनिशन को, जो इस विल में दी हुई है देखने का यदि माननीय मन्त्री प्रयत्न करते तो मालूम होता कि किसी पंचायत में अनपढ़ पंच या सरपंच नहीं हो सकता। मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से बाड़मेर और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के गांव दूर दूर हैं उसी तरह उन जिलों में पढाई का भी नामोनिशान नहीं है। यदि किसी गांव में तार या चिट्ठी आ जाय तो पढ़ने वाला नहीं मिलता और पोस्टमैन की खुशामद करनी पड़ती है। तो ऐसे गांवों में पढे लिखे पंच नहीं मिल सकेगें और फिर मजबूरन उनके अभाव में पंचायत भी स्थापित नहीं की जा सकेगी।

श्री रामकरण जोशी—ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फर्मेशन, सर, पंचों के लिये पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। सरपंच के लिये पढ़ा लिखा होना जरूरी है।

श्री भैंरूसिंह—सरपंच हर एक पंचायत के लिये होना आवश्यक है। इसका ही पढ़ा लिखा होना आवश्यक समझ लिया जाय। यदि पंचायतें सभी जगह स्थापित करनी हैं तो यह देखना होगा कि इस गांव में पढ़ा लिखा सरपंच मिल सकता है या नहीं। इसलिये एक मिकदार कायम कर देनी चाहिये कि इस मिकदार में आवादी होने पर पंचायत कायम होगी।

मेरा दूसरा संशोधन ज्यादा से ज्यादा दस हजार की आवादी, ग्रूप अफ विलेजेज की होने के बारे में है। माननीय मन्त्री जी ने यह फरमाया था कि यह आश्वासन दिलाते हैं कि जहां तक होगा पांच हजार से ज्यादा आवादी नहीं होगी। लेकिन मेरा संशोधन दस हजार के लिये है। मैं मान लेता हूं कि मन्त्री जी के कथानुसार दस हजार तक कवर हो जाता है; इसलिये आशा करता हूं कि मेरा संशोधन मंजूर कर सकेंगे। कुछ पंचायतों की आवादी अधिक हो जाती है। जयपुर डिविजन में ऐसी पंचायतें कायम हुई हैं जिनकी आवादी १८–१९ हजार तक हो गई है। इस विल के अनुसार पंचों की संख्या ६ से १५ तक हो सकती है। यदि बिना मिकदार कायम किये पंचायतें बनाते हैं तो गांवों के प्रतिनिधि बराबर नहीं आते। इसलिये मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आवादी १०,००० की नियत करदें ताकि हर एक गांव को प्रतिनिधित्व मिल सके और पंचायतों का काम अच्छी तरह से चल सके। इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि मेरा संशोधन मंजूर फरमावें।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—मैंने सदन को पांच हजार की आवादी तक का आश्वासन दिया है। पांच हजार से अधिक आबादी जैसा कि माननीय सदस्य का कहना है कि दस हजार आवादी क्यों नहीं रख दी जाय, रखना उचित प्रतीत नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आता कि वे किस प्रकार सोचते हैं। जयपुर की पंचायत में तो २१–२१ पंच रखे गये थे। वहां अनपढ़ लोग नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि मेरे साथी अपने इस अमेन्डमेन्ट को वापिस ले लेंगे। इस तरह के अमेन्डमेन्ट्स पर तो काफी समय से वहस हो रही है। मैं इसके सम्बन्ध में पहले कह ही चुका हूं और अब विशेष कुछ नहीं कहना चाहता। अमेन्डमेन्ट मुझे अस्वीकार है।

श्री भैरू सिंह—मुझे मेरे संशोधन को वापिस लेने की इजाजत दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—संशोधन वापिस लेना चाहते हैं, क्या इसके लिये अनुमति दी जाय ?

(सर्वसम्मति से संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई)

सर्वसम्मति से आज्ञा दी गई ।

श्री भैरू सिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि पंचायत विधेयक का क्लॉज ३ अंग रूप से स्वीकार किया जाय?

(सर्व सम्मति से स्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष—खण्ड ३ पंचायत विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज संख्या ४ लिया जाता है जो इस प्रकार है :—

"*Number of Panches.*—A Panchayat shall consist of such number of Panchas, not being less than 5 or more than 15, as the State Government may think fit".

इस क्लॉज पर श्री जवान सिंह का संशोधन है और वे उसको प्रस्तावित करेंगे ।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष जी, क्लॉज ४ में मेरा संशोधन इस प्रकार है ......

"This clause (clause No. 4) be substituted by the following :—

'A Panchayat shall consist of five members including the Sarpanch for a population of one thousand persons and this number shall rise proportionately not exceeding fifteen on a population of fifteen thousand including the Sarpanch'.

In this amendment, the word 'fifteen' occurring *after* the words 'population of' is a misprint for 'five'. It should be 'five thousand' instead of '15 thousand'.

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह संशोधन मैंने इसलिये रखा है कि बिल के क्लॉज में जो पंचों का नम्बर है वह मुकर्रर किया गया है; वह ज्यादा है। अगर कहीं पर छोटे छोटे गांव हैं या गांवों का एक ग्रुप है और चूंकि वे गांव दूर दूर बसे हुए होने की वजह से मिलाये तो नहीं जा सकते, तो उनके लिये उस सूरत में अलग अलग पंचायतें कायम करना आवश्यक हो जायगा और उन छोटे-छोटे गांवों के लिये ६ पंच मुकर्रर करना तो शायद ज्यादा होगा । यह मामला सरल भी नहीं होगा ; इसलिये मैंने संशोधन रखा है कि कम से कम पांच पंच होने चाहियें किसी भी पंचायत में, और ज्यादा से ज्यादा १५ होने चाहियें; जैसा कि बिल में रखा गया है । इसके साथ ही साथ जैसा

[श्री जवानसिंह]

कि सदन को विदित हो चुका है कि पांच हज़ार या उससे अधिक आबादी होने पर वहां म्युनिसिपैलि-टियां क़ायम हो जायेंगी और इन पंचायतों के लिए अगर आप यह चाहते हैं कि इनका नम्बर भी ५ और १५ के बीच में रहे तो मेरा ख्याल है इसमें लोगों को भी ज्यादा सहूलियत रहेगी और सबको ज्यादा स्वतन्त्रता रहेगी।

लेकिन इस बीच में यह देखना है कि पांच-पन्द्रह का नम्बर कैसे हो सकता है। वह नम्बर इसी तरह से पोपुलेशन १ से लेकर ५ हजार के बीच में (vary) वेराई करेगा ; इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि १ हज़ार से ऊपर जितनी आबादी एक गांव या ग्राम समूह की बढ़ती जावेगी उसी प्रोपोर्शन में उनके यहां पांच से आगे नम्बर बढ़ता जावेगा। जहां पांच हज़ार से अधिक हैं और २०-२५ हज़ार से ऊपर आबादी नहीं है वहां ज्यादा से ज्यादा १५ सदस्य हो सकेंगे।

इसी ख्याल से मैंने यह संशोधन रखा है; ताकि किसी को भी, गांव को या गांव के समूह को जनता के आदमियों को या उनके किसी भी हिस्से को यह महसूस नहीं हो कि इसमें सरकार ने ज्यादती की है और हमारे यहां पंच ज्यादा होने चाहियें थे और सरकार ने कम किये हैं। इसके हो जाने से किसी को भी शिकायत का अवसर नहीं आवेगा।

इस ख्याल से मैंने यह संशोधन सदन के सन्मुख रखा है। मेरा ख़यल है माननीय मन्त्री, इस पर विचार कर, इसे अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री मानसिंह (महार)—माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी तक हमारे पहले वाले संशोधन मन्ज़ूर हो जाते तो शायद इसमें यह अमेन्डमेन्ट लाने की जरूरत नहीं होती। कम से कम संख्या ५ रक्खी जावे यह हमारा संशोधन है। लेकिन जब हमारे पहले वाले अमेन्डमेन्ट में सरकार की ओर से यह कहा गया कि जैसलमेर और जोधपुर के कुछ हिस्सों के गांव बहुत दूर दूर हैं और बहुत मुमकिन है कि सरकार को सौ-सौ, दो-दो सौ की आबादी पर ही पंचायत कायम करनी पड़े तो मैं समझता हूं कि इस हालत में २०० आदमियों की अगर कोई पंचायत है तो उसमें पांच से अधिक पंच बनाना अननेसेसरी सा हो जाता है।

इसके अलावा पुराने जमाने में, राम-राज्य के जमाने में, भगवान रामचन्द्रजी के जमाने में (हंसी) जो पंचायतें होती थी उस समय आजकल की तरह यातायात के साधन नहीं होते थे। इसलिये छोटे छोटे गांवों में अलग अलग पंचायतें होती थी और उनमें पांच पंच हुआ करते थे और इसीलिए इसका नाम ही पंचायत पड़ा था। इस वजह से इस पंचायत की मिनिमम लिमिट ६ की जावे ; इसको तो मैं उचित नहीं समझता हूं। इसकी संख्या परम्परा से जिस तरह होती आई है उसी तरह सरकार को उदारता पूर्वक मन्ज़ूर करना चाहिये। फिर पांच पंचों की व्यवस्था बड़ी इकोनामिक भी है और सुविधाजनक भी। इसलिये मन्त्री महोदय से अपील करूंगा कि इसमें किसी प्रकार की अड़चन न डाल कर उदारता पूर्वक इस संशोधन को मन्ज़ूर करें।

श्री रूपनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि राम-राज्य में जैसा स्वायत्त शासन था उसके अनुसार पंचायत के पांच पंचों के लिए पंच परमेश्वर की कहावत चरितार्थ थी।

पर आज एक ढाणी है किसी हल्के में, जिसमें २५ आदमी हैं और उसके आसपास ५ कोस में भी कोई गांव नहीं है; वहां भी हमें पंचायत स्थापन का अधिकार तो देना ही पड़ेगा। जब २५ आदमियों में और उनमें पांच पांच का प्रतिनिधित्व एक आदमी करे, यह तो मुमकिन है पर एक आदमी दो का ही प्रतिनिधित्व करे, या १५ हैं तो डेढ–डेढ आदमी का करें यह तो कोई उचित नहीं है। अगर यह हो जावे तो यदि कहीं आदमी कम हों तो वहां पंचायत नहीं हो सकती और होगी तो वहां यह अधिकार देना होगा कि कम से कम वहां पांच पंच तो हों हों। यह विशेषता तो रखनी पड़ेगी।

अगर नहीं रखेंगे तो हमारे हल्के में ऐसी भी ढाणी है जिसमें एक ही घर है। एक खेत पर वह ढाणी कहलाती है। वह किसी गांव में शामिल नहीं होती है तो उसमें जितने जाट हैं वे पंच हो जावेंगे। वहां हरिजन तो पछतावेगा। इसलिये मैं कहता हूं कि अगर हमें विशाल दृष्टिकोण से देखना है तो हमें सब तरफ देखना चाहिये। और कोई नियम न हो पर १०० पर पंचायत हो सकती है और १५ आदमी हैं वहां भी हो सकती है। तो यह तो कोई नियम नहीं रहा। जर्मन में फौज में एक नियम है कि एक आदमी भी हो तो वह भी प्रतिनिधित्व करे। तो इस तरह आप भी कम से कम यह करदें कि कम से कम पांच पंच हों। जहां जन संख्या कम हो वहां कम से कम पांच हों। वहां भी एक एक आदमी कम से कम पांच पांच का तो प्रतिनिधित्व करेंगे और जहां पांच ही कुल आदमी होंगे वे तो बने बनाये ही पंच होंगे। यह तो निश्चय हो जाना चाहिये कि एक आदमी कितने आदमियों का प्रतिनिधित्व करे। इसमें कम से कम पांच पंच तो हों। कहां तक पंच बन सकते हैं यह निश्चय तो हो ही जाना चाहिये।

श्री मुकिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष जी, पंचायत बिल पर जो बहस चल रही है उसमें इस बात पर विवाद चल रहा है कि कितने पंच कितनी आबादी पर होने चाहियें। ऊपर की धारा पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि उस धारा में कहा गया है कि पांच हज़ार की आबादी के नीचे एक ग्राम पंचायत होगी; इसके लिये मैं आपको बता दूं कि हमारी बैराठ तहसील में बीस हज़ार की आबादी पर एक ग्राम पंचायत कायम की गई है। २० हज़ार की आबादी पर कितने पंच चुने जांय, कितने गांवों के पंचों को चुन कर पंचायत बनाई जाय। काफी परेशानी से पंचायतें बनती हैं। पंचायतों में जो लोग आते हैं उनकी और गांवों की हालत देखते हुए, गांवों को सुविधा पहुंचाने के लिये उसकी आबादी के ऊपर १५ पंच मुकर्रर हो जांय तो २० हजार की आबादी पर २० पंच मुकर्रर होने चाहियें। आबादी को लेकर यह रखा गया है; जितनी आबादी हो उसके हिसाब से पंचों को चुनना चाहिये। मैं सी. पी. के गांवों में भी गया और यू. पी. के गांवों में भी गया। वहां आबादी के आधार पर पंचायतें बनी हुई हैं और आबादी के आधार पर ही पंचों का चुनाव होता है। ऊपर की धारा के अन्दर यह नहीं बताया गया है कि कुल आबादी कितनी होगी, उसके आधार पर पंचायतें बनेंगी। अगर उसका आधार बता दिया जाता तो यह कहने की नौबत ही नहीं आती। इसीलिये यह कहना और बोलना पड़ रहा है। कि इतने हज़ार की आबादी पर इतने पंच होने चाहियें; यह बात तय होनी चाहिये।

Page No.69

श्री रामकरण जोशी--उपाध्यक्ष महोदय, पुरानी पंचायतों का जिस प्रकार जिक्र किया गया है वह विचार तो इस नये पंचायत एक्ट को पढ़ने के बाद समाप्त हो जाना चाहिये। पुराने समय में जयपुर और बैराठ में २० हजार की आबादी में एक पंचायत थी तो दूसरी तरफ जैसलमेर, अलवर आदि में एक भी पंचायत नहीं थी। इसलिये हमें उन पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिये। मैं ६ के स्थान पर ५ से १५ तक का जो संशोधन है, उसको स्वीकार करता हूं।

श्री जवानसिंह--चूंकि मन्त्री महोदय ने यह मान लिया कि पंचों की संख्या ६ के बजाय ५ होगी अतः मैं अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--क्या सदन श्री जवानसिंह को अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान करता है।

(वापिस लेने की आज्ञा दी गई)

श्री जवानसिंह--मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--अब प्रश्न यह है कि मन्त्री महोदय ने जो खण्ड ४ में ६ के बदले ५ की संख्या स्वीकार कर ली है तो क्या वह संख्या सदन को स्वीकृत है।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४ में ६ के बदले ५ संख्या स्वीकृत हुई।

(विराम)

अब श्री शम्भूसिंह अपना अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करेंगे।

श्री शंभूसिंह--माननीय उपाध्यक्ष, मेरा संशोधन इस प्रकार है :--

"At the end of this clause add" at least the fifth of which including Sarpanch and Upsarpanch should be literate to the extent of being able to read and write Hindi."

यह बात तो विदित ही है कि पंचायतें वहां की जनता को सस्ता न्याय देने के लिए मुकर्रर की जाती हैं और ठीक न्याय तभी हो सकता है जब पंचायत पढ़े-लिखे व समझदार व्यक्तियों के हाथ में हो। यदि वे अच्छे और समझदार लोगों के हाथ में नहीं होगी तो ऐसी हालत में उन अधिकारों का दुरुपयोग होगा और जनता को हित के बदले अहित होगा। यदि पंचायत का क्लर्क दुर्भाग्य से पक्षपाती या करप्ट हुआ और पंच अशिक्षित हुए तो वे लोग कुछ नहीं कर सकेंगे और क्लर्क जो कुछ चाहेगा उनसे करवा लेगा और लोगों को न्याय के बजाय अन्याय मिलेगा। यदि एक सरपंच ही शिक्षित हुआ तो भी पूरा काम चलने का नहीं ; क्योंकि पंचायतों में जो सिविल सूट आते हैं वे कई किस्म के होते हैं। इसलिये न्याय

[श्री शंभूसिंह]

पढे-लिखे लोगों के द्वारा अच्छा होगा। अतः मेरी आपसे यही अर्ज है कि सरपंच के अलावा दूसरे पंच भी पढे लिखे होने चाहियें। मान लें कि सरपंच पढ़ा लिखा है और वह उन लोगों में से है जो कर्ज देते हैं। सम्भव है वह अपनी जाति वालों से दब जावे और दूसरे लोग अशिक्षित होने के कारण उसको समझ न सकें; तो इससे भी इन्साफ में खलल पड़ेगा। मेरे इस संशोधन का मतलब यही है कि पंच भी शिक्षित हों, तो अच्छा होगा। अतः आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन इसको बहुमत से पास करे।

श्री हिम्मतसिंह--क्या यह संशोधन मंजूर कर लिया जावेगा। अगर मंजूर नहीं किया जाय तो मैं अर्ज करूंगा कि (कोई उत्तर नहीं मिला)...

होता क्या है कि अक्सर देखा जा रहा है कि सरपंच तो आपने पढ़ा लिखा प्रोवाइड कर दिया है, और पंच निरक्षर भट्टाचार्य हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सेक्रेटरी साहब के हाथ में सारा काम है और जिस तरह चाहते हैं पंचायत को नचाते हैं और बड़ा करप्शन हो जाता है। इसलिए जहां तक हो गांवों में या तो सभी पंच पढे लिखे हों या ३/५ या थ्री एट्थ ही पढे लिखे हों उन्हीं को पंच चुना जावे जो पढे लिखे हों; दूसरों को नहीं चुना जावे।

श्री खेतसिंह--माननीय अध्यक्ष, मैं इस संशोधन के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि राव साहब ने संशोधन रक्खा है कि टू-फिफ्थ पंच पढे लिखे होने चाहियें; पर इस बिल में उप-सरपंच भी पढा लिखा नहीं रखा है। मैं तो कहता हूं कि पंचायत पढे लिखों के लिए नहीं अनपढों के लिए है। पढे लिखों के लिए कोर्टस खुले हैं। सरपंच और उप-सरपंच जितने पढ़े लिखे घुस जावेंगे, उतना ही पंचायतों में बेईमानियां ज्यादा होंगी।

श्री मानसिंह (महार)--आपने फरमाया कि उपसरपंच को भी पढा लिखा नहीं रखा है; यह गलत है। आपने इसे पढ़ा नहीं है।

श्री कुम्भाराम चौधरी--पंचायतां री बात पंचायतों री तरह ही होणी चाहिजे। गांवों में पढिया लिखिया कम मिले है। आपणा देश री पंचायतां में ऐसो भेद नहीं होणो चाहिजे। मिनख मिनख सै एक, वां भेद भाव ओ करियो जावे तो आ बात सजेला नहीं। पंचो में बैठ र न्याय री बात करणी चाहिजे। राजा अणपढ़ हो सके है, जागीरदार अणपढ़ हो सके है ऑर मंत्रियां ने छोडकर आपां री असेम्बली रा मेम्बर भी अणपढ हो सके है तो फेर पंच अणपढ क्यूं नहीं होय सके।

श्री रामकरण जोशी--उप-सरपन्च पढ़ा लिखा होगा; यह इस विधि में है। जिन साहब ने यह अमेन्डमेन्ट रखा है वे इसे वापिस ले लें तो अच्छा होगा।

श्री शंभूसिंह--मुझे अपने संशोधन को वापिस लेने की स्वीकृति फरमाई जावे।

श्री उपाध्यक्ष—श्री शंभूसिंह अपने संशोधन को वापिस लेना चाहते हैं; क्या उन्हें स्वीकृति दी जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा दी गई।

श्री शंभूसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—सदन के सामने प्रश्न यह है कि यह खण्ड ४ संशोधनानुसार स्वीकृत किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधित खण्ड ४ विधेयक का अंग स्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब सदन की कार्यवाही २३ फरवरी, सन् १९५३ के २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही ६ बजकर १७ मिनिट पर दिनांक २३ फरवरी, १९५३ के २ बजे मध्याह्न तक के लिये स्थगित हुई)

सभा भवन,
जयपुर,
२० फरवरी, १९५३.

मनसाराम पुरोहित
सचिव
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्नोत्तर संख्या १८६ देखिये)

सिंचाई विभाग

नाम कार्य	रकम
१. डोरा बांध की मरम्मत	०.१६ लाख
२. डीपनिंग आफ वेल रूट बाजार	०.१३ लाख
३. नेथ तालाब की मरम्मत	०.०५ लाख
४. मन्डेरगढ तालाब की मरम्मत	०.१५ लाख
५. पम्पिग सेट	०.८० लाख
६. गुढा योजना	३४.२२ लाख

निर्माण विभाग

१. बून्दी से चित्तौड़ तक की पक्की सडक का जीर्ण भाग ३.६०.०००

२. लाखेरी से भांडोली तक पक्की सडक और बून्दी सडक से सम्बन्ध सडक ४.००.०००

३. लाखेरी से इन्द्रगढ, खाटोली, उनियारा होता हुआ टोंक तक सड़क का कच्चा-पक्का भाग ६०.०००

सहकारी व ग्राम पुनर्निर्माण विभाग

सन्	सहकारी शिक्षा	सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता
५१-५२	..	..
५२-५३	७२०) रु० ट्रेनिंग ऑडीटर एवं सहायक इन्सपेक्टर	

ग्राम पुनर्निर्माण

५१-५२ .. ..

५२-५३ २३८८ रु० ग्राम सुधार कार्य

५४-५६ ५०,४०० रु० तहसील बालेडा

कृषि विभाग

कृषि उन्नति के लिये निम्न योजनायें बनाई गई हैं।

१. प्लान्ट प्रोटेक्शन
२. टिडी से बचाव
३. बीज वितरण
४. कृषि शिक्षा
५. कृषि अन्वेषण
६. अमुक अधिक अन्न उपजाउ उपाय

उपरोक्त योजनाओं में से बून्दी जिले में बीज वितरण के लिये गोदाम बनाये जावेंगे जिसमें प्रति गोदाम में निम्न खर्चा होगा :

गोदाम के बनाने का खर्चा	१५.०००
कीमत बीज	२०.०००
स्टॉफ चौकीदार आदि	५५०
	३५,५५०

इसके अतिरिक्त दूसरी योजनाओं में से भी आवश्यकता अनुसार खर्चा किया जावेगा।

पंचायत विभाग

पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान के गांव, पीने के पानी के साधनों के निर्माण व प्रबन्ध के जो रुपया ग्राम पंचायतों द्वारा व्यय करने की योजना है, इसमें बून्दी जिले के लिये डेढ़ लाख शामिल है।

सन् १९५२,५३ की धनराशि से बून्दी जिले में उपरोक्त कार्य हेतु ३७,८२० रु० खर्च करने की योजना है।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १६० देखिये)

नक्शा पुलिस अफसरान जो मारे गये सन् १६४६

क्रम संख्या	तारीख घटनास्थल	स्थान घटनास्थल	मरे हुए मनुष्यों के नाम	आश्रित औरत	आश्रित बच्चे	पेन्शन विधवा	पेन्शन बच्चे	ग्रेच्युटी	खास इनाम कैफियत
१	२	३	४	५		६		७	८
१.	१–३–५०	गुरजा	१. डी. एस. पी. श्री नित्यानन्द	१	३	५०)	१३	८८५	
२.	,,	,,	२. एस. आई. श्री जगराजसिंह	..		३०)		३६०	
३.	,,	,,	३. एस. आई. श्री देवीसिंह	१	४	२२॥≡)	३	२७२	
४.	,,	,,	४. ए. आई. श्री रामनाथ	१	५	१७॥≡)	३	२१२	
५.	,,	,,	५. एच. सी. इमत्याजदीन	१	..	१२।=)	..	१४३	
६.	,,	,,	६. एच. सी. छगनपालसिंह	१	५	१६॥≡)	३	२००	
७.	,,	,,	७. का० रामदयाल	..	२		४	..	
८.	,,	,,	८. का० जहांगीर मुहम्मद	१	३	=)	३	६३॥	
६.	,,	,,	६. का० गोवरधनसिंह	१	..	११=)	..	१४०	
१०.	,,	,,	१०. का० कल्यानलाल	१	..	११)	..	१३२	
११.	,,	,,	११. का० गोविन्दप्रसाद	१	१	११)	३	१३२	
१२.	,,	,,	१२. का० हाफिजखान	१	..	१०।=)	..	१२४	
१३.	,,	,,	१३. का० मूलाराम शर्मा	१	१	१०।=)	३	१२४	
१४.	,,	,,	१४. का० बैरीसोलसिंह	१	१	..	..	..	

Page No.74

१	२	३	४	५		६		७	८
१५.	१-३-५०	गरज़ा	१५. का० शम्भूलाल चारी	..	..	..	..		
१६.	,,	,,	१६. का० गयाजीतलाल	१	..	१०।=)	..	१२४	
१७.	,,	,,	१७. का० ओमकारसिंह	..	१भाई		३	..	
१८.	,,	,,	१८. का० कन्यालाल शर्मा	१	३	१०)	३	१२०	
१९.	,,	,,	१९. का० नन्दकुमार	१	१	..	..		
२०.	२१-५-५०	नाथद्वारा डिविजन उदयपुर	२०. का० भेरूंसिंह	..	..	..	..	..	
२१.	१५-८-५०	गांव लालिया	हैड का० सकूरखां	..	..	..	..	..	
२२.	४-१-५१	गडरा रोड	का० जोगसिंह	..	..	..	..		१५०
२३.	४-२-५१	जैसलमेर	हैड का० करनसिंह	..	..	..	..	..	२००
२४.	,,	,,	का० पन्नसिंह	..	..	..	..	..	१५०
२५.	,,	,,	का० अहमदखां	..	..	..	..		१५०
२६.	१९-७-५१	अनोपगढ़	एस. आई. जसवन्तसिंह	..	..	..	..		..
२७.	,,	,,	हैड का० भगवनसिंह	..	..	..	..	..	..
२८.	१०-१०-५१	कालू पाली	का० सवाईसिंह	१	१	१०)	३	१२०	१५०
२९.	१०-८-५१	राजा खेडा भरतपुर	का० अजमेरसिंह	..	..	..	..	..	१५०
३०.	१४-१०-५१	रामगढ़ अलवर	का० गणपतसिंह	मां १	..	..	..	..	२००
३१.	१९-१-५२	खैरियां	एस. आई. अब्दुलवहाब	..	..	..	..	..	..
३२.	,,	,,	का० बचराज	..	..	..	..		..
३३.	,,	,,	का० कृष्णा	..	..	..		..	..
३४.	२०-१-५२	टोंक	का० जगतसिंह	..	..	..	..		..

१	२	३	४	५		६		७	८
३५.	३०–१–५२	मंडी देतवाली	का० रामचन्द्र	..	..	..	—	..	..
३६.	८–२–५२	भरतपुर	का० मालीराम	१	..	५	--	..	..
३७.	२८–४–५२	भरलात	का० देवाराम	मां १	१	११	३	१३२	..
३८.	१९–५–५२	पालाना	का० अलीमोहम्मद	..	..	..	..	--	..
३९.	१५–५–५२	छाया, फलोदी	सी. आई. अहमदबक्ष	..	..	..	..	..	५००
४०.	,,	,,	एस. आई. गजेन्द्रनारारायण	..	..	..	..	..	५००
४१.	,,	,,	का० अमरसिंह	..	..	..	..	..	५००
४२.	२०–५–५२	चांदसेन हिलस	हेड का० उम्मीदखां	१	३	६	३	११२	..
४३.	२४–५–५२	खाखकर माला	का० नरुदीन	..	..	..	..	..	..
४४.	,,	,,	का० हमीदखां	..	..	..	..	..	..
४५.	२७–६–५२	केलादेवी	ए. एस. आई. मूरेखां		..	..	..	..	..
४६.	१९–५–४९	रोहिरा बोर्डर	का० अम्बसिंह	..	..		..	..	..
४७.	१७–१२–४६	,,	का० गोकुलसिंह	..	..	..	..	..	..
४८.	२६–१–५०	ढाणी निम्बाहेडा	एस. आई. यासीनअली	..	..	..	—	..	..
४९.	५–७–५१	भरतपुर	का० जगन	..	..	..	..	..	—
५०.	६–१–५२	सरवरी	का० कानसिंह	..	..	..	..	..	..
५१.	२८–४–५२	बारानी	का० इसरदान	..	..		..	..	—
५२.	४–१०–५२	तावरी माला जैसलमेर	का० मंगलसिंह	..	..	..	..	..	..

Page No.75

परिशिष्ट--३

(देखिये प्रश्न संख्या १६७)

सूची--अ

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत टोंक जिले के लिये ५,८२,००० रु० स्वीकृत हुये हैं जो निम्न-लिखित कार्यो पर व्यय किये जा रहे हैं । ये सब कार्य प्राय: वर्षो के पहिले ही समाप्त हो जावेंगे ।

१. डाकिया बन्ध	२,३१,००० रु०
२. विदोली बन्ध	२,४३,००० रु०
३. बटेर बन्ध	४४,००० रु०
४. नुगलपुरा बन्ध	३२,००० रु०
५. सुखपुरा बन्ध	३२,००० रु०
कुल योग.	५,८२,००० रु०

इन सबसे मिला कर करीब ३॥ हजार बीघा या दो हजार एकड़ जमीन की पिलाई होगी ।

सूची--ब

१६,८१,००,००० की रकम में से कृषि विभाग को १०,६०,००,००० की कृषि उन्नति के लिये दिये गये हैं । इसमें निम्न योजनायें बनाई गई हैं--

१. प्लान्ट प्रोटेक्शन ।
२. टिड्डी से बचाव ।
३. बीज वितरण ।
४. कृषि शिक्षा ।
५. कृषि अनुवेषण ।
६. अधिक अन्न उपजाऊ उपाय ।

उपरोक्त योजनाओं में से टोंक में बीज विरतण के लिए गोदाम बनाये जावेंगे, जिसमें प्रति गोदाम में निम्न खर्चा होगा--

गोदाम के बनाने का खर्चा.	१५,०००
कीमत बीज	२०,०००
स्टाफ-चौकीदार आदि	५५०
	३५,५५०

इसके अतिरिक्त दूसरी योजनाओं में से भी आवश्यकतानुसार जिलों में खर्चा किया जायगा ।

सूची—स

So far as the P.W.D. (B &R) is concerned the following works have been proposed to be taken up under the 5 years' Plan in Tonk District.

1. Metalled road from Sawai Madhopur to Tonk (Upto Aligarh—Uniara)	3,00,000
2. Metalled road from Todaraisingh to Malera	3,40,000
3. Metalled road from Tonk to Malpura	6,25,000
4. Metalling unmetalled portion of road from Lakheri to Tonk, *via* Indergarh Khatoli Uniara	4,60,000

सूची—म

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान के गांवों में पीने के पानी के साधनों के निर्माण एवं प्रबन्ध के लिए भारत सरकार ने एक करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों द्वारा व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की है । इस धन राशि से टोंक जिले के लिए २ लाख रुपये व्यय करने की योजना है । एक करोड़ रुपये का स्वीकृत द्रव्य पांच वर्षों में निम्न प्रकार व्यय किया जाएगा :

१९५२।५३—२० लाख रुपया ।

१९५३।५४—२५ लाख रुपया ।

१९५४।५५—२५ लाख रुपया ।

१९५५।५६—३० लाख रुपया ।

इस स्वीकृत द्रव्य से तालाब, कुंए व बावड़ियें खुदवाना, उनकी मरम्मत करवाना, मवेशियों के पानी पीने की तलाईयें, नाडियें खुदवाना, नये कुंए बनवाना इत्यादि कार्य किया जाएगा जिससे पीने के पानी की सूचारू रूप से व्यवस्था हो सके ।

सूची–द

सहकारी विभाग, राजस्थान

पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत टोंक जिले में चांद सेन ग्राम सुधार केन्द्र के ११ गांवों में ग्राम सुधार कार्य हो रहा है । इन गांवों के विकास में पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत ४८,४००) निम्न प्रकार व्यय होंगे ।

१	प्रौढ़ शिक्षा	२९००)
२	ग्राम औषधालय	४०००)
३	ग्राम पुस्तकालय	१२५०)
४	ग्राम स्वास्थ्य व सफाई	५०००)
५	पशु नस्ल सुधार	२५००)
६	सामाजिक सुधार	२५००)
७	कृषि यंत्र कुट्टी काटने की कलें	२२५०)
८	ग्रामोद्योग	४०००)
९	ग्राम निर्माण कार्य	१८५००)
१०	कृषि उन्नति बीज बागवानी	२५००)
११	फट कर उन्नति	२०००)
	टोटल	४८४००)